खण्ड ९ — अंक १४
३ दिसम्बर, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १६ नवम्बर, १६५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४६ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५६, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ — १४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३६, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १६१ ... — १६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३६ — १७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ... — १८८–६१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६२ से १६४, १६६, १६७, १६६ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ — १६१–२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १६८, २०३, २०५ से २०७, २०६, २१० २११, २१४, २१५, २१६ और २२२ से २४२ — २१२–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... — २२२–३८

दैनिक संक्षेपिका — २३६–४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७६ — २४३–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४६, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६६, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... — २६६–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... — २७२–८४

दैनिक संक्षेपिका ... ... — २८५–८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २६०, २६२, २६४, २६५, २६७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१६, ३२६ से ३२८ २६३ और ३२६ ... ... — २८६–३१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८६, २६१, २६६, २६८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ — ३१०–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... — ३१६–२८

दैनिक संक्षेपिका ... ... — ३२६–३१

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८ — ३३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ... — ३५३–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५ — ३६५–८४

दैनिक संक्षेपिका — ३८५–८८

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६ — ३८९–४१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७ — ४१०–२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५ — ४२०–३८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४३९–४२

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६ — ३४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९ — ४६५–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ... — ४८३–९६

दैनिक संक्षपिका — ४९७–५००

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६ — ५०१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७ — ५२३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६ ... ... — ५४१–६४

तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि — ५६४

दैनिक संक्षेपिका ... ... — ५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५९, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५९ से ५८८ और ५९० से ५९६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२९, ८३४, ८३९, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१९, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४९ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३९

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८९०, ८९२, ८९६, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७ और ९१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७९, ८८३, ८८४, ८८९, ८९१, ८९३, ८९४, ८९७ से ९०२, ९०५, ९०८ से ९१४ और ९१६ से ९२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७१५ ... ८७८–९४

दैनिक संक्षेपिका ८९५–९८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ से ९३०, ९३३ से ९३८, ९४२, ९४५, ९४६, ९५७, ९४७, ९४९, ९५०, ९५२ और ९६३ ... ८९९–९२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ९२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३१, ९३२, ९३९ से ९४१, ९४३, ९४४, ९४८, ९५१, ९५३ से ९५६, ९५८ से ९६२ और ९६४ से ९६६ ... ९२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ९३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ९४९–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल के लिये द्वितीय योजना

†*६८०. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री वे० प० नायर :
श्री पुन्नूस :
श्री अ० म० थामस : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त केरल राज्य के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राक्कलित राशि कितनी है;

(ख) कितनी सरकारी क्षेत्र के लिये है और कितनी गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के अन्तर्गत केरल राज्य में कौन से नये भारी तथा छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) राज्य योजना के अन्तर्गत केरल में कुल व्यय निकट भविष्य में प्रादेशिक समायोजन की गुंजाइश रखने के बाद अन्ततः निर्धारित किया जायेगा। इस विषय पर योजना आयोग द्वारा हाल में बातचीत शुरू की गई थी।

(ख) राज्य योजनाओं में केवल सरकारी क्षेत्र में व्यय के लिये उपबन्ध हैं।

(ग) राज्य योजना में सम्मिलित औद्योगिक योजनाओं की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७**]

†**श्री अ० क० गोपालन** : मजावार को जो राशि बंटित की गई है क्या वह जनसंख्या के आधार पर है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह पूर्णतः जनसंख्या के आधार पर नहीं होगी परन्तु सभी कसौटियों पर अब अन्तिम निर्णय किया जा रहा है और उनके आधार पर ही केरल के लिये अन्तिम व्यय निर्धारित किया जायेगा ।

†**श्री वे० प० नायर** : विवरण से मैंने देखा है कि ४८३·५४ लाख रुपये के विनियोजन में से खनिज विकास के लिये केवल १·३ लाख रुपये की छोटी सी रकम दी गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह मालूम है कि राज्य में लिगनाइट, ग्रेफ़ाइट, अभ्रक और पाइराइट पाये जाते हैं तो फिर इन खनिजों को राज्य के लाभ के लिये निकालने आदि के लिये कोई रकम क्यों नहीं रखी गई है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : माननीय सदस्य देखेंगे कि न केवल खनिज विकास की व्यवस्था ही अपर्याप्त है बल्कि अन्य विषयों में भी यही हाल है परन्तु इन सब बातों का कारण वित्त की कमी ही है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या मालाबार को दिये गये धन के सम्बन्ध में योजना आयोग और मद्रास सरकार के बीच कोई बातचीत हो रही है क्योंकि हमें जो पुस्तिका "त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति का शासन" दी गई है उसमें "योजना" शीर्ष के अन्तर्गत कहा गया है कि मद्रास सरकार ने अब तक केवल १५ करोड़ रुपये की एक योजना को स्वीकार किया है जिसे न तो मद्रास योजना का एक न्याययुक्त अंश समझा जाता है और जो न मालाबार क्षेत्र की आवश्यकताओं के समनुरुप ही है, और इस सम्बन्ध में योजना आयोग और भारत सरकार को उचित कार्यवाही करने के लिये कहा जा रहा है । क्या कोई कार्यवाही की गई है, और क्या योजना आयोग और मद्रास सरकार के मध्य बातचीत चल रही है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं प्रश्न को पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं, परन्तु जहां तक मैं समझ सका हूं मैं यह कह सकता हूं कि हमने मद्रास सरकार और केरल सरकार से भी बातचीत की है और जो बैठकें हो चुकी हैं उनमें बहुत सी बातों पर विचार किया गया है परन्तु अभी कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें सुलझाना शेष है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मेरे विचार में, मेरा प्रश्न ठीक नहीं समझा गया । केरल के उस भाग मालाबार को जो मद्रास राज्य का एक भाग था, केवल १५ करोड़ रुपये की राशि बंटित की गई है । हमें जो रिपोर्ट दी गई है उसमें यहां यह कहा गया है कि सरकार ने भी यह कहा है कि मालाबार की आवश्यकताओं के यह समनुरूप नहीं है और योजना आयोग बातचीत करने के लिये और यह देखने के लिये कि अधिक राशि दी जाय, कार्यवाही कर रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मालाबार के लिये जब कि वह पहले मद्रास राज्य का एक भाग था, उपबन्धित राशि के सम्बन्ध में यह प्रश्न है । अब जब कि इसे पृथक किया गया है मालाबार की अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए और मूल राशि को भी देखते हुए जो रकम पृथक् रखी जानी चाहिये थी उसके सम्बन्ध में कुछ अन्तर मालूम होता है । क्या यही प्रश्न है ?

†**श्री अ० क० गोपालन** : जी, हां ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : सम्भवतः प्रश्न यह है कि मूल योजना में मालाबार के साथ न्याय नहीं हुआ । लेकिन उस योजना को अन्तिम रूप पहले ही दे दिया गया था और यदि मालाबार के बारे में किसी विषय पर विचार करना है तो योजना आयोग निश्चय ही उस पर विचार करेगा ।

†**श्री पुन्नूस** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय क्षेत्र में केरल में एक डी० डी० टी० संयंत्र लगेगा और उसके लिये ७९ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । केन्द्रीय क्षत्र से केरल के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में ।

एक ही डी० डी० टी० संयंत्र की व्यवस्था क्यों की गई थी जब कि उसकी भारी समस्याएं हैं। इस संयंत्र में कितने व्यक्तियों को नियोजित किया जा सकेगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : डी० डी० टी० संयंत्र में श्रमिकों के नियोजन की क्षमता मैं अभी नहीं बता सकता हूं। यह उत्पादन मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है। किन्तु जहां तक अन्य उद्योगों के लिये रखे गये धन के कम होने का प्रश्न है मैं वही बात फिर दोहरा दूं कि वित्त की कमी इसमें बाधक है।

†**श्री वे० प० नायर** : माननीय मंत्री ने कहा कि यह बहुत सी त्रुटियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब केरल राज्य में खनिज उद्योगों में कम से कम श्रमिक हैं तो राज्य योजना द्वारा इसके विकास का उपबन्ध न करने पर भी, भारत सरकार के लिये विकास के इन संसाधनों के उपयोग की व्यवस्था करना सम्भव क्यों नहीं हो सका ····

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी कहा गया है कि इसके लिये रुपया चाहिये। उसका उत्तर दिया जा चुका है।

वनस्पति तेल

†*६८१. **श्री डाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १९ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अहमदाबाद के न्यायिक दंडाधीश द्वारा वनस्पति तेल उत्पाद, नियंत्रक आदेश को, जो अत्यावश्यक प्रदाय (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत जारी किया गया था, शक्तिपरस्तात् घोषित करने के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील का क्या परिणाम हुआ है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : अपील इस आधार पर खारिज कर दी गई कि अभियुक्त के विरुद्ध दंडाधीश की तथ्य सम्बन्धी उपपत्तियां गलत थीं। अतः उच्च न्यायालय का यह मत था कि स्वयं अधिसूचना शक्तिपरस्तात् है अथवा नहीं यह विचार का विषय नहीं है।

†**श्री डाभी** : इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए वनस्पति तेल उत्पादों पर नियंत्रण करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और हम उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री डाभी** : वर्तमान स्थिति क्या है ? जब यह आदेश शक्तिपरस्तात् घोषित कर दिये गये हैं तो सरकार आजकल किस प्रकार नियंत्रण करती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : आज कल हम यह करते हैं कि जब कभी आवश्यक होती है हम पुरानी अधिसूचनाओं के अनुसार आदेश जारी कर देते हैं।

स्वशासित संस्थायें

+

†*६८२. { **श्री राम कृष्ण** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **योजना** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विधान मण्डलों और ग्राम पंचायतों के बीच के स्तर पर जनता की स्वशासन संस्थाओं के गठन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) तथा (ख) : चूंकि राज्यों का पुनर्गठन अब सम्पन्न हो गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सुझाव राष्ट्रीय विकास परिषद् की आगामी बैठक--८ और ९ दिसम्बर, १९५६ के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

†**श्री राम कृष्ण** : इन संस्थाओं के मुख्य-मुख्य कार्य क्या हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : प्रश्न अस्पष्ट-सा है। क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय स्वशासित संस्थाओं के कार्यों से है ? क्या इसे मैं बताऊं ? हां, मैं यह कह सकता हूं कि विकास के संदर्भ में उनके मुख्य कार्य क्या होंगे। हमारी मंशा यह है कि वे विकास कार्यों से अधिकतम सम्बद्ध हों।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि जैसा बहुत समय पूर्व होता था आज भी राज्यों के पुनर्गठन होने पर कई राज्यों की कुछ स्वशासित संस्थाओं में निर्वाचन नहीं हुए हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : ऐसा हो सकता है किन्तु यह प्रश्न के विषय से असम्बद्ध है।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि नैशनल डिफैन्स कौंसिल की जो बैठक अभी होने वाली है, उसमें इस पर विचार किया जायेगा। तो क्या अभी तक इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : विचार तो इस पर हुआ है, और हम बराबर विचार करते ही रहते हैं क्योंकि यह एक प्रमुख काम है कि हम इन संस्थाओं को विकास के कामों में ज्यादा से ज्यादा लगायें और उसमें हिस्सेदार बनायें और जब तक हम इस के बारे में विचार न करें और अध्ययन न करें, तब तक राष्ट्रीय विकास समिति के सामने क्या प्रस्ताव रक्खेंगे ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विकास कार्यों की संवृद्धि के लिये मंत्री महोदय के ध्यान में कौन-कौन सी संस्थायें हैं जो ग्राम पंचायत और राज्य विधान सभा के बीच के स्तर की होंगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : पहले से ही कुछ संस्थायें काम कर रही हैं। स्थानीय बोर्ड हैं, जिला बोर्ड हैं और इसके उपरान्त जिला विकास परिषदें हो सकती हैं। जिला विकास समितियां भी पहले से काम कर रही हैं। किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सिफारिश के अनुसार इन्हें जिला विकास परिषदें कहा जायेगा। अतः जहां तक एक ओर सरकार अर्थात् राज्यकीय स्तर का प्रश्न है और दूसरी ओर ग्रामीय स्तर में पंचायत का सम्बन्ध है हमारे मस्तिष्क में यह संस्थायें हैं।

रेलों में भ्रष्टाचार

†*६८३. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में भ्रष्टाचार के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त समिति की सिफारिश के अनुसार रेलवे बोर्ड में एक विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या-क्या कार्य हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति द्वारा इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की गई परन्तु एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) उसका सम्बन्ध सतर्कता सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण कार्यों से है और वह विशेष पुलिस संस्थापन, गृह-कार्य मंत्रालय का प्रशासन सतर्कता विभाग और रेलों के सतर्कता सम्बन्धी कार्यों से समन्वय स्थापित करता है ।

†**श्री गिडवानी :** क्या केवल एक ही पदाधिकारी होगा अथवा कोई कार्यालय उसके अधीन है ? यदि उनके साथ कार्यालय भी है तो उसकी व्यवस्था और इस कार्य के लिये उसका वार्षिक व्यय क्या है ?

†**श्री अलगेशन :** सतर्कता पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और वह पहले से ही काम कर रहा है । मंशा यह है कि केन्द्रीय जांच अभिकरण के प्रभारी एक डिपुटी इंस्पेक्टर-जनरल आफ पुलिस होना चाहिये और उनकी सहायता के लिये दो डिपुटी सुपरिंटेण्डेण्ट पुलिस हों । अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं की गई है ।

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बम्बई के रेलवे के कुछ बड़े-बड़े ठेकेदारों ने टेंडरों में वर्णित निर्माण कार्य सम्बन्धी अच्छी लकड़ी के स्थान पर सस्ती ईंधन की लकड़ी दी थी और यदि हां, तो क्या इसमें कुछ पदाधिकारियों का भी हाथ था ?

†**श्री अलगेशन :** मैं इस विषेश मामले का ब्यौरा नहीं बता सकता । अब चूंकि माननीय सदस्य ने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं इसकी जांच करूंगा ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या जो व्यक्ति भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध गवाही देते हैं उन्हें यह लोग उत्पीड़ित करते हैं तथा क्या इस प्रकार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

†**श्री अलगेशन :** मैं नहीं समझता कि जिन्हें पदाधिकारियों के विरुद्ध गवाही देनी पड़ता है वे प्रपीड़ित किये जाते हैं । मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं । मैं नहीं कह सकता कि कोई मामला हमारे ध्यान में आया है । यदि माननीय सदस्य की दृष्टि में कोई मामला हो तो वह कृपया मुझे बतायें ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या सतर्कता पदाधिकारियों की नियुक्ति रेलवे अधीक्षक, स्टेशन अधीक्षक, क्षेत्रीय प्रबन्धक की सिफारिश पर की जाती है । क्या कुछ पार्सल क्लर्क और बुकिंग क्लर्क इसलिये हस्तान्तरित कर दिये गये हैं कि उन्होंने भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध ठीक गवाही दी थी ?

†**श्री अलगेशन :** माननीय सदस्य के प्रश्न में अनेक धारणायें हैं और उन सबके साथ सहमत होना सम्भव नहीं ।

†**श्री नम्बियार :** केन्द्र में स्थित इस सतर्कता पदाधिकारी के अधीन प्रत्येक रेलवे में और पदाधिकारी हैं । प्रत्येक रेलवे के भ्रष्टाचार से संघर्ष करने वाले इन पदाधिकारियों के क्या कर्त्तव्य हैं ?

†**श्री अलगेशन :** मोटे रूप में केन्द्रीय संगठन बड़े-बड़े मामले और वह मामले जो गजटेड पदाधिकारियों से सम्बन्धित हैं, उनकी निगरानी रखता है । विविध रेलों के सतर्कता संगठन अन्य मामलों की जांच करेंगे । विभिन्न रेलों पर केन्द्रीय संगठन और सतर्कता संगठन के कार्यों की यही सीमा रेखा है ।

†**श्री नम्बियार :** क्या यह सच है कि बड़े-बड़े पदाधिकारियों से सम्बन्धित सभी मामले केन्द्र स्थित इस पदाधिकारी को बताये जाते हैं, तथा विभिन्न रेलों पर काम करने वाले वैयक्तिक सतर्कता पदाधिकारियों को नहीं बताये जाते ?

†**श्री अलगेशन :** जैसा मैंने कहा, इस प्रकार की सीमा रेखा निर्धारित की गई है ।

†**श्री नम्बियार :** जनता इससे अनभिज्ञ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अलगेशन :** केन्द्रीय संगठन बड़े-बड़े मामले और गजटेड पदाधिकारियों से सम्बन्धित मामलों को भली प्रकार निबटा सकेगा। मेरी सम्मति में यह अधिक अच्छा है।

†**श्री नम्बियार :** जनता को यह ज्ञात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब ज्ञात हो गया है।

यूरोप में रेलवे प्रतिनिधि मण्डल

†*६८४. **श्री का० सु० राव :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'थामस स्टील' का रेलवे में उपयोग करने के ढंग का अध्ययन करने के लिये यरोप का भ्रमण करने वाले प्रतिनिधिमण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण रेलवे बोर्ड ने समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) तथा (ख). 'थामस स्टील' के बारे में भारतीय तथ्य निरूपण शिष्टमण्डल द्वारा की गई सिफारिशों में से दो के अतिरिक्त अन्य सब रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। यह दो अभी विचाराधीन हैं।

(ग) प्रतिवेदन की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखी गई हैं।

†**डा० रामा राव :** क्या थामस श्रेणी का इस्पात भारत में तैयार किया जाता है ?

†**श्री अलगेशन :** नहीं, मेरा विचार है यह भारत में उपलब्ध नहीं है हमें यह बाहर से प्राप्त करना पड़ता है।

दक्षिण रेलवे के कर्मचारी

†*६८५. **श्री नम्बियार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास की भूतपूर्व मद्रास और दक्षिण-मरहठा रेलवे के लेखा विभाग के बहुत से क्लर्कों की सेवायें १९५० में वरिष्ठता की दृष्टि से 'खण्डित सेवायें' मान ली गई हैं जब कि उन्हें वेतन आयोग सम्बन्धी कार्य के लिये १९४७ में ही नियुक्त कर लिया गया था; और

(ख) क्या इस दिशा में जिस नीति का अनुसरण किया गया है वह सब रेलों में समान है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) सेवा खण्डित नहीं हुई। १९४७ में स्थानीय रूप से भरती किये गये क्लर्कों की वरिष्ठता रेलवे सेवा आयोग द्वारा उनकी जांच करने तथा अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् अक्तूबर, १९४८ से मानी गई थी।

(ख) इस प्रकार के मामले अन्य रेलों में नहीं हैं।

†**श्री नम्बियार :** क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के भूतपूर्व मद्रास तथा दक्षिण, मरहठा भाग के लेखा विभाग के ऐसे लगभग ३२ क्लर्क हैं, जिनके विरुद्ध यह कहा गया था कि उनकी सेवायें खंडित हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इन व्यक्तियों की वरिष्ठता रेलों के पुनर्वर्गीकरण[1] के पहले ही निश्चित कर दी गई थी। और उस वरिष्ठता को अब बदलना उचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Regrouping.

†**श्री नम्बियार** : केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि में ही उस श्रेणी के जो कर्मचारी पूर्वी रेलवे में भरती हुए थे उनके बारे में कौनसी प्रक्रिया अपनायी गई है ? क्या उनकी नौकरी को भी 'खंडित सेवा' समझा गया था ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जैसा मैंने बताया है, अन्य रेलों में ऐसे मामले नहीं हैं ।

†**श्री नम्बियार** : इस सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे के व्यक्तियों तथा अन्य रेलों के व्यक्तियों में इतना भेदभाव क्यों है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे तो इस भेदभाव को स्वीकार ही नहीं करते ।

†**श्री नम्बियार** : उन्होंने अभी-अभी यह स्वीकार किया कि भूतपूर्व मद्रास तथा दक्षिण-मरहठा रेलवे के ऐसे कई क्लर्क हैं जिनकी नौकरी को खंडित सेवा समझा गया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों तथा अन्य रेलों के कर्मचारियों में उतना भेदभाव क्यों रखा गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वे एक ही श्रेणी है तो उनमें यह भेदभाव क्यों है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जैसा मैंने अभी बताया है अन्य रेलों में इस प्रकार के कोई मामले हैं ही नहीं ।

†**श्री वेलायुधन** : इस 'खंडित सेवा' का प्रश्न ही क्यों उत्पन्न हुआ है ? क्या इसे किसी प्रकार से टाला नहीं जा सकता था ताकि इन कर्मचारियों को, जो कि पहले से ही नियमित सेवा में लगे हुए थे, हानि न उठानी पड़े ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जैसा मैंने अभी कहा है, उनकी वरिष्ठता की सूची रेलों के पुनर्वर्गीकरण से पूर्व ही निश्चित कर दी गई थी । और हम पहले से ही निश्चित की हुई वरिष्ठता को बदल नहीं सकते ।

†**श्री नम्बियार** : मेरे प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर यदि नहीं मिला है, तो नहीं मिलेगा ।

†**श्री नम्बियार** : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को समझ नहीं सके । मैं अब उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करता हूं । वे इसका उत्तर दें या न दें, यह उन पर निर्भर करता है । केन्द्रीय वेतन आयोग के दिनों में दक्षिण रेलवे में कुछ क्लर्क भरती किये गये थे । उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया था, परन्तु तद्पश्चात् उन्हें फिर से काम पर लगा लिया गया था, परन्तु उनकी सेवा को अखण्डित नहीं माना गया है । परन्तु अन्य रेलों में इसी प्रकार के व्यक्तियों की सेवा को अखण्डित तथा निरन्तर माना गया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों की सेवा को भी अखण्डित क्यों न माना जाये । यही मेरा प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपमंत्री ने बता दिया है कि दक्षिण रेलवे के इन कर्मचारियों की श्रेणी के कर्मचारी अन्य रेलों में हैं ही नहीं ।

फलों के रस के पाउडर का उत्पादन

†*६८७. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोई ऐसा कारखाना है जो कि फलों के रस का पाउडर तैयार करता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि नहीं, तो क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन इस प्रकार के पाउडर तैयार करने वाले किसी नये संयंत्र को स्थापित करने की कोई प्रस्थापना विचाराधीन है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । एक फल-रस-पाऊडर उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल की सरकार की प्रस्थापनायें हैं ।

†**श्री विश्व नाथ राय** : इस सम्बन्ध में कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : मैं कह नहीं सकता, परन्तु इसके लिये ३ लाख रुपये का उपबन्ध है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस फैक्टरी से कितना वार्षिक उत्पादन होगा ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : मुझे खेद है कि इस समय उसका ब्योरा मेरे पास नहीं है । यह काम पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

†**श्री विश्व नाथ राय** : वहां पर किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : आम के रस के पाउडर ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या सरकार ने दिल्ली में किन्हीं गैर-सरकारी सार्थों को भी इस सम्बन्ध में कोई सहायता दी है कि वे जहां कोकाकोला का उत्पादन करते हैं, वहां फलों के रस और रसों के पाउडर तैयार करें ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : मेरे विचार से नहीं ।

सामुदायिक विकास

†*६८८. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : + **डा० राम सुभग सिंह** :

क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं कि योग्य गैर-सरकारी व्यक्तियों को जिला विकास समिति, सामुदायिक विकास परियोजना/खण्ड तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड मंत्रणा समितियों के संभापति के रूप में नियुक्त किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन अभ्यावेदनों पर विचार किया है, और किसी निर्णय पर पहुंची है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में कई बार लाई जा चुकी है ?

(ख) सरकार ने मामले पर विचार किया है और इस निर्णय पर पहुंची है कि जब तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की गहन-कार्य अवधि पूरी न हो जाये, तब तक मंत्रणा समितियों का सभापति सरकारी पदाधिकारी ही रहेगा, और उसके बाद ही गैर-सरकारी सभापति नियुक्त करने का विचार किया गया है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी गैर-सरकारी सभापति थे, उनके स्थान पर सरकारी सभापति नियुक्त कर दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सु० कु० डे** : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : गैर-सरकारी व्यक्तियों की अपेक्षा सरकारी व्यक्तियों को अधिमान देने में सरकार का इरादा क्या है ? क्या ऐसा कार्य सम्बन्धी सुविधा के विचार से किया गया है या केवल ज़िद्द के कारण ?

†**श्री सु० कु० डे** : इस प्रश्न पर पहले एक अवसर पर इस सभा में चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि सामुदायिक विकास के गहन कार्य की अवधि तक सरकारी सभापति रखने का कारण यही था कि केवल सरकारी व्यक्ति ही, इस कालावधि में, विभिन्न विभागों में समन्वय उत्पन्न कर सकता है। विभिन्न विभागों में समन्वय उत्पन्न करना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है।

†**श्री रामचन्द रेड्डी** : क्या ये मन्त्रणा समितियां अनन्त काल तक रहेंगी अथवा क्या एक निश्चित स्थिति के बाद यह कार्य, निर्वहन तथा अन्य प्रयोजनों के लिये स्थानीय निकायों के सुपुर्द कर दिया जायेगा ?

†**श्री सु० कु० डे** : ज्यों ही संविहित आधार पर स्थानीय निकायों की स्थापना कर दी जायेगी, तब ऐसा ही करने का विचार है।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि क्रियाशीलता की गहन अवधि में सामुदायिक विकास पर मंत्रणा देने के लिये कोई भी गैर-सरकारी अभ्यावेदन नहीं दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 'क्रियाशीलता की गहन अवधि' अनेक सामुदायिक योजनाओं में सिद्ध हुई है—घोर अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, और धन की बरबादी ?

†**श्री सु० कु० डे** : मैं समझता हूं कि इसमें कोई भ्रांति है। गैर-सरकारी लोक प्रतिनिधि तो प्रारम्भ से ही कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहायता दे रहे हैं। अब तो केवल एक गैर-सरकारी सभापति नियुक्त करने का ही प्रश्न है।

†**पंडित च० ना० मालवीय** : क्या यह सच है कि सरकारी सभापति अन्य बहुत सी जिम्मेवारियों के होने के कारण मंत्रणा समिति की बैठकें नहीं बुला सकता ? यदि हां, तो क्या ऐसा विचार है कि एक गैर-सरकारी व्यक्ति को तो उसका सभापति नियुक्त किया जाये और सरकारी पदाधिकारी को सचिव नियुक्त किया जाये ?

†**श्री सु० कु० डे** : सरकार इस सम्बन्ध में हर प्रकार का प्रयत्न कर रही है कि मंत्रणा समितियों की बैठकें नियमित रूप से हुआ करें। एक और प्रस्थापना पर भी विचार किया जा रहा है कि इस समिति के उप-सभापति के रूप में एक गैर-सरकारी व्यक्ति को नियुक्त किया जाये। इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

†**श्री विश्व नाथ राय** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में पदाधिकारी को किसी कठिनाई होने के कारण अथवा किसी असुविधा के कारण, मंत्रणा समितियों की बैठकें कई बार स्थगित कर दी गई हैं, और वे नियमित रूप से नहीं हो रही हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : इस समय १,५०० खण्ड काम कर रहे हैं जिनमें १,५०० मंत्रणा समितियां हैं। यह पूर्णतया स्वाभाविक है कि उनमें से कई समितियां नियमित रूप से काम नहीं कर सकतीं।

†मूल अंग्रेजी में।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जनता का सहयोग

*६८९. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री झूलन सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **योजना** मंत्री १४ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने की योजना पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस निर्णय की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की आशा है; और

(घ) अब तक देर होने का क्या कारण है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना कमीशन के प्रस्ताव, दिनांक २३–११–५६ की एक कापी सभा की मेज पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, इससे ज्ञात होता है कि जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये एक समन्वय समिति स्थापित की गई है । क्या गवर्नमेंट को विश्वास है कि केवल इस समिति की स्थापना से ही उसका उद्देश्य पूरा हो जायेगा या जनता का क्रियात्मक सहयोग लेने के लिये कोई और भी ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जी नहीं, यह बिल्कुल ही हमारा खयाल नहीं है कि इस समिति के बनने से ही जनसहयोग प्राप्त हो जायेगा । इसके लिये बहुत सी सूरतें निकालनी होंगी और उन सूरतों को सोचने का सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ कदम भी उठाये गये हैं ।

†**श्री कामत** : प्रथम पंचवर्षीय योजना की तथाकथित सफलतापूर्ण कार्यान्विति से प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर हमें क्या ज्ञात हुआ है कि जनता से सहयोग प्राप्त करने के बारे में सरकार की नीति अथवा कार्यक्रम में कौनसी त्रुटि थी, और सरकार उन त्रुटियों को कैसे दूर करेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : विरोधी पक्ष ने बताया नहीं है कि वह त्रुटि कौनसी है ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह एक बड़ा व्यापक-सा प्रश्न है ! परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किये गये कार्यक्रमों में जनता के सहयोग की जितनी आशा थी, हमें उससे निराश न होना पड़ा । परन्तु किसी सीमा तक यह सच है कि यदि कई संस्थाओं और विशेष कर स्वशासी संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित किया होता तो अधिक जनसहयोग प्राप्त हो गया होता । द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करते समय, जब कि कार्य का भार और उसकी उलझनें बहुत अधिक बढ़ गई हैं, और जनता के सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है, हम इस बात की ओर पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या जनसहयोग अब पर्याप्त रूप में प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो किस क्षेत्र में यह सहयोग विशेष रूप से बड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा स्थानीय कार्यों का मैं इस समय विशेष निर्देश करना चाहता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गई है कि पश्चिमी बंगाल में, जबकि यह प्रस्थापना की जा चुकी है कि नीचे से नीचे के स्तर से भी, जैसे कि पुलिस स्टेशन स्तर से, जनसहयोग के लिये समितियां बनायी जायें, वहां पर इस बात से इस आधार पर इन्कार कर दिया गया है कि इन बैठकों के लिये उनके पास पदाधिकारी नहीं हैं, और इसीलिये वहां पर ऐसी समितियां स्थापित नहीं की गई हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है तो भी मैं इस बारे में यथासम्भव शीघ्र ही जानकारी प्राप्त करूंगा ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गांवों के लिये जो योजनायें बन रही हैं उनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है बल्कि जो मिडलमन हैं या जो चालाक आदमी हैं, उनको मिल रहा है और इसी कारण से ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या यह सत्य है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : मैं नहीं कह सकता कि कौनसी योजनायें खास तौर पर माननीय सदस्या की नज़रों में हैं, लेकिन जहां तक स्थानीय योजनाओं का सवाल है, बहुत सी जगहों में स्थानीय संस्थाओं और स्थानीय समाज सेवकों ने उनमें काम किया है और उनमें ऐसे कोई बीच के व्यक्ति नहीं आए, जो कि मनाफा उठाएं । अगर कोई खास योजना माननीय सदस्या की नजरों में हो, तो उस पर मैं कुछ राय दे सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विश्वास है कि भविष्य में अब प्रत्येक सत्र में योजना तथा सामुदायिक विकास के लिये कम से कम एक दिन दिया जायेगा ताकि इन सभी प्रश्नों पर वाद-विवाद किया जा सके ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मूल प्रश्न मेरा था, इसलिये कम से काम मुझे तो एक और प्रश्न पूछने की आज्ञा मिलनी चाहिये ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या मंत्री जी ने विभिन्न स्थानों पर चल रही सामुदायिक परियोजनाओं को चलाने के लिये जनसहयोग प्राप्त करने में असफलता को स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जी नहीं, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है । मैं नहीं समझता कि मेरे द्वारा दिये गये उत्तर में इसका कोई संकेत था । बल्कि हमें तो इस बात का गर्व है कि सामुदायिक परियोजना कार्यक्रमों में जन ने पर्याप्त सहयोग दिया है ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : उन्होंने कहा है कि यदि वे विभिन्न स्वशासी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर लें, तो भविष्य में उन्हें जन सहयोग प्राप्त हो सकेगा । तो क्या इसका यह अर्थ है कि अभी तक उतना सहयोग नहीं मिला है जितनी आशा थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये तो केवल अनुमान पर ही निष्कर्ष निकाले गये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पिछले वर्षों में जनता को स्वेच्छा-श्रमदान के द्वारा बहुत सी प्रशंसापूर्ण कार्य हुए हैं, जैसा कि पहाड़ों पर मोटर-सड़कें इत्यादि बनाई गई हैं, लेकिन चूंकि राज्य सरकारों ने उनको अपने प्रबन्ध में नहीं लिया, इसलिये वह श्रम-दान बेकार गया ? क्या अब इस बारे में प्रयत्न किया जायगा कि जनता के द्वारा जो श्रमदान का कार्य होता है या जो सड़कें इत्यादि बनाई जाती हैं, उनको सरकार अपने हाथ में ले ले ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी केवल सुझाव हैं ।

श्री श्या० नं० मिश्र : यह ठीक है कि जो बहुत से काम किये गए हैं, उनको अच्छी हालत में रखना हमारे लिये एक बहुत अहम मसला बना हुआ है और उस पर हम सबको विचार करना है और कुछ विचार किया भी गया है । मिसाल के तौर पर अब बहुत सी स्कीमों को सैल्फ-गवर्निन्ग इंस्टीच्यूशन्ज––स्वायत संस्थाओं––की निगरानी में रखा गया है । इस विषय पर अभी और भी विचार करना है, ताकि जो कार्य किये जायें, वे खतरे में न पड़ें और उनको किसी प्रकार की हानि न हो ।

पटसन

*६९०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५६ में, विभिन्न राज्यों में, पटसन की अनुमित पैदावार कितनी थी;

(ख) विभिन्न राज्यों में अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, १९५६ में पटसन की प्रति मन कीमत कितनी थी और पटसन उगाने वालों को साधारणत: किस दर से कीमत मिली; और

(ग) क्या पटसन उगाने वालों को अपने उत्पाद के लिये उचित कीमत दिलाने के हेतु सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) : (क) पटसन की पैदावार का १९५६ का अन्तिम अनुमान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । एक विवरण जिसमें १९५५-५६ की राज्यवार पैदावार बताई गई है, सभा की टेबिल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ख) विभिन्न राज्यों के प्रमुख देहाती केन्द्रों में इन महीनों में पटसन के जो चालू भाव थे उनके विषय में एक विवरण सभा की टेबिल पर रखा गया है । एक अन्य विवरण भी जिसमें प्रमुख देहाती केन्द्रों में १९५६ और १९५५ में फसल काटने के वक्त के पटसन के भाव बताये गये हैं, सभा की टेबिल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ग) सरकार की वेअर हाऊसिंग योजना के अधीन विभिन्न स्थानों में मालगोदाम स्थापित किये जायेंगे जिसमें पटसन उगाने वाले अपनी पैदावार रख सकेंगे और इस प्रकार अच्छी कीमत पा सकेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : क्या जूट के व्यापार का, जो कि एक ऐसा व्यापार है, जिसमें घाटा होने की सम्भावना नहीं है, राष्ट्रीयकरण करने का विचार सरकार कर रही है ?

डा० पं० श० देशमुख : अभी तक इस सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि नार्थ बिहार के पूर्णिया इत्यादि चार-पांच ज़िलों में ज्यादा जूट होता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जूट की जो कीमत वहां पर होती है, वही दूसरे स्थानों में भी होती है, या वहां दूसरी कीमत होती है ।

डा० पं० श० देशमुख : इन कीमतों में काफी मर्तबा फर्क होता है, मगर हमारी कोशिश यह है कि वेयर हाउसिंग की व्यवस्था के जरिये हम ग्रोअर्ज को जितनी ज्यादा कीमतें दे सकें, वह दें ।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट के अनुसार जूट की कीमत कलकत्ता में ३१–०–० रुपये या ३१–८–० रुपये है, जब कि दूसरी जगहों पर वह काफी कम है, जैसे पूर्णिया में वह २७–०–०, २७–८–० रुपये है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कलकत्ता और दूसरी जगहों की कीमतों में यह चार रुपये का फर्क क्यों है, जब कि ट्रांसपोर्ट में मेरे ख्याल में एक रुपया ही लगता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डा० पं० श० देशमुख : यह बात हमें कबूल है कि जगहों-जगहों में चीजों के दामों में बहुत फर्क रहता है। इस सम्बन्ध में कोशिश हो रही है। मालूम नहीं हम कहां तक कामयाब होंगे। मगर यह हालत तो है।

श्रीमती ताकेश्वरी सिन्हा : चूंकि यह बात तय है कि जूट में बहुत ज्यादा सट्टेबाज़ी होती है और उसकी वजह से जूट बेचने वाले कृषकों को बहुत घाटा होता है, इसलिये इसको देखते हुए क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है कि देश भर में मार्कटिंग बोर्ड बना कर सरकार की तरफ से कृषकों से जूट खरीदा जाय ?

डा० पं० श० देशमुख : को-आपरेटिव मार्केटिंग और वेयर हाउसिंग की योजना हमारे सामने है, जिससे हम समझते हैं, कुछ हद तक यह मुसीबत दूर होगी और कीमतें कुछ अच्छी मिलेंगी।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या पटसन की न्यूनतम कीमत निश्चत करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : मुझे शोक है कि ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

पूंजीगत आस्तियों का विनाश

†*६९३. **श्री फीरोज गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्कलन समिति के इन परिणामों पर क्या कार्यवाही की गई है कि वर्ष १९५३–५४ और १९५४–५५ में बड़ी लाइन के डिब्बों का अनुपयोग करने से प्रति वर्ष १८ करोड़ और १०½ करोड़ रुपयों का विनाश हुआ है तथा वर्ष १९५३–५४ और १९५४–५५ में छोटी लाईन के डिब्बों का उपयोग न करने के कारण ५·५ करोड़ रुपयों की पूंजीगत आस्तियों की बरबादी हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : हानि का निर्धारण इस अभिधारण पर आधारित है कि उक्त वर्षों की व्यावहारिक अवस्था पर ध्यान दिये बिना पिछले वर्षों के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किये जा सकते थे। इस प्रकार यह निर्धारण विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक है तथापि इस बात का निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है कि युद्ध के परिणामस्वरूप होने वाली कमियों को दूर किया जाय तथा कार्य प्रवर्तन की क्षमता सुधारने की ओर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष १९५५–५६ और चालू वर्ष में प्राप्त परिणाम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कार्यवाही सफल सिद्ध हुई है।

†**श्री फीरोज गांधी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि १९५५–५६ में प्राप्त परिणाम तुलनात्मक अच्छे हैं। वस्तुतः छोटी लाइन के डिब्बों के उपयोग, प्रति डिब्बा के प्रतिदिन की यात्रा के मील के हिसाब से तथा प्रतिदिन माल ढोने के हिसाब इत्यादि से १९५५–५६ के परिणाम १९५४–५५ और १९५१-५२ से भी खराब रहे। इसके अलावा मालगाड़ी के डिब्बों में ८,००० अन्य डिब्बे और जोड़े गये ·····

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री फीरोज गांधी** : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि १९५५–५६ में की गई कार्यवाही से त्रुटियां दूर हो गईं ·· मेरा आशय है कि···

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है लेकिन प्रश्न इतना लम्बा और तर्कपूर्ण नहीं हो सकता है।

†**श्री फीरोज गांधी** : यदि आप चाहते हैं तो मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा।

रेलवे इंजन का कारखाना, गोरखपुर

†*६९४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर रेलवे इंजन के कारखाने की एक नई निर्मित दीवार ११ जुलाई, १९५६ को मजदूरों के एक दल के ऊपर गिर पड़ी;

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितनों को गम्भीर चोटें आयीं; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति को इससे कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) उक्त तारीख में बुनियाद की खाई में, बुनियाद का कंकरीट बनाने के लिये जो ईंटों की दीवार बनाई गई थी, कुछ मजदूरों के ऊपर गिर पड़ी ।

(ख) एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा दो व्यक्ति आहत हुए ।

(ग) जी, नहीं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस दीवार के गिरने के क्या कारण थे, निर्माण की खराबी थी अथवा कोई अन्य कारण था ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह पक्की दीवार नहीं थी । यह दीवार किसी को सहारा देने के लिये बनाई गई थी ।

†**डा० जयसूर्य** : क्या दीवारें गिरने के लिये बनाई जाती हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह किसी वस्तु को सहारा देने के लिये अस्थायी रूप से बनाई गई दीवार थी । रेलवे अधिकारी अथवा रेलवे प्रशासन से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति से आज्ञा लिये बिना, मजदूरों ने एक रिक्त स्थान को मिट्टी से भरने का प्रयत्न किया और यही उस दीवार के गिर जाने का कारण था ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या मृतक के बारे में कुछ प्रतिकर दिया गया था ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी हां, १,१०० रुपया प्रतिकर दिया गया है ।

†**श्री नम्बियार** : इसे रेलवे विभाग ने निर्मित किया था अथवा ठेकेदार ने निर्मित किया था ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : ठेकेदार ने निर्मित किया ।

†**श्री नम्बियार** : ठेकेदार ने कितना रुपया हड़प किया है ।

जम्मू और काश्मीर में पर्यटन

*६९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार जम्मू और काश्मीर राज्य में पर्यटन के विकास के लिये कोई योजना बना रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : दूसरी योजना काल के दौरान राज्य में पर्यटन की तरक्की के लिये योजनाओं की एक सूची तैयार की गई है जिसे योजना आयोग ने पहिले ही मंजूर कर लिया है और वह सभा-पटल की मेज पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]**

श्री रघुनाथ सिंह : आपकी सूची को मैंने बहुत गौर से देखा । शायद आपको मालूम होगा कि अमरनाथ की यात्रा के लिये हिन्दुस्तान के चारों तरफ से हजारों यात्री हर साल जाते हैं । अमरनाथ की यात्रा के वास्ते आपके विभाग ने क्या किया है ? इसमें आपकी कोई योजना नहीं है । इस यात्रा में हजारों की तादाद में गरीब, साधू, सन्यासी, ब्राह्मण जाते हैं । उनके वास्ते कोई योजना नहीं है ।

श्री शाहनवाज़ खां : इस चीज के ऊपर गौर करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या काश्मीर में पर्यटन के विकास की योजना बनाते समय सरकार ने इसका अन्य पहाड़ी सैरगाहों पर होने वाले प्रभावों पर भी विचार किया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं इस प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ सका । मेरे विचार से अन्य पहाड़ी स्थान भी इसका अनुकरण करेंगे । हम उन्हें भी यथासम्भव सुन्दर बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या अन्य पहाड़ी स्थानों के लिये भी अन्य योजनायें बनेंगी, जिससे कि अन्य पहाड़ी स्थानों के लिये भी लोगों का आकर्षण रहे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : अन्य पहाड़ी स्थानों में पर्यटन के विकास के लिये ३,३७,००,००० रुपये मंजूर किये गये हैं ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : हम सब लोग काश्मीर के पर्यटक राज्य के रूप में विकास करने का स्वागत करते हैं । क्या अन्य प्रदेशों के स्थानों तथा दक्षिण में ऊटी पर भी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार उचित ध्यान दे रही है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हम प्रत्येक ऐसे स्थान को उपयुक्त धन देने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसे कि धन दिया जाना चाहिये ।

गाड़ी में हत्या

†*६९९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर-अक्तूबर, १९५६ में पूना और बंगलौर के बीच गाड़ी में यात्रा करते हुए एक उच्च श्रेणी के यात्री की हत्या कर दी गई; और

(ख) क्या अपराधी गिरफ्तार किया गया है तथा क्या यह बात चल रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह ज्ञात हुआ है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है । रेलवे पुलिस, बेलगांव के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : १९५६ में रेलवे में अपराधों की संख्या बढ़ी है कि घटी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल दूसरी बात है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार उस व्यक्ति का नाम बतायेगी ? क्या उसके परिवार को कुछ प्रतिकर दिया गया तथा उनकी हत्या किस स्थिति में हुई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : परिस्थिति इत्यादि की जांच की जा रही है । वह व्यक्ति कौन था इस सम्बन्ध में हम किस प्रकार दिलचस्पी ले सकते हैं ? जो प्रश्न भी पूछा जाय वह सार्वजनिक महत्व का होना चाहिये ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यदि आप चाहें तो मैं उनका नाम बता सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : प्रतिकर के सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यथासमय सब कुछ हो जायेगा । माननीय सदस्य का समय सीमित है ।

†**श्री वेलायुधन** : वे उत्तर देने को प्रस्तुत हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यद्यपि माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर देने को प्रस्तुत हैं तो भी मैं उन्हें प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा। अभी कई प्रश्न पड़े हैं।

†**श्री वेलायुधन** : हमें गाड़ी में यात्रा करनी पड़ती है और यदि इस प्रकार की दुर्घटनाये होती रहीं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य की हत्या नहीं होगी। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि कम से कम आधे प्रश्न निपट जायें, हम अभी तक ऐसा नहीं कर पाये हैं।

मद्रास में भारतीय नाविकों का होस्टल

†*७०१. **श्री ब० कु० दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाविकों का होस्टल मद्रास में निर्मित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या किसी सरकारी संगठन ने कुछ चन्दा दिया है;

(घ) होस्टल में कितना स्थान है; और

(ङ) होस्टल का प्रभारी कौन है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (घ). होस्टल के बनने पर ४ लाख रुपया व्यय होगा तथा उसमें १५० नाविक रह सकेंगे।

(ग) एक लाख रुपये का चन्दा एकत्र कर लिया गया है।

(ङ) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्थान होगा ?

†**श्री अलगेशन** : अभी एक किराये के मकान में १०० व्यक्तियों के स्थान की व्यवस्था है। निर्माण हो जाने पर नये स्थान में १५० व्यक्तियों की व्यवस्था हो सकेगी। मुझे आशा है कि इससे आवश्यकता पूरी हो सकेगी।

†**श्री वेलायुधन** : क्या इन नाविकों से कुछ किराया लिया जाता है तथा क्या भोजन सरकारी सहायता के आधार पर दिया जाता है।

†**श्री अलगेशन** : नाम मात्र का किराया लिया जाता है तथा भोजन भी सस्ते दर से दिया जाता है।

रूसी सहकारी संस्थाओं का अध्ययन

†*७०५. { **श्री नेत्तूर प० दामोदरन**+ :
श्री वोडयार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने रूसी सहकारी संस्थाओं के कार्यों से परिचय पाने की दृष्टि से रूस की यात्रा की थी; और

(ख) क्या प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी नहीं।

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) अभी नहीं ।

†श्री नेत्तूर प० दामोदरन् : क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था ?

†डा० पं० श० देशमुख : जी हां ।

†श्री नेत्तूर प० दामोदरन् : प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य कौन थे, और वे किस आधार पर चुने गये ?

†डा० पं० श० देशमुख : रूस की उपभोक्ता सहकारी समितियों की केन्द्रीय परिषद से एक निमंत्रण प्राप्त हुआ था । वह अखिल भारतीय सहकारी संघ के नाम था । संघ ने सरकार का सहयोग प्राप्त करना चाहा । खाद्य तथा कृषि मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल का चुनाव किया । उसमें निम्नलिखित व्यक्ति थे ।

मैं उस प्रतिनिधि मंडल का नेता था । श्री श्यामनन्दन सहाय संसद् सदस्य; अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष, श्री ब्रह्म प्रकाश, पुराने दिल्ली राज्य के विकास मंत्री, श्री बी० आर० कृष्णनन् एजुथाचन्, अवनिसारी, त्रिचूर, राणा फतह सिंह सदस्य विधान सभा, मेरठ, उत्तर प्रदेश भी प्रतिनिधि-मंडल का सदस्य था ।

†श्री बोगावत : क्या सरकार को ज्ञात है कि चीन के सहकारी संघों में फसल की पैदावार तिगुनी हो गई है । क्या भारत में भी जहां कृष्य भूमि चीन के बराबर है यथासम्भव शीघ्र सहकारी तरीकों को अपनाया जायेगा ?

†डा० पं० श० देशमुख : प्रश्न रूस से सम्बन्धित है । चीन के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्य की बात बिल्कुल ठीक नहीं है । सारा विकास सहकारिता से ही संभव नहीं हुआ तथापि उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें सत्य का कुछ अंश अवश्य है ।

†श्री विभूति मिश्र : मंत्री जी को हिन्दुस्तान का अनुभव है । यू० एस० एस० आर० की को-आपरेटिव सोसाइटीज़ को देखने के बाद वह हिन्दुस्तान में कौन-सा सुधार करने जा रहे हैं ? उनके मुख्य सुधार क्या हैं ?

डा० पं० श० देशमुख : यह तो रिपोर्ट आने के बाद देखा जायेगा ।

विश्व डैरी (गव्यशाला) कांग्रेस

†*७०८. { सरदार अकरपुरी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष सितम्बर मास में रोम में हुई विश्व डैरी कांग्रेस में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) किन विषयों में भारत ने विशेष दिलचस्पी ली ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) जिन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई, वे इस प्रकार हैं । (१) पीने के लिये दूध का उत्पादन और वितरण, (२) डैरी की वस्तुओं के निर्माण के टेक्नीकल और आर्थिक पहलू और (३) डैरी की वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री के सम्बन्ध में विधान, प्रकार, नियंत्रण तथा विश्लेषणात्मक तरीके ।

(ग) भारत उपर्युक्त सभी विषयों में दिलचस्पी रखता था तथापि भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने पीने के लिये तरल रूप में दूध के उत्पादन तथा वितरण पर विशेष ध्यान दिया ?

†मूल अंग्रेजी में ।

सरदार अकरपुरी : क्या गवर्नमेंट ने इस ज्ञान से फायदा उठाकर हिन्दुस्तान में कहीं कोई काम शुरू किया है ?

डा० पं० श० देशमुख : हमारे एक्सपर्ट वहां गये थे और वह वहां से जो ज्ञान लाये हैं उसका हम जरूर इस्तेमाल करेंगे और उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ।

ठंडे रेल डिब्बे

†*७१०. { **डा० रामा राव** :
श्री मोहन राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में कितने ठंडे डिब्बे हैं;

(ख) दक्षिण रेलवे में कितने ठंडे डिब्बे हैं;

(ग) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे से इन डिब्बों के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(घ) क्या वे डिब्बे दे दिये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) केवल एक । २७ विसंवाहित डिब्बे भी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ ठंडे डिब्बों को दक्षिण रेलवे में मछली तथा अन्य खराब होने वाली वस्तुओं के लिये प्रयोग के रूप में चलाने का विचार किया है । अन्य खराब होने वाली वस्तुओं के लिये ठंडे डिब्बों की व्यवस्था इस प्रयोग के परिणामों पर निर्भर करती है ।

†**डा० रामा राव** : रेलवे प्राधिकारियों ने जिन ठंडे डिब्बों का वचन दिया था उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : हम बड़ी लाइन के छः ठंडे डिब्बे प्राप्त करने का प्रबन्ध कर रहे हैं परन्तु वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं इसके अतिरिक्त खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का भी २० डिब्बे प्राप्त करने का विचार है ।

†**डा० रामा राव** : क्या हम यह डिब्बे आयात करेंगे या इन्हें हमारी कर्मशालाओं में ही बनाया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : हमें यह डिब्बे बाहर से ही मंगवाने होंगे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये विशेष कर मछली और फल परिक्षण उद्योग के लिये ठंडे डिब्बों की आवश्यकता का निर्धारण किया है और यदि हां, तो आगामी पंचवर्षीय योजना में कितने डिब्बे प्राप्त किये जा सकेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : मोटे तौर पर निर्धारण किया गया था और रेलवे विभाग को अपनी आवश्यकताओं के आंकड़े बनाने के लिये कहा गया था । रेलवे विभाग ने अपनी आवश्यकतायें बताई थीं परन्तु अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि देश में कितना यातायात होगा और इसकी कितनी प्रगति हो सकेगी । अतः हम जो प्रयोग कर रहे हैं उससे यह सिद्ध हो जायेगा कि इस प्रकार के परिवहन की कितनी आवश्यकता है और आवश्यकता है भी या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

नल-कूप सम्बन्धी सामान

*७११. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मे के सामान को तेज़ी से प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिये अमरीका भेजा गया नल-कूप परियोजना प्रशासक अब भारत लौटा है ;

(ख) यदि हां, तो वह वहां कितने समय तक रहा और वहां उसने कुल कितने मूल्य का सामान खरीदा; और

(ग) क्या यह सामान भारत में आ भी चुका है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) : (क) वह अप्रैल, १९५५ में वापिस आयेगा ।

(ख) वह अफसर यू० एस० ए० में एक महीना ठहरे । उन्हें सिर्फ इसलिये भेजा गया था कि वाशिंगटन स्थित इंडिया सप्लाई मिशन को प्रारम्भिक काम में मदद दें और यू० एस० ए० सरकार की डालर सहायता से गवेषणात्मक नल-कूपों का तकरीबन डेढ़ मिल्यन डालर्स की कीमत का सामान हासिल करने में उसे शीघ्रता करायें। उन्होंने खुद कोई भी सामान हासिल नहीं किया ।

(ग) जी हां ।

श्री खू० चं० सोधिया : यह जो सामान आ गया है, उसका उपयोग कब से शुरू होगा ?

डा० पं० श० देशमुख : उसका उपयोग काफी दिन से शुरू हो गया है, एक या सवा साल हो गया ।

†**श्री कामत** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने और किन-किन राज्यों में परीक्षात्मक कार्य किया गया और इन प्रयोगात्मक अथवा परीक्षात्मक छेदों में से कितने प्रतिशत छेद उत्पादन नल-कूपों में परिवर्तित करने के उपयुक्त पाये गये ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इसका सम्बन्ध एक पदाधिकारी को अमरीका भेजने के बारे में है न कि इस नल-कूप कार्य से ।

†**श्री कामत** : इस समय आपके पास जानकारी नहीं है । कोई बात नहीं है ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : जिन स्थानों पर नल-कूप लगाना सम्भव नहीं है वहां सरकार क्या करना चाहती है ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : वहां तालाब और साधारण कुओं आदि के साधन प्रयोग में लाये जा सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

समुद्रीय इंजीनियर

†*७१३. **श्री पुन्नूस** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख पत्तनों से सम्बन्धित समुद्रीय इंजीनियरों के पदक्रम, वेतनक्रम और सेवा सम्बन्धी विनियमों में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर का ब्योरा क्या है;

(ग) इसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार तट पर कार्य करने वाले समुद्रीय इंजीनीयरों की सेवा की शर्तें, वेतन आदि में सुधार कर के उन्हें तलकर्षणों का कार्य करने वालों के बराबर लाने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१**]

(ग) इन पदों की जिम्मेदारियां और कार्य प्रत्येक पत्तन पर भिन्न-भिन्न हैं ।

(घ) यह तो स्पष्ट ही है कि तट पर काम करने वाले समुद्रीय इंजीनियरों से उनका अभिप्राय है जो कि पत्तनों के यांत्रिक इंजीनियरिंग विभागों में काम करते हैं, और जिनकी विशेष समुद्रीय इंजीनियरिंग सम्बन्धी योग्यतायें तलर्कषणों और पत्तनों में चलने वाले अन्य जहाजों पर काम कर रहे इंजीनियरों से भिन्न हैं । पहले वालों के वेतनक्रम दूसरों की अपेक्षा अधिक हैं ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या सरकार को कोचीन पत्तन के समुद्रीय इंजीनियरों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कि उन्होंने अपनी कठिनाइयों का उल्लेख किया हो, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता; इसके लिये मुझे अलग नोटिस की मांग करनी होगी ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन के सहायक इंजीनियरों और कार्यपालिका इंजीनियरों के वेतनक्रम विशाखापटनम्, बम्बई और कलकत्ता में दिये जाने वाले वेतनक्रम से कम है, यद्यपि उनका अनभव और योग्यतायें एक जैसी ही हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं तुलनात्मक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता; परन्तु मैंने अपने उत्तर में बताया है कि क्योंकि प्रत्येक पत्तन पर स्थिति एक जैसी नहीं है, इसलिये वेतनक्रमों में कोई एकरूपता लाना सम्भव नहीं है । इन अधिकारियों के वेतनक्रमों में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार किया गया था, परन्तु यह देखा गया कि ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन** : विवरण में 'कलकत्ता' के आगे "२५ रुपये मासिक वर्दी भत्ता" लिखा है । क्या यह नियम है कि वरिष्ठ इंजीनीयर को २५ रुपये मासिक वर्दी भत्ता दिया जाय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ लिखा है यही है ।

†**श्री वेलायुधन** : यहां तो यही कहा गया है : "२५ रुपये मासिक वर्दी भत्ता" क्या यह प्रति वर्ष दिया जाता है या प्रति मास ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य जानना क्या चाहते हैं । विवरण में कहा गया है कि २५ रुपये का वर्दी भत्ता उनको प्रति मास दिया जाता है । क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह वर्दी क लिये है और प्रति मास दिया जाता है ?

†**श्री वेलायुधन** : मैं जानना चाहता हूं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछ चुके हैं, मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री वेलायुधन** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे महत्व का पता है, माननीय सदस्य स्पष्ट शब्दों के अर्थ पूछ रहे हैं । हम अगले प्रश्न को लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री त० ब० विट्ठल राव; श्री राम कृष्ण, दोनों अनुपस्थित हैं।

†**श्री कामत** : निवेदन है कि इस मामले का सामयिक महत्व होने के कारण, इस प्रश्न का सीधे ही उत्तर दे दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, महत्वपूर्ण होने के कारण इसका उत्तर दे दिया जाय।

हैदराबाद रेलवे पुल निरीक्षण समिति

†*७१४. { **श्री त० ब० विट्ठल राव** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद विभाग के पुलों का निरीक्षण करने के लिये विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) निर्देश-पद क्या हैं;

(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वह रिपोर्ट किस प्रकार की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२**]

(घ) अभी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

†**श्री नम्बियार** : क्या इस समिति के सदस्य वरिष्ठ इंजीनियर हैं अथवा थोड़ी सेवा वाले कनिष्ठ इंजीनियर हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस समिति के तीन सदस्य हैं। सभापति पश्चिमी रेलवे के एक सेवा-निवृत मुख्य इंजीनियर हैं। वह आजकल मैसर्स हिन्द कंसट्रक्शन्स लिमिटेड, कलकत्ता में काम कर रहे हैं। श्री पी० आर० आहुजा है, जो केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधीक्षक इंजीनियर है। तीसरे सदस्य श्री ए० वी० डीकोस्टा हैं, जो कि मध्य रेलवे के उपमुख्य इंजीनियर हैं।

†**श्री कामत** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल ही में हुई अडियालूर की दुर्घटना भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के बाहर हुई थी, इसलिये क्या सरकार समूचे देश के समस्त पुलों का निरीक्षण करने के लिये एक नई समिति नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है, अथवा क्या इसी समिति को यह कार्य भी करना है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : समस्त रेलों के मुख्य इंजीनियरों को इस सम्बन्ध में पूरी जांच करने और यह पता लगाने के लिये, कि सभी पुल ठीक टाक अवस्था में हैं, कहा गया है। इस समिति का तो काम उतना ही है जो कि इसे दिया गया है।

†**श्री कामत** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आजकल देश में विभिन्न पदों पर कई विदेशी इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, क्या सरकार हमारे देश के पुलों के निरीक्षण के मामले में भी उनमें किसी को सम्बद्ध करने की प्रस्थापना करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : क्यों कि हमारे इंजीनियर इस प्रकार का काम करने के पूर्णरूप से उपयुक्त हैं, इसलिये मेरे विचार से इसकी आवश्यकता नहीं है।

†**श्री कामत** : परन्तु सिद्ध तो इसके विपरीत हुआ है।

†**डा० जयसूर्य** : क्या श्री डीकोस्टा चालू लाइनों के इंजीनियर हैं अथवा लोको इंजीनियर हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं हैं, परन्तु यदि माननीय सदस्य को रुचि हो तो मैं उन्हें यह सूचना दे दूंगा।

गज़टीयरों का प्रकाशन

†*७१६. { **श्री डाभी** :+
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक स्टेशन पर दी जा रही सुविधाओं के विवरण के सहित अन्य संगत सूचना देने वाले गज़ेटीयरों की तैयारी में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : रेलवे ने अपेक्षित आंकड़े एकत्रित करने आरम्भ कर दिये हैं, परन्तु एकत्रित की जाने वाली वास्तविक जानकारी का परिमाण अधिक होने के कारण काम के समाप्त होने में कुछ समय लगेगा।

†**श्री डाभी** : क्या इनके प्रकाशन के लिये सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमने सभी रेलवेज को एक पत्र लिख कर बता दिया है कि क्या करना है।

राष्ट्रीय निर्माण निगम

†*७१७. { **श्री दी० चं० शर्मा** :+
श्री राम कृष्ण :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री ल० ना० मिश्र :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय निर्माण निगम की स्थापना करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत भारत में नदी घाटी परियोजनाओं को चलाने के लिये एक राष्ट्रीय निर्माण निगम की स्थापना करने का निश्चय किया है। निगम की नाम मात्र पूंजी, जो कि लगभग दो करोड़ रुपये होगी, केन्द्र और भाग लेने वाले राज्यों द्वारा दी जायेगी। प्रारम्भ में, यह निगम केवल दो अथवा तीन परियोजनाओं का काम संभालेगा ताकि अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिये संगठन का विकास करने के हेतु उसे समय मिल जाये। संथा के अन्तर्नियमों तथा संस्था के सीमा नियम को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जान की आशा है। एक विशेष अधिकारी, उपविधियां बनाने, अधिकारियों और कर्मचारियों का

†मूल अंग्रेजी में।

चुनाव करने, मशीनरी का प्रबन्ध करने आदि के लिये नियुक्त किया गया है, ताकि यह निगम अपनी स्थापना के तुरन्त बाद ही ठीक तरह से काम करना आरम्भ कर दे। सम्बद्ध राज्यों के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि निगम अपने सर्व प्रथम कार्य के रूप में चम्बल परियोजना की नहरें बनाने का कार्य आरम्भ करे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वेल्लोर-कांचीवरम रेलवे लाइन

†*६७७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा किया जा रहा वेल्लोर-कांचीवरम के बीच ४४ मील लम्बे मीटर गेज रेल मार्ग यातायात सर्वेक्षण समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). यातायात सर्वेक्षण तो समाप्त हो गया है, परन्तु दक्षिण रेलवे प्रशासन से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†*६७८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था ने किसी फटकने के पंखे का डिजाइन बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषकों के लिये उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली और दिल्ली के ग्रामों में गहन कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत। प्राकृतिक पवन के अभाव में, यह पंखा गेहूं से भूसा अलग करने में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ है।

ढोर

†*६७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें संसद् के ८१ सदस्यों की ओर से एक ज्ञापन मिला है जिसमें ढोरों की सुरक्षा परिरक्षण तथा सुधार के बारे में असंतोषजनक स्थिति पर उनका ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन पर विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

परिवहन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड

†*६८६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय परिवहन बोर्ड के मुख्य कृत्य क्या हैं; और

(ख) १९५६ में उसकी कुल कितनी बैठकें हुईं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) केन्द्रीय परिवहन बोर्ड के मुख्य काम यह हैं कि वह सभी प्रकार के परिवहन में अधिकतम समन्वय करे तथा परिवहन योजनाओं का एकीकरण करे और देश के आर्थिक विकास की योजनाओं के साथ-साथ उन्हें क्रियान्वित करे।

(ख) कोई नहीं किन्तु केन्द्रीय परिवहन बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक महीने में एक बार होती है। अब तक इसकी कुल सात बैठकें हुई हैं।

परिवार आयोजन अनुदान समिति

†*६९१. **श्री भीखा भाई** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १३ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परिवार आयोजन बोर्ड ने देश के पिछड़े भागों में परिवार आयोजन सम्बन्धी शिक्षा के प्रसार के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) क्या ऐसी समितियों पर काम करने के लिये पिछड़े क्षेत्रों तथा आदिमजाति क्षेत्रों के कोई प्रतिनिधि चुन लिये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) परिवार आयोजन बोर्ड ने इस प्रश्न पर अपनी २७ अक्तूबर, १९५६ की बैठक में विचार किया था। बोर्ड ने सिफारिश की कि इन क्षेत्रों के लिये गृह-कार्य मंत्रालय से सलाह करके एक योजना बनाई जाय।

(ख) जी, नहीं। परिवार आयोजन बोर्ड के सदस्य किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष आबादी के हिस्से के आधार पर नहीं चुने गये।

रेलवे टिकटों पर तारीख की मोहर लगाना

*६९२. **श्री रा० न० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे टिकटों पर अब केवल तारीख की ही मोहर लगाई जाती है, गाड़ी के समय की मोहर नहीं लगाई जाती;

(ख) क्या सरकार को पता है कि टिकटों पर केवल तारीख की मोहर लगाने से लोग आस-पास के स्टेशनों के लिये उनका प्रयोग दुबारा या तिबारा किया करते हैं; और

(ग) पहले टिकटों पर समय की जो मोहर लगाई जाती थी उसको अब नहीं लगाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ग). सभा-पटल पर एक बयान रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]**

(ख) जी हां, इस तरह के कुछ मामले नोटिस में आये हैं।

रेलवे में यातायात का केन्द्रीकृत नियंत्रण

†*६९५. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि रेलवे पर दोहरी लाइनें बिछाने के स्थान पर यातायात के केन्द्रीकृत नियंत्रण की योजना लागू की जाये;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या रेलवे के कुछ अधिकारी उस नये सिगनेलिंग तरीके का अध्ययन करने के लिये जापान भेजे गये हैं जिससे दोहरी लाइनों की आवश्यकता नहीं रहती और जिस पर व्यय भी कम होता है; और

(ग) क्या सरकार अब भी विशेषतया प्रस्थापित यातायात के केन्द्रीकृत नियंत्रण तथा सिगनेलिंग के नये तरीके के होते हुए भी, नागपुर तथा कलकत्ता के बीच दोहरी लाइन बिछाने के निर्णय को क्रियान्वित करने का विचार कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कलकत्ता तथा नागपुर विभाग के कुछ स्थानों पर अर्थात् कलकत्ता तथा मनोहरपुर के बीच पहले से ही दोहरी लाइन बिछा दी गई है । मनोहरपुर तथा द्रुग के बीच इकहरी लाइन के स्थान पर दोहरी लाइन बिछाई जा रही है । द्रुग-नागपुर के बीच दोहरी पटरी बिछाने के प्रश्न की जांच की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि प्रत्याशित यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दोहरी लाइन बिछाने के अतिरिक्त कोई दूसरे तरीके भी अपनाये जा सकते हैं या नहीं ।

राज्य-सहकारी बैंक

†*६९६. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कौन-कौन से राज्यों ने रुपया उधार लेने वालों से ली जाने वाली व्याज की अधिकतम दर के सम्बन्ध में रक्षित बैंक की सलाह नहीं मानी है;

(ख) इस बात का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि प्रत्येक राज्य ६½ प्रतिशत की दर पर व्याज का विनियमन करे;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य-सहकारी बैंक भारत के रक्षित बैंक द्वारा उन्हें दी गई राशि को कम व्याज पर देने का प्रयोजन ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वे केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिये औसत व्याज मिला देते हैं; और

(घ) यह क्यों सम्भव नहीं है कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि राज्य-सहकारी बैंकों की सिफारिश पर सहकारी बैंकों को सीधे ही दिया जा सके और उनसे ही वसूल किया जा सके जिससे समय की बचत भी हो जाये तथा बीच के लोगों पर होने वाली अतिरिक्त लागत भी कम हो जाये ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : (क) आन्ध्र, बम्बई, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य ।

(ख) ये उपाय किये गये हैं :

(१) रक्षित बैंक शीर्ष सहकारी बैंकों को बैंक दर से २ प्रतिशत कम की रियायती दर पर अल्प-कालीन ऋण देता है ।

(२) रक्षित बैंक राज्य सरकारों को दीर्घ-कालीन ऋण रियायती दरों पर देता है, जिससे कि राज्य सरकारें सहकारी ऋण संस्थाओं के अंश खरीद सकें; और

(३) सरकार, सहकारी ऋण संस्थाओं के बनने की तारीख से पहले तीन वर्षों तक अतिरिक्त प्रबन्धक कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के लिये सहायता देती है ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) भारत के रक्षित बैंक अधिनियम के अधीन, रक्षित बैंक सहकारी बैंकों को केवल राज्य-सहकारी बैंकों द्वारा ही ऋण आदि दे सकता है ।

नदी घाटी परियोजनायें

†*६९७. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन नदी घाटी परियोजनाओं पर कार्य करने के लिये सहकारी ढंग प्रयोग किया जा रहा है अथवा उस ढंग के प्रयोग किये जाने का विचार है; और

(ख) प्रत्येक मामले में सहकारी ढंग से किस प्रकार का काम किया जायेगा और कितनी लागत का काम होगा ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). कोसी परियोजना पर किनारों पर मिट्टी का काम जो लगभग ५० लाख की लागत का है, चम्बल परियोजना पर नहरों के किनारे मिट्टी का काम तथा कुछ क्वार्टर निर्माण करने का काम जो कि १·५ लाख रुपये की लागत का है, और नागार्जुन सागर बान्ध परियोजना की नहरों पर मिट्टी का काम जो कि लगभग २० लाख रुपये का है ।

कृषि नेता अध्ययन परियोजना

†*७००. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अमेरिका में कृषि नेता अध्ययन परियोजना १९५७ के लिये विभिन्न राज्यों से आवेदन पत्र मांगे हैं; और

(ख) क्या मनीपुर के कृषि निदेशक ने भारत सरकार को मनीपुर सरकार के द्वारा यह सूचना दी है कि मनीपुर में कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)**: (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । भारत सरकार को मनीपुर क कृषि निदेशक से कोई सूचना मनीपुर सरकार के द्वारा नहीं मिली । मनीपुर सरकार ने बताया है कि उनके पास इस प्रकार भेजने के लिये कोई व्यक्ति नहीं है ।

सुल्लाह रेलवे स्टेशन

†*७०२. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी विभाग पर सुल्लाह के स्थान पर एक स्टेशन बनाये जाने की मंजूरी १९५५ में दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्रियान्वित करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सुल्लाह स्थान पर एक फ्लैग स्टेशन बनाने की प्रस्थापना पर रेलवे बोर्ड ने अप्रैल, १९५६ में मंजूरी दी थी ।

(ख) प्रस्थापना को क्रियान्वित करने में देरी मुख्यतया प्राविधिक कारणों से है, अर्थात् ४० में से १ के ढलान वाले स्थान पर स्टेशन की स्थापना करना जिसक लिये रेलवे निरीक्षक की मंजूरी की आवश्यकता होती है—जिसके लिये आवेदन दे दिया गया है और ज्यों ही मंजूरी मिल जायेगी, काम आरम्भ कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जंकमपेट (आन्ध्र) में चीनी का सहकारी कारखाना

†*७०३. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये आन्ध्र राज्य में जंकमपेट के स्थान पर चीनी का एक नया सहकारी कारखाना खोले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में प्रतिदिन कितना गन्ना पेरा जा सकेगा;

(ग) कारखाने की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार कितनी राशि देगी ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** (क) जंकमपेट में सहकारी चीनी का कारखाना खोले जाने के लिये आज्ञप्ति लेने के लिये अभी तक कोई आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आणविक विकिरण का मामला

†*७०४. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट जार्ज अस्पताल बम्बई में एक नाविक पड़ा है जिसका मुख विकृत है और शरीर शनै-शनै क्षीन हो रहा है; और

(ख) क्या वह शांत सागर में हुए उद्जन बमों के परीक्षणों के परिणामस्वरूप आणविक विकिरणों द्वारा प्रभावित हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य गोआ के एक नाविक श्री सेवेस्टियन करनेन्डीज का उल्लेख कर रहे हैं जो बम्बई के सेन्ट जार्ज अस्पताल में एक्सकोलियेटिव उर्मेटाइटिस नामक रोग का इलाज करा रहा है । सरकार द्वारा की गई जांच से ज्ञात हुआ है कि वह रोग आणविक विकिरण के कारण नहीं है । इस बात में भी कोई सचाई नहीं है कि नाविक का चेहरा विकृत है ।

वाल्टेयर तथा राजामुन्द्री के बीच दोहरी लाईन

†*७०६. **श्री मोहन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाल्टेयर तथा राजामुन्द्री के बीच दोहरी लाईन बिछाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण का काम कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) कुछ हिस्से पर दोहरी लाईन बिछाने की प्रस्थापना की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कम्पाउन्डर

†*७०७. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** :
श्री राधा रमण :

क्या **रेलवे** मंत्री १६ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७८ तथा २५ अगस्त, १९५६ क तारांकित प्रश्न संख्या १४२६ क उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज जांच समिति तथा भारतीय भषज परिषद् की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या सरकार को पता है कि अन्तिम निर्णयों में देर हो जाने के कारण रेलवे कम्पाउन्डर अभी तक कठिनाई में हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख). मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

कटिहार-बरसोई लाईन

†*७०९. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री १६ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार तथा बरसोई के बीच दोहरी लाईन बिछाने के बारे में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा तैयार किया गया सर्वेक्षण प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड को मिल गया है और उस पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सर्वेक्षण प्रतिवेदन अभी नहीं मिला ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण रेलवे सेवा आयोग

†*७१२. **श्री वीरस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों की भर्ती के बारे में दक्षिण रेलवे सेवा आयोग स्थान सुरक्षित रखने सम्बन्धी नियमों का पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यर्थी न मिलने पर रक्षित स्थानों पर किस प्रकार नियुक्ति की जाती है; और

(ग) क्या यह सच है कि कई श्रेणियों में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित कितने ही स्थान खाली हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी नियुक्त किये जाते हैं और यदि वे भी न मिलें तो अन्य जातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है । एक वर्ष में जिन रक्षित स्थानों पर नियुक्ति नहीं होती है वे अगले वर्ष के कोटे में जोड़ दिये जाते हैं तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भरती इनमें की जाती है परन्तु जो स्थान फिर भी खाली रह जाते हैं वे दो वर्ष के पश्चात् अरक्षित समझे जाते है ।

भारतीय रेलों पर बिजली से रेलें चलाने की व्यवस्था

†*७१५. **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री राम कृष्ण :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **रेलवे** मंत्री ६ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच फ्रांसीसी इंजीनियरों ने भारत में नई रेलवे लाईनों पर बिजली से रेलें चलाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). जी, हां । प्रविधिक तथा वित्तीय दोनों पहलुओं से मामले पर विचार किया जा रहा है ।

स्कूलों में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा

†*७१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण-पूर्व एशिया प्रादेशिक समिति के कुछ दिन पूर्व दिल्ली में हुए सम्मेलन में स्कूलों में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा के प्रश्न पर चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो भारत के बारे में क्या निर्णय किये गये थे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से निम्न प्रकार से क्षमता सहायता लेने का निर्णय किया है:—

(१) एक स्वास्थ्य शिक्षा की नियुक्ति;
(२) सम्भरण तथा उपकरण की जिम्मेदारी;
(३) स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षण की अन्तर्राष्ट्रीय पारिषघता की व्यवस्था ।

तुंगभद्रा उच्च तलीय नहर

†*७१९. **श्री का० सु० राव** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार, तुंगभद्रा उच्च तलीय नहर के लिये लगभग कितना अग्रिम धन देगी;

(ख) लगभग किस समय तक यह पूर्ण हो जायेगी; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य में इससे लगभग कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तुंगभद्रा उच्च तलीय नहर के लिये ६·२ करोड़ रुपये (आन्ध्र के लिये ५·२ करोड़ तथा मैसूर के लिये एक करोड़) का कुल उपबन्ध किया गया है । अभी इसका निर्णय नहीं किया गया है कि केन्द्रीय सरकार इस धनराशि का कितना अंश देगी ।

(ख) और (ग). पूर्ण होने की अवधि तथा सिंचाई होने वाले क्षेत्र पर अभी निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि परियोजना प्रतिवेदन का अभी पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

तेलीचेरी तथा कुर्ग रेल-सम्पर्क

†*७२०. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री नम्बियार :
श्री नेत्तूर प० दामोदरन् :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेलीचेरी, कुर्ग तथा मैसूर के बीच रेल-सम्पर्क बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) अभी नहीं। सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

रामगंगा पर सड़क का पुल

*७२१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री ३ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद के निकट रामगंगा पर सड़क के एक पुल के निर्माण की योजना के बारे में, जो पिछले कुछ समय से विचाराधीन थी, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : मुरादाबाद के पास रामगंगा पर एक अलग पुल बनाने का फैसला किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य और पानी की ताकत की बाबत सामग्री को इकट्ठा करना शुरू कर दे। उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी कहा गया है कि पुल तक पहुंचने वाली सड़कों के लिये जितनी बाकी जमीन की जरूरत है उसको हासिल करने के लिये भी कार्रवाई शुरू कर दें ।

भूमिहीन खेतिहर मजदूर

*७२२. **श्री विभूति मिश्र** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री नि० बि० चौधरी :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री झुनझुनवाला :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पुनर्वास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजनायें बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूप रेखा क्या है और उन पर कितनी राशि व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४]**

दक्षिण रेलवे के रेलवे कर्मचारी

†*७२३. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिचनापली के यातायात लेखा विभाग के २०० क्लर्कों की सेवा को 'खण्डित सेवा' मान लिया गया है क्योंकि ५ अप्रैल, १९५६ को जब लेखा पदाधिकारी वहां थे, तब उन्होंने उनको व्यक्तिगत रूप से अभ्यावेदन देने का कथित अपराध किया था;

(ख) क्या पदाधिकारी को दिया गया अभ्यावेदन कार्यालय के शेड सुधारने और इसलिये था कि विशेषतया ग्रीष्म ऋतु में क्लर्क काम कर सकें; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) इस दण्ड के विरोध में किये गये अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री** (**श्री शाहनवाज़ खां**): (क) जी, नहीं । व्यक्तिगत रूप से अभ्यावेदन देने के परिणामस्वरूप सेवा खण्डित नहीं हुई ।

(ख) जी नहीं, कर्मचारियों ने मांग की थी कि उनको एकदम ब्लाक से हटा देना चाहिये ।

(ग) सरकार ने सेवा खण्डन को क्षमा कर दिया है ।

बिहार में जमीन के नीचे के पानी को खोजने का कार्य

†*७२४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जमीन के नीचे के पानी को खोज़ने के कार्यक्रम पर काम प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य उपमंत्री** (**श्री मो० वे० कृष्णप्पा**): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सांश्लेषिक तेल परियोजना

†*७२५. **पं० द्वा० ना० तिवारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सांश्लेषिक तेल परियोजना पर विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) क्या कारखाने को बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

†**योजना उपमंत्री** (**श्री इया० न० मिश्र**) : (क) और (ख). विशेषज्ञ समिति के परीक्षात्मक निर्णयों की प्रारम्भिक जांच की गई थी परन्तु योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में उपबन्ध कम करने के आधार पर, इस योजना को सम्मिलित करना सम्भव नहीं था ।

होटल प्रशिक्षण संस्था

†*७२६. { **श्री रा० प्र० गर्ग** :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक होटल प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का विचार कर रही है जिसके द्वारा होटल उद्योग की बढ़ोतरी के लिये प्रशिक्षित प्रबन्धकों की व्यवस्था की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश होटल तथा भोजन व्यवस्था विशेषज्ञ को सरकार ने देश के पर्यटन योग्य मुख्य केन्द्रों को देखने तथा प्रशिक्षण संस्था के लिये उपयुक्त स्थान के चुनाव के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये आमन्त्रित किया है; और

(ग) क्या संस्था गैर-सरकारी उपक्रम के सहयोग से चालू होगी अथवा पूर्णत: सरकारी उपक्रम होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री** (**श्री अलगेशन**) : (क) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां । विशेषज्ञ प्रस्तावित संस्था की स्थापना की योजना भी बनायेगा ।

(ग) विशेषज्ञ का प्रतिवेदन मिलने पर मामले पर विचार होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

धान की खेती का जापानी ढंग

†*७२७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में धान की खेती के जापानी ढंग को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**कृषि मंत्री (श्री पं० श० देशमुख)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]**

दिल्ली में परिवहन सुविधायें

†*७२८. **श्री भोखा भाई** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में परिवहन प्रबन्ध जनता की आवश्यकता से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि नगरपालिकाओं से कहा जाय कि वे दिल्ली में ऑटो-रिक्शा, तांगा तथा टैक्सी की अधिक अनुज्ञप्तियों जारी करें ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) जी, हां ।

(ख) जहां तक ऑटो-रिक्शा तथा टैक्सियों का सम्बन्ध है, राज्य परिवहन प्राधिकार उदारता से अनुमति पत्र दे रहा है । टांगों की संख्या बढ़ाना उचित नहीं समझा गया क्योंकि उनसे यातायात और सफाई की समस्या उठ खड़ी होती है ।

सड़क परिवहन

†*७२९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन विकास की मुख्य नीति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित कराया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों से माल परिवहन के सम्बन्ध में अपनी अनुज्ञप्ति नीतियों को उदार करने की प्रार्थना की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) जी हां, योजना आयोग ने कुछ दिन पूर्व राज्य सरकारों का ध्यान सितम्बर, १९५४ में जारी किये गये अपने पहले पत्र की ओर दिलाया था जिस में आयोग ने योजना के अधीन सड़क परिवहन की मूल नीति पर सिफारिशें की थीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पहले यह निर्णय किया गया था कि १९६१ में, अर्थात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, योजना में माल परिवहन सेवा के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना सम्मिलित नहीं करनी चाहिये । योजना आयोग का विचार था कि उचित प्रोत्साहन से इस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र से भी पर्याप्त विनियोजन हो सकता है ।

गंगा पर पुल

†*७३०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोकामा में गंगा नदी पर रेल और सड़क का पुल कहां तक तैयार हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: काम में कुल ४५ प्रतिशत प्रगति हुई है। प्रगति के ब्योरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]**

बीज प्रमाणन केन्द्र

†*७३१. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १३ सितम्बर १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरकारी के बीजों के लिये प्रमाणन केन्द्र स्थापित करने की विस्तृत योजनायें शेष राज्यों से प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)**: (क) पंजाब और बिहार सरकारों से योजनायें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पंजाब योजना के लिये मंजूरी जारी की जा चुकी है। बिहार योजना विचाराधीन है।

रेलों पर वस्तुयें बेचने के ठेके

†*७३२. **श्री रा० न० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर एक ठेकेदार के करीब दो दर्जन भूतपूर्व कर्मचारियों को खाद्य वस्तुयें बेचने के ठेके दिये गये हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अन्य भूतपूर्व कर्मचारियों ने उनके तथा रेलवे के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे दायर किये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७]**

गुडुर स्टेशन को नये ढंग से बनाना

†*७३३. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुडुर और रेनीगुन्टा के बीच छोटी लाईन को बड़ी लाईन बनाने का काम पूरा हो चुकने के बाद अब गुडुर स्टेशन को नये ढंग से बनाने का काम सम्भवतः कब शुरू किया जायेगा; और

(ख) स्टेशन और यार्ड को नये ढंग से बनाने की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) गुडुर स्टेशन को नये ढंग से बनाने का काम दिसम्बर, १९५६ के पहले हफ्ते में शुरू किया जायेगा। रेनीगुन्टा-गुडुर छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का वह एक अंश है।

(ख) २३,५२,००० रुपये।

नागार्जुन बांध स्थल पर अस्पताल

†*७३४. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन बांध स्थल पर ५० मरीजों के रहने की व्यवस्था वाला एक अस्पताल, जिसमें, १०० और मरीजों की व्यवस्था की जा सकती हो बनाने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा, और

(ग) अस्पताल और साधन सामग्री की अनुमानित लागत कितनी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां। बांध स्थल के बायें किनारे पर ८० मरीजों की व्यवस्था वाला एक अस्पताल और दाहिने किनारे पर २० मरीजों की व्यवस्था वाला एक दूसरा अस्पताल बनाने का निश्चय किया गया है।

(ख) अपस्ताल का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। वास्तविक निर्माण कार्य इस महीने के मध्य में शुरू किये जाने की सम्भावना है।

(ग) अस्पताल की इमारतों की अनुमानित लागत ३·५ लाख रुपये है। साधन सामग्री की लागत अभी तय नहीं की गयी ह।

कृषि वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करना

†*७३५. **श्री भागवत झा आजाद :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार है कि निर्यात के लिये कृषि वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करने के सम्बन्ध में गुण प्रकार में सुधार करने के प्रश्न की जांच की जाय ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

भाखड़ा जलाशय

†*७३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा जलाशय पूरा हो जाने पर उसमें पानी भरने की कितनी क्षमता होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : भाखड़ा जलाशय पूरा होने पर उसकी कुल क्षमता ·७४ करोड़ एकड़ फीट होगी। उसकी वास्तविक भंडार क्षमता ·५७२५ करोड़ एकड़ फीट होगी।

दिल्ली परिवहन सेवा प्राधिकार

†*७३७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री डाभी :
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् की लोक-लेखा समिति के २०वें प्रतिवेदन से दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के प्रबन्ध और काम के क्षेत्रों में कई कमियां दिखायी पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). लोक-लेखा समिति के निर्णय, १९५०–५१ से १९५३–५४ तक दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के लेखाओं की स्थिति के सम्बन्ध में है। बाद के वर्षों में काफी सुधार किये गये हैं। वह वित्तीय परिणामों के विवरण से, जो सभा-पटल पर रखा गया है, स्पष्ट है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७-क**]

†मूल अंग्रेजी में।

नाविक प्रशिक्षण संस्था

†*७३८. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री मात्तन :

क्या **परिवहन** मंत्री २९ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोचीन में एक व्यापारी नाविक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : योजना का ब्योरा अभी विचाराधीन है। इस दशा में यह बताना असम्भव है कि प्रस्थापित संस्था कब स्थापित की जायेगी।

पेराम्बूर में सवारी डिब्बों को सज्जित करने का कारखाना

†*७३९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने मद्रास राज्य में पेराम्बूर के निकट सवारी डिब्बों को सज्जित करने का एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उसमें कितने आदमियों को काम मिलने की सम्भावना है; और

(घ) कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) करीब ३७० लाख रुपये।

(ग) २, ५००।

(घ) ३५० सवारी डिब्बे।

काश्मीर को खाद्यान्न का सम्भरण

†*७४०. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १७११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा १९५४–५५ और १९५५–५६ में जम्मू तथा काश्मीर भेजे गये चावल या गेहूं की वहां पर फी मन क्या लागत थी; और

(ख) सहायता के तौर पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) सीधे केन्द्रीय सरकार के भंडार से और टेण्डर मंगा कर व्यापारियों के जरिये भी माल भेजा गया। वास्तविक मूल्य प्रत्येक रूप में भिन्न-भिन्न थे। प्रति मन गेहूं और चावल का औसत मूल्य इस प्रकार था :

वर्ष	वस्तु	प्रति मन औसत लागत
१९५४–५५	गेहूं	१४ रुपये १३ आने भेजने के स्टेशन पर रेल भाड़ा सहित।
१९५४–५५	चावल	१७ रुपये १० आने पठानकोट पर रेल भाड़ा सहित।
१९५५–५६	चावल	१८ रुपये १४ आने पठानकोट पर रेल भाड़ा सिहित।

†मूल अंग्रेजी में।

माल भुगतान करने के ऊपर उल्लिखित स्थान से वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्न ले जाने का खर्च जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने किया था ।

(ख) लेखे अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं ।

खाद्य और सामुदायिक परियोजनायें प्रशासनिक योजनायें

†४९६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३० जुलाई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से खाद्य और सामुदायिक परियोजनायें प्रशासनिक योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)**: (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६८]**

परिवाद-पुस्तकें

†४९७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों के गार्डों को परिवाद-पुस्तकें दी जाती हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जहां व्यवस्था हो, परिवाद-पुस्तकें कंडक्टर गार्डों को और कुछ गाड़ियों के ट्रेन गार्डों को दी जाती हैं । ट्रेन गार्डों को शिकायत किताबें देने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं क्योंकि उन्हें अनेक काम करने पड़ते हैं और बीच के स्टेशनों पर गाड़ियां बहुत थोड़ा समय रुकती हैं । इस कारण यह प्रश्न कि स्टेशनों पर रखी गयी शिकायत किताबें और कंडक्टर गार्डों को दी गयी किताबें क्या पर्याप्त हैं या ट्रेन गार्डों को भी शिकायत किताबें दी जायें और यदि हां, तो किन-किन गाड़ियों पर, रेलों के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है ।

गोदाम

†४९८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ जुलाई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से गोदाम स्थापित करने के विषय में अन्तिम निश्चय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन जगहों पर गोदाम स्थापित किये जायेंगे ।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अहमदाबाद मेल

†४९९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद मेल १ अप्रैल, १९५६ से ३० सितम्बर, १९५६ के बीच कितने दिन ठीक समय पर दिल्ली पहुंची; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उसी अवधि में वह कितने दिन ठीक समय पर अहमदाबाद पहुंची ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) :

महीना	उन अवसरों की संख्या जबकि २०० डाऊन मेल ठीक समय पर दिल्ली पहुंची	उन अवसरों की संख्या जबकि २०१ अप दिल्ली मेल अहमदाबाद ठीक समय पर पहुंची
अप्रैल, '५६	२४	२०
मई, '५६	२२	१५
जून, '५६	२६	१९
जुलाई, '५६	१५	५
अगस्त, '५६	२६	१७
सितम्बर, '५६	२९	२३

नार्वे सहायता कार्यक्रम

†५००. { **श्री राम कृष्ण:**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नार्वे सहायता कार्यक्रम के अधीन त्रावणकोर-कोचीन में क्विलोन के निकट के मछुओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये सामुदायिक विकास परियोजनाओं के बारे में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : भारत-नार्वे मछुआ समुदाय विकास कार्यक्रम के अधीन, १९५३ के आरम्भ में त्रावणकोर-कोचीन में क्विलोन के समीप १० वर्ग मील के छोटे से क्षेत्र में एक मत्स्य पालन सामुदायिक विकास परियोजना आरम्भ की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य मछली पकड़ने के तरीकों में सुधार और उन्हें आधुनिक ढंग का बनाकर रखने, उठाने के तरीकों में सुधार तथा मछलियों को एकत्र कर और उनके विपणन की व्यवस्था एवं लोगों के स्वास्थ्य और सफाई में सुधार करके उस क्षेत्र में रहने वाले मछुओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। सामान तथा विशेषज्ञों के रूप में नार्वे की सहायता राशि लगभग ६० लाख रुपये है जब कि दिसम्बर, १९५५ तक ७,२०,००० रुपये का जो आन्तरिक व्यय हुआ है वह भारत सरकार और त्रावणकोर-कोचीन सरकार में आधा-आधा बांटा जा रहा है। परियोजना की कार्यवाहियों में और अधिक वृद्धि करने के लिये नार्वे की सरकार से एक और करार किया गया है। इस अनुपूरक करार के अधीन एक करोड़ रुपये के मूल्य का सामान प्राप्त होने की आशा की जाती है।

परियोजना के दो विभाग हैं उदाहरणत : (१) लोक स्वास्थ्य और समाज कल्याण; और (२) मत्स्य पालन विकास।

(१) लोक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यवाहियां परियोजना का अभिन्न अंग हैं। पिछले २७ महीनों से परियोजना क्षेत्र में दो दवाखाने चल रहे हैं। इन दवाखानों में छः चारपाइयों वाला एक प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्र भी खोल दिया गया है। त्रावणकोर-कोचीन राज्य ने एक परिवार आयोजन केन्द्र की स्थापना की है। इन दवाखानों और प्रसूति वार्ड को अब प्रतिष्ठान से औषधियां मिलती हैं और संचालन व्यय रुपयों में रखी गई निधि में से किया जाता है। मछुओं के लिये लगभग

†मूल अंग्रेजी में।

७०० पाखाने बनवाये गये हैं। योजना के अंग के रूप में परियोजना क्षेत्र के मछुओं के लिये पीने के जल का सम्भरण करने के लिये चवारा में पाइप बनाने वाला कारखाना पूरा हो गया है। इस समय उस क्षेत्र में जल सम्भरण सकठीकुलंगाड़ा के पंचायत के कुयें से किया जाता है।

(२) मशीन द्वारा और समुद्र में अधिक गहराई में से मछली पकड़ने के लिये यहां उन्नत प्रकार की २२ फीट वाली बीस नावें बनाई गई हैं और ३० फीट वाली तीन छोटी नावें, २२ फीट वाली बारह नावें और ५१–६६ फीट के दो मस्तूलों वाले तीन जहाज नावें से आयात किये गये हैं। यंत्रचालित छोटी नावों से, जिनमें एक प्रकार का कांटा आदि होता है उससे मछली पकड़ने में सफलता मिली है, विभिन्न प्रकार के कांटे आदि के डिजाइन में सुधार करने की जांच की जा रही है। नौका निर्माण प्रांगण और यांत्रिक वर्कशाप बन चुके हैं और स्थानीय लकड़ी से नाव बनाने का काम प्रारम्भ हो गया है। अब तक २४ मछुओं ने यन्त्र की सहायता से मछली पकड़ने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है जिनमें से ग्यारह को अनुदेशक और मछली पकड़ने वालों के रूप में परियोजना में खपा लिया गया है और शेष को मछली पकड़ने के लिये नावें दे दी गई हैं। १० और १५ मछुओं की दो नई टोलियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिन्हें प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर नावें मिल जायेंगी।

दो मस्तूल वाले तीन जहाज जो कोचीन से चलते हैं मछली पकड़ने में खोज करने, विभिन्न प्रकार के जालों और मछली पकड़ने के तटों का अनुमान लगाने के बारे में प्रयोग कर रहे हैं।

परियोजना क्षेत्र में मछली पकड़ने का एक छोटा बन्दरगाह बनाने की योजना है जिसके लिये नमूने की जांच की जा रही है।

बर्फ और शीत संग्रहागार संयंत्र का निर्माण पूरा होने वाला है।

राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई योजना

†५०१. **श्री भीखा भाई** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई योजना के अधीन १९५५–५६ में राजस्थान को कितनी धनराशि दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई कार्यक्रम के अधीन १९५५–५६ में राजस्थान को ग्रामीण योजनाओं के लिये २०·६० लाख रुपये और नगर की योजनाओं के लिये १८·७५ लाख रुपये की राशि दी गयी थी।

मध्य प्रदेश में नलकूप

†५०२. **श्री कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २२ मार्च, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो नलकूप बनवाये जायेंगे उनकी लागत कितनी होगी; और

(ख) ये नलकूप किन स्थानों अथवा क्षेत्रों में बनेंगे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) राज्य सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सौ सिंचाई नलकूप बनवाने के लिये ७० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

(ख) स्थानों का चुनाव अभी नहीं हुआ है किन्तु ये क्षेत्र नरबदा घाटी के होशंगाबाद, जबलपुर और भोपाल जिलों में होंगे जहां खोजों में सफलता प्राप्त हुई है।

†मूल अंग्रेजी में।

मध्य प्रदेश में खोज सम्बन्धी नलकूप कार्यक्रम

†५०३. **श्री कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में खोज सम्बन्धी नलकूप कार्यक्रम का कार्य समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य की नर्मदा की तलहटी में छिद्रण करके खोदे गये ३० नलकूपों में से १६ से सिंचाई के लिये जल निकला है और उस पर अधिक खर्च नहीं हुआ है अर्थात् २०,००० गैलन या उससे अधिक प्रति घण्टे जल दिया । इन १६ स्थानों में उत्पादन सम्बन्धी कुयें बनाये गये हैं ।

इस खोज से सरकार को नलकूपों के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई के लिये भूमि के नीचे के जल का पता लगाने में सहायता मिलेगी ।

सोमपट्टा में डाक गाड़ी का ठहरना

†५०४. **श्री राजगोपाल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के श्रीकाकुलम जिले के सोमपट्टा नामक स्टेशन पर डाक गाड़ी के रुकने का प्रस्ताव पुनः किया गया है;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि जांच के रूप में जब १९५३ में इसके लिये अनुमति दी गई थी तो इसमें सफलता नहीं मिली थी जिसके परिणामस्वरूप उसका यहां रुकना बन्द कर दिया गया था;

(ग) क्या श्री काकुलम जिले के चिपरूपल्ली नामक तालुक के लोगों ने उस स्टेशन पर इस गाड़ी के रुकने के लिये एक स्मरणपत्र भेजा था; और

(घ) यदि हां, तो सोमपट्टा को दूसरी बार क्यों प्राथमिकता दी गई और चिरुपल्ली में जांच नहीं की गई यद्यपि यह सोमपट्टा से अधिक महत्वपर्ण स्थान है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १-१०-५६ से ४३/४४ मद्रास-हावड़ा डाक गाड़ियों के सोमपट्टा स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ख) हां, अक्तूबर, १९५४ ।

(ग) हां ।

(घ) सोमपट्टा स्टेशन से चिरूपल्ली स्टेशन की तुलना में अधिक दूर जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रहती है ।

रेलवे के अनुज्ञाप्राप्त कुली संघ

†५०५. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर रेलवे द्वारा अनुज्ञाप्राप्त ऐसे कुली संघों की संख्या (स्टेशनों के नाम सहित) कितनी है, जिन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी है;

(ख) उनके कार्य की देखरेख करने के लिये कितने निरीक्षक और पर्यवेक्षक नियुक्त हैं;

(ग) इन संघों के सदस्यों को विभिन्न स्टेशनों पर रहने के कमरों, डाक्टरी सुविधाओं, बर्दी देने आदि के रूप में किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या सरकार को रेलवे द्वारा अनुज्ञाप्राप्त कुली, संघ पठानकोट के पास से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक भी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) अनुज्ञाप्राप्त कुलियों की देखरख के लिये ३० ।

(ग) उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर नैमित्तिक मजदूर रखने की पद्धति का अन्त करने योजना के अधीन काम करने वाले अनुज्ञाप्राप्त कुलियों को वर्दी दी जाती है और वाह्य रोगियों के रूप में उनकी निःशुल्क डाक्टरी चिकित्सा भी की जाती है। रहने का स्थान उन्हें इस कारण नहीं दिया गया है कि उन्हें आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(घ) जी, हां । उत्तर रेलवे को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ङ) अभ्यावेदन में बताई गई शिकायतें और उस पर की गई कार्यवाही नीचे दी गई है :

शिकायतें	की गई कार्यवाही
१. चार स्टेशनों अर्थात् अमृतसर, जालन्धर, पठानकोट और लुधियाना के लिये प्रत्येक स्टेशन पर अलग-अलग निरीक्षक नियुक्त करने के बजाय चारों स्टेशनों का एक निरीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिये जिसका मुख्यालय जालन्धर में हो, जिसके अधीन पठानकोट में एक, जालन्धर में दो और अमृतसर में तीन पर्यवेक्षक काम में लगाये जाने चाहियें ।	१. चार स्टेशनों के लिये एक ही निरीक्षक रखने की व्यवस्था वांछित नहीं समझी गई क्योंकि ऐसा करने से किसी स्टेशन पर निरीक्षक की अनुपस्थिति में देखभाल में ढीलाई और कदाचार फैल सकता है ।
२. अनुज्ञाप्राप्त कुलियों को दी गई वर्दी में एक पाजामा, एक कमीज और एक साफा होना चाहिये तथा उनकी वर्दी का रंग लाल के बजाय खाकी होना चाहिये ।	२. प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया । अनुज्ञाप्राप्त प्रत्येक कुली को एक वर्ष में दो कमीजें दी जाती हैं । इसकी लागत अनुज्ञा शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि में से दी जाती है और उपलब्ध निधि में से इसे अधिक चीजें देना सम्भव नहीं है । लाल रंग अनुज्ञाप्राप्त कुलियों की वर्दी के लिये रखा गया है क्योंकि यह एक प्रमुख रंग है और इस कारण यात्री अनुज्ञाप्राप्त कुलियों को सरलता से पहचान सकेंगे ।
३. भर्ती होने वाले और न भर्ती होने वाले लोगों को डाक्टरी सहायता निःशुल्क दी जानी चाहिये ।	३. चूंकि अनुज्ञाप्राप्त कुली रेलवे कर्मचारी नहीं होते इस कारण वे निःशुल्क डाक्टरी उपचार के अधिकारी नहीं हैं । किन्तु न भर्ती होने वाले रोगी के रूप में निःशुल्क डाक्टरी उपचार किया जाता है ।
४. स्टेशनों पर उनके काम के लिये विश्रामगृहों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।	४. विश्रामगृह उनके लिये आवश्यक नहीं समझे गये हैं । अनुज्ञाप्राप्त कुली स्टेशन की सीमा के अन्दर आराम करते हैं और वे स्वयं भी इसे पसन्द करते हैं जिससे दूर होने के कारण उनके पैसे न मारे जायें ।

†मूल अंग्रेजी में ।

आसाम में नई रेलवे लाइनें

†५०६. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नई रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं जिन को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बनवाने के लिये आसाम की सरकार ने सिफ़ारिश की है; और

(ख) सिफारिश किये गये मार्गों में से अब तक स्वीकार किये गये मार्ग कौन-कौन से हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ऐसी जानकारी को सभा-पटल पर रखना सामान्य कार्य नहीं है, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में नई रेलवे लाइनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव अभी ऐसे हैं जिन पर खोज की जा रही है और विशेष रूप से संचालन कार्यों के लिये अथवा इस्पात के कारखानों तथा कोयला विकास परियोजनाओं के लिये जिन लाइनों की आवश्यकता है उनके अतिरिक्त अभी तक और कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मछुओं के लिये अंशदायी बीमा

†५०७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुओं के हितों की सुरक्षा के लिये अंशदायी बीमा प्रणाली जारी करने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) समुद्र से मछली पकड़ने के वर्तमान उद्योग की विद्यमान स्थिति में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ढोर

†५०८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय योजना की ढोर नस्ल सुधार नीति और कार्यक्रम के अधीन केन्द्र ढोर नस्ल सुधार और दूध की उत्पत्ति के लिये ऐसे राज्यों की स्थिति के पिछड़ेपन के अनुपात में निधि देने की व्यवस्था करेगा; और

(ख) क्या केरल राज्य को, जिसमें प्रति व्यक्ति का दूध और दूध से बनी वस्तुओं का उपयोग भारत में सबसे कम है, कोई विशेष सहायता देने का विचार है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) भारत सरकार की नीति प्रत्येक राज्य के ऐसे भागों में, जहां ढोर पैदा होते हैं उन्नत प्रकार के नस्ली सांड पैदा करना और घटिया किस्म के देशी जानवरों को उन्नत बनाने की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में उनका वितरण करना है। राज्यों को उनकी योजनाओं में सम्मिलित की गई पशु योजनाओं और दुग्धशाला के विकास सम्बन्धी योजनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिये स्वीकृत ढांचे के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित स्वीकृत ढांचे के अनुसार वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त, केरल राज्य को कोई विशेष सहायता देने का विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मछलियों के बच्चों का परिवहन

†५०९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछलियों के बच्चों को दूर के स्थानों पर भेजते समय चीन की भांति आक्सीजन दी जाती है ताकि कम मछलियां मरें;

(ख) क्या सरकार ने दूरी पर जाने वाली मछलियों के बच्चों की मृत्यु संख्या घटाने के लिये यह पद्धति आरम्भ कर दी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी, हां । मछलियों के बच्चों को दूर भेजने में आक्सीजन का प्रयोग किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

सारडाइन

†५१०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने निर्यात व्यापार का विकास करने की दृष्टि से मलाबार तट के 'आयल सारडाइन' के पैकिंग की सम्भावनाओं की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इन सम्भावनाओं का रूप क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी नहीं; क्योंकि 'आयल सारडाइन' को व्यावसायिक आधार पर समुद्रपार भेजने के सम्बन्ध में कोई निर्दिष्ट समस्या नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे के प्रतीक्षालय का फर्नीचर

†५११. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री १३ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्रतीक्षालयों के फर्नीचर का समान स्तर निर्धारित करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मध्य तथा पश्चिम रेलवे को छोड़कर जिनमें अभी इस विषय का परीक्षण किया जा रहा है, अन्य रेलों में प्रतीक्षालयों के फर्नीचर का समान स्तर निश्चित कर दिया है और जब भी वर्तमान फर्नीचर में प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है वहां शनै-शनै स्टैण्डर्ड फर्नीचर की व्यवस्था कर दी जाती है ।

मुज़फ्फरपुर में स्टेशन परामर्शदात्री समिति

†५१२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बनाई गई स्टेशन परामर्शदात्री समितियों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मुजफ्फरपुर और बनारस में स्टेशन परामर्शदात्री समितियां बनाई गई हैं ।

तृतीय श्रेणी में सोने का स्थान

†५१३. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में ३३ डाउन और ३४ अप (देहरादून एक्सप्रेस), २०१ अप और २०२ डाउन (दिल्ली मेल) गाड़ियों में तृतीय श्रेणी की सोने की बर्थ की संख्या कितनी है; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) १९५५-५६ और १९५६-५७ में इस सुविधा का किस सीमा तक उपयोग किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इन गाड़ियों पर सोने के लिये जितनी बर्थ की व्यवस्था की गई है उनकी संख्या निम्न है :

गाड़ी संख्या	उन स्टेशनों के नाम जिन के बीच सोने की बर्थ की व्यवस्था की गई है	बर्थ की संख्या
३३/३४ देहरादून एक्सप्रेस	बम्बई सेन्ट्रल और दिल्ली जंक्शन	५४
२०१/२०२ दिल्ली अहमदाबाद मेल	दिल्ली जंक्शन और अहमदाबाद	४८

(ख) इन गाड़ियों पर १९५५-५६ और १९५६-५७ के प्रथम ६ महीनों में सोने की बर्थ की उपयोगिता का प्रतिशत इस प्रकार है :

गाड़ी संख्या	जिन सैक्शनों में सोने की बर्थ की व्यवस्था की गई	१९५५-५६	१९५६-५७ (प्रथम छः महीने)
		प्रतिशत	प्रतिशत
३३ डाउन	बम्बई सेन्ट्रल-बड़ौदा	८२	८८
	कोटा-दिल्ली	८३·५	७५·५
३४ अप	दिल्ली-कोटा	६३·२५	८५
	बड़ौदा-बम्बई सेंट्रल	७४·२५	८३
२०१ अप	दिल्ली-फुलेरा	८२·५	८७
२०२ डाउन	अजमेर-दिल्ली	७६·७५	८३·५

कमालपुर रेलवे स्टेशन खोलना

†५१४. **श्री का० सु० राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोर्णाकल और करेपल्ली के बीच कमालपुर पर एक नया रेलवे स्टेशन खोलने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में किये जाने वाले निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) दोर्णाकल और करेपल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच कमालपुरम् पर फ्लैग स्टेशन खोलने की योजना का परीक्षण कर लिया गया है किन्तु वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत नहीं हुई ।

ठेकेदार द्वारा चालित हाल्ट की व्यवहार्यता पर मध्य रेलवे विचार कर रही है ।

दोर्णाकल रेलवे स्टेशन

†५१५. **श्री का० सु० राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोर्णाकल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत की आवश्यकता पर विचार किया है;

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का क्या स्वरूप है; और

(ग) इस छत का निर्माण कब किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

(क) जी, हां।

(ख) द्वीपाकार प्लेटफार्म के एक भाग में लगभग २०० फीट की लम्बाई में छत डालने का विचार है ।

(ग) ऐसा विचार है कि यह कार्य १९६०–६१ में किया जायेगा किन्तु इस पर यात्री सुविधा समिति का अनुमोदन आवश्यक है ।

मालाबार काश्तकारी अधिनियम

†५१६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मालाबार काश्तकारी अधिनियम पारित करने के पश्चात् केरल राज्य के कस्बार जिले में पंजीकृत बेदखली के मामलों की संख्या;

(ख) उसके सम्बन्ध में ब्यौरा; और

(ग) केसरगोडे के कोदाकट्टु ग्राम में पंजीकृत बेदखली के मामलों की संख्या कितनी है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ४९,५६२ ।

(ख) १५,१०१ मामलों की डिग्री दी जा चुकी है ।

(ग) ५४ ।

गेहूं का आयात

†५१७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री इस वर्ष अभी तक आयात किये गये गेहूं में से विभिन्न राज्यों को प्रति माह वितरित गेहूं का परिमाण बताने की कृपा करेंगे कि ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : राज्य सरकारों को आवंटित या विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय बिक्री डिपो द्वारा सीधी बिक्री के रूप में दिये गये गेहूं का इस वर्ष जनवरी से अक्तूबर तक प्रति मास ब्योरा इस प्रकार है :—

महीना	मात्रा (हजार टनों में)
जनवरी	५५·८
फरवरी	७१·१
मार्च	८१·५
अप्रैल	६७·३
मई	५४·५
जून	५९·३
जुलाई	७५·०
अगस्त	९२·३
सितम्बर	९५·०
अक्तूबर	१३०·७

†मूल अंग्रेजी में।

भूतलीय जल संसाधन

†५१८. **श्री साधन गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २१ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १७६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल में भूतलीय जल संसाधनों को ढूंढने के लिये चुने गये स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : पश्चिम बंगाल में ३७ अनुसंधानात्मक छिद्रो का अस्थायी आवंटन इस प्रकार है :—

(१) २४ परगने, नदिया, मुर्शिदाबाद और वीरभूम ज़िलों में २५ छिद्र ।

(२) जलपायगुरि ज़िले में १२ छिद्र ।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा २४ परगना और नदिया ज़िलों में अभी तक सात अस्थायी स्थानों का चुनाव किया गया है जब कि शेष ३० स्थानों का चुनाव अभी करना है ।

सब स्थानों का अन्तिम चुनाव स्थान चयन समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें भारत सरकार, प्रविधिक सहयोग मिशन और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे ।

रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लोग

†५१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के विगत चार वर्षों में भारतीय रेलों के विभिन्न वर्गों में सेवानियोजित अनुसूचित जाति के सदस्यों की कितनी संख्या है;

(ख) रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थानों में से कितने प्रतिशत की पूर्ति हुई है; और

(ग) क्या रक्षित कोटा की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नंगल तथा उना रेलवे मार्ग

†५२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर रेलवे पर नंगल तथा उना के बीच रेलवे मार्ग के सर्वेक्षण कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस सर्वेक्षण के दौरान में किन मुख्य बातों पर ध्यान आकर्षित किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नंगल तथा उना के मध्य छोटी लाइन (मीटर गेज) के लिये यातायात सर्वेक्षण करने की स्वीकृति हाल ही में मिली है तथा सर्वेक्षण कार्य जनवरी, १९५७ में हाथ में लिया जायेगा ।

(ख) मंडी जिले में नवीन परियोजनायें प्रारम्भ करने की सम्भावनाओं की जांच की जायेगी ।

गन्ना

†५२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप गन्ने की किस्म के सुधार में अब तक क्या प्रगति हुयी है; और

(ख) क्या पंजाब के प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**कृषि मंत्री (श्री पं० श० देशमुख)** : (क) राज्य सरकारों द्वारा दिये गये उपायों के परिणामस्वरूप, केवल बिहार के अतिरिक्त, गन्ने की किस्म में सामान्य सुधार हुआ है। गत पांच सीजनों में जनवरी तथा फरवरी में मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में वहां की फैक्टरियों में गन्ने से जो चीनी प्राप्त हुई, उसके प्रतिशत आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

सीजन	उत्तर प्रदेश	बिहार	बम्बई	मद्रास	हैदराबाद	पंजाब
१९५१–५२	९·७३	१०·६१	११·६९	८·९८	११·०६	९·८१
१९५२–५३	९·८९	१०·३८	१२·१९	९·६५	११·२६	१०·२७
१९५३–५४	१०·१३	१०·३०	१२·०६	९·३०	१०·८९	१०·१४
१९५४–५५	९·८३	९·८९	१२·२७	९·७४	११·६०	९·३३
१९५५–५६	१०·१७	१०·२१	१२·१५	८·८३	११·४०	९·९५

पंजाब तथा बिहार में जो कम प्राप्ति हुयी है उसका मुख्य कारण बाढ़, सूखा, विनाशकीटों तथा गन्ने की बीमारी के कारण फसल का नष्ट होना है।

(ख) जी, हां। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में पंजाब में १९·१२ लाख रुपये गन्ने सम्बन्धी गवेषणा तथा विकास योजनाओं में व्यय किये गये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २७ लाख रुपये (पेप्सू को छोड़कर) व्यय करने का उपबन्ध किया गया है।

दिल्ली प्राणकीय वाटिका

†५२२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में प्राणकीय उद्यान स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : जर्मन परामर्शक के साथ एक समझौता हो चुका है। परामर्शक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारम्भिक खाके की जांच करके उसे रूप भेद करने के लिये उसे वापस कर दिया गया है। भारत में विभिन्न स्थानों से कुछ जानवर तथा पक्षी एकत्रित किये गये हैं और उक्त-वाटिका में रखे जा रहे हैं। जानवरों के रहने के लिये अस्थायी आवास निर्माणाधीन हैं। प्रारम्भिक कार्यों, जैसे अहाते की दीवार, क्वार्टरों, सड़कों तथा मार्गों का निर्माण, पौधे लगाना, पानी का प्रबन्ध इत्यादि में प्रगति हो रही है।

पंजाब में केन्द्रीय खाद्यान्न गोदाम

†५२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में केन्द्रीय खाद्यान्न गोदामों का निर्माण कार्य इस समय किस स्थिति में है ?

†**कृषि मंत्री (श्री पं० श० देशमुख)** : वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, हिसार, अम्बाला और भटिंडा में गोदाम बनाये जायेंगे। उपयुक्त स्थानों के चुनाव तथा नक्शों आदि के तैयार करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही हो रही है।

रोहतक, अमृतसर, जालन्धर और लुधियाना में खाद्यान्न के संग्रह के लिये कुछ पूर्वनिर्मित गोदामों के बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में।

देशीय औषधियां

†५२४. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री धुलेकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देशीय औषधियों के सम्बन्ध में स्थापित की गयी समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) वैद्यों, हकीमों तथा होम्योपैथों की प्रेक्टिस के सम्बन्ध में शिक्षा तथा विनियमन के एकरूपी मानक निर्धारित करने के प्रश्न का अध्ययन करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिये जो समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी थी, उसके प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी के लिये भेज दी गयी हैं ।

रेलवे आउट एजेंसियां

†५२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के होशियारपुर ज़िले में कितनी रेलवे आउट एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सभा पटल पर होशियारपुर के उन स्थानों के नामों की एक सूची रखी जायेगी जहां पर आउट एजेंसी सुविधायें मौजूद हैं;

(ग) क्या इस ज़िले के किसी नये स्थान अथवा स्थानों ने इन सुविधाओं के उपलब्ध किये जाने की उपेक्षा की है; और

(घ) सरकार इस मामले पर क्या विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) २ ।

(ख) (१) भारवाइन,
(२) गगरेट ।

(ग) जी, हां । निम्न स्थानों पर आउट एजेंसियां खोलने के लिये प्रार्थनायें प्राप्त हुयी हैं :
(१) उना,
(२) तिरोई,
(३) उम्ब,
(४) दौलतपुर ।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६९]**

घी का उत्पादन

†५२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५–५६ में देश भर में कितनी मात्रा में घी का उत्पादन हुआ था ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : अनुमान है कि वर्ष १९५५–५६ में देश भर में लगभग १०६ लाख मन घी का उत्पादन हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बिहार को खाद्यान्नों का सम्भरण

५२७. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को बाढ़ और सूखे से पीड़ित क्षेत्रों में सस्ते दामों पर बेचने के लिये जुलाई से अक्टूबर, १९५६ तक खाद्यान्नों की कितनी मात्रा और किस दर से दी गयी है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : बिहार सरकार को जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की अवधि में खाद्यान्नों की निम्नलिखित राशियां दी गईं :—

(१) ७० टन चावल मुफ्त तौहफे के रूप में ।

(२) ४,०३७ टन चावल गन्तव्य-स्थान तक रेल किराये से मुक्त, १६ रुपये प्रति मन की दर पर ।

(३) ५,००० टन गेहूं १४ रुपये प्रति मन की दर पर ।

२. ज़रूरत समझी जाने पर राज्य सरकार इन खाद्यान्नों को बाढ़ और सूखे से पीड़ित क्षेत्रों में अधिक सस्ते भाव पर बेचने के लिये स्वतन्त्र थी ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों में रेलवे लाइनें

†५२८. **श्री भीखा भाई :** क्या **रेलवे** मंत्री ३० अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई रेलवे लाइनों का निर्माण करके अत्यन्त ही पिछड़े हुये क्षेत्रों में यातायात को आसान बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हां में हो, तो क्या सरकार ऐसे मामलों में होने वाली आय की प्रतिशतता को अधिक महत्व देगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निधियों की कमी के कारण, नई लाइनों के निर्माण को इस्पात और कोयले के उत्पादन की आवश्यकताओं और संचालन आवश्यकताओं तक ही सीमित रखना पड़ा है । इसे ध्यान में रखते हुये जिन नई लाइनों का निर्माण किया जायेगा, उनमें से कई लाइनें—जैसे भिलाई–धल्ली रझाड़ा, रूर-केला–डुमरो और बिजरी-तागिनी लाइनें—संयोगवश कुछ अत्यन्त ही पिछड़े हुये क्षेत्रों में यातायात को आसान भी बना देंगी ।

(ख) आय की प्रतिशतता बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि यही एक सर्वोपरि तथ्य नहीं है । भारतीय रेलवेज़ की समूची आर्थिक अस्तित्वयोग्यता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को भी देखना पड़ेगा ।

उदयपुर स्टेशन

†५२९. **श्री भीखा भाई :** क्या **रेलवे** मंत्री ७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के लिये उदयपुर स्टेशन में बैठने के अतिरिक्त, स्थानों का कोई प्रबन्ध तब से किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां । अब वहां बैंचों की संख्या बढ़ा कर १६ कर दी गई है, जिनमें से ११ तो प्लेटफार्म पर ही हैं, एक स्टेशन मास्टर के कार्यालय के पास है और चार विश्रामालय में हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

माही परियोजना

†**५३०. श्री भीखा भाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २० जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बांसवाड़ा जिले की माही परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : इस परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के जिला बांसवाड़ा में बागरी गांव के पास माही नदी पर एक बांध बनाने की योजना है । यह बांध कुल १,८०० वर्गमील के लिये जलग्रहण का कार्य करेगा । जलाशय में ९१,४२० लाख घन फीट जल संचित किया जायेगा, जिसमें से ६७,७०० लाख घन फीट जल का प्रति वर्ष ७०,००० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिये उपयोग किया जायेगा । यह परियोजना बांसवाड़ा जिले के पिछड़े हुए क्षेत्र को विकसित भी करेगी । राजस्थान की द्वितीय पुनरीक्षित योजना के अनुसार, इसकी अनुमित लागत १·९५ करोड़ रुपये है ।

डीजल से चलने वाले इंजन

†**५३१. श्री शिवनंजप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने मुख्य लाइन के लिये बड़ी लाइन के डीजल तेल से चलने वाले १०० इंजिनों के सम्भरण के लिये समस्त संसार भर से टेन्डर मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही प्रोफेसर गालब्रिथ की उस सिफारिश के अनुसरण में की गई है जिसमें कहा गया है कि भारतीय रेलवेज़ में पूंजी की बचत के रूप में विद्युतीकरण के स्थान पर डीज़ल तेल की शक्ति का प्रयोग ही किया जाना चाहिये; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में डीजल तेल की शक्ति के उपयोग के क्या कार्यक्रम हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) डीजल तेल से चलने वाले १०० बड़ी लाइन के इंजनों के लिये एक संसार व्यापी आधार पर चुनी हुई उन व्यावसायिक संस्थाओं से, जिन की ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय है और जिन्हें इस प्रकार के इंजन बनाने का अनुभव भी है, टेन्डर मांगे गये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०**]

द्वितीय योजना में रेलवे कार्यक्रम

†**५३३. श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर रेलवे के पाण्डु प्रदेश में किस प्रकार का विकास कार्य किया जाने को है; और

(ख) पाण्डु क्षेत्र में, १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में क्रमशः विभिन्न प्रकार के कौन से विकास कार्य करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). सूचना संग्रह की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी गायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

ब्रेक्समैनों का प्रशिक्षण

†५३४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे में प्रशिक्षण के लिये ब्रेक्समैनों का चुनाव करने के लिये कोई कसौटी निश्चित की है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, नहीं । ब्रेक्समैनों का चुनाव यातायात विभाग के बाहर काम करने वाले चौथी श्रेणी के उपयुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति करके ही किया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वोत्तर रेलवे समय सारणी

†५३५. **श्री विभूति मिश्र :**
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अक्टूबर, १९५६ से लागू होने वाली पूर्वोत्तर रेलवे समय सारणी और पथ प्रदर्शिका के विरुद्ध कई प्रतिनिधान किये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यात्रा करने वाली जनता की सुविधानुसार गाड़ियों का समय ठीक करने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सेवित प्रदेश के कुछ भागों की यात्रा करने वाली जनता से १-१०-५६ से लागू किये गये ट्रेनों के समय के विरुद्ध कुछ प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग). दिल्ली, सिलीगुड़ी और आसाम के बीच ट्रेन संख्या ३०१ अप और ३०२ डाउन अवध तिरहुत मेल ट्रेनों के समय में, दूर के यातायात की सुविधा के लिये १-१०-५६ से गाड़ियों के समय का समायोजन किया गया है । अन्य मुख्य और शाखा लाइनों की ट्रेनों के समय का समायोजन करना अभी शेष है । अभी इस मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है, और यदि ठीक समझा गया, तो सम्बन्धित विभागों की ट्रेनों के समय में १ जनवरी, १९५७ से कुछ और भी रूप भेद करने की प्रस्थापना है ।

रेलवे कर्मचारियों की निःशुल्क यात्रा

†५३६. **श्री क० कु० बसु :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवेज के इन दर्जों में निःशुल्क यात्रा करने का हक कार्यालयों के किन श्रेणियों के व्यक्तियों या अधिकारियों को है :

(१) शीतोष्णनियंत्रित;
(२) पहला दर्जा; और
(३) दूसरा दर्जा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** तीन विवरण संलग्न किये जाते हैं, जिनमें इनके सम्बन्ध में सूचना दी गई है :

(क) रेलवे कर्मचारी;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) गैर-रेलवे असैनिक कर्मचारी, जिनमें प्रतिरक्षा सेवा प्राक्कलन से वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारी भी सम्मिलित हैं; और

(ग) प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारी। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]**

मीन क्षेत्रों का निकास

†५३७. **श्री मोहन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४, १९५५ और १९५६ में मीन क्षेत्रों के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को क्रमशः कुल कितनी धन राशि आवंटित की गई; और

(ख) आन्ध्र राज्य को कितनी धन राशि आवंटित की गई ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). मांगी गई सूचना को देने वाला एक विवरण नीचे दिया जा रहा है :

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	आवंटित धन राशियां		
	१९५४–५५	१९५५–५६	१९५६–५७
आन्ध्र	०·२७	०·५३	४·३१
आसाम	२·५०	४·७२	३·३०
बिहार	०·३६	०·२१	—
बम्बई	०·३९	१·०६	२·५६
मध्य देश	० १९	०·६१	०·६४
मद्रास	१·९९	३·५५	२·०८
उड़ीसा	१·००	७·४०	१·३५
उत्तर प्रदेश	५·४९	०·३८	४·९१
पश्चिम बंगाल	९·३९	७·७१	४·३५
मध्य भारत	०·७५	०·२४	१·४१
सौराष्ट्र ...	०·२४	०·४९	६·७२
त्रावनकोर-कोचीन	४·६३	१·८५	४·५६
कुर्ग	०·०९	०·०९	०·०८
दिल्ली	०·०७	०·२५	०·१७
कच्छ ...	०·३९	०·१३	०·५०
जम्मू तथा काश्मीर	—	०·६४	०·४३
मैसूर	—	१·००	०·८४
पेप्सू	—	०·१३	०·२३
पंजाब	—	—	१·२०
राजस्थान	—	—	०·४३
पांडीचेरी	—	—	०·५४
कुल	२७·७५	३०·९९	४०·६१

†मूल अंग्रेजी में।

ओलवक्कोट के रेलवे कर्मचारी

†५३८. **श्री अय्युणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओलवक्कोट में डिवीजनल कार्यालय रखे जाने के फलस्वरूप वहां कितने रेलवे कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) (क) में से कितने कर्मचारियों को महंगाई और अन्य भत्तों समेत कुल वेतन १०० रुपये प्रति मास से कम मिल रहा है;

(ग) उनमें से कितनों को १०० रुपये और ५०० रुपयों के बीच मिल रहा है;

(घ) कितनों को ५०० रुपयों से अधिक मिल रहा है;

(ङ) क्या सरकार ने उनको क्वार्टर दिये हैं;

(च) यदि हां, तो कितने क्वार्टर दिये गये हैं और वे किस वर्ग के हैं;

(छ) क्या ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक है जो कम वेतन पाते हैं और दूरस्थ स्थानों में रहते हैं और ट्रेन द्वारा अपने कार्य स्थान पर आते हैं; और

(ज) क्या उन्हें कोई भत्ता दिया जाता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ३४७ ।

(ख) ४१ ।

(ग) ३०५ ।

(घ) १ ।

(ङ) और (च). केवल दो कर्मचारियों को, जिन का वेतन महंगाई और अन्य भत्ते मिलाकर २०० रुपयों से कम है, ओलवक्कोट में क्वार्टर आवंटित किये गये हैं।

(छ) जी, नहीं । १०० रुपये से कम वाले केवल २७ हैं ।

(ज) उन कर्मचारियों को, जो ओलवक्कोट नहीं जाना चाहते थे पर जिन को कार्य के हित में वहां स्थानान्तरित करना पड़ा था, क्वार्टरों का निर्माण पूरा होने तक, निजी स्थानों के लिये २५ रुपये प्रति माह की अधिकतम सीमा तक किराया दिया जाता है ।

गुण्टूर स्टेशन पर ऊपरी पुल

†५३९. **श्री श० व० ल० नरसिंहम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुण्टूर के पश्चिमी केबिन पर स्थित रेलवे चौकी पर ऊपरी पुल का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : आशा है कि ऊपरी पुल का निर्माण कार्य जनवरी, १९५७ के अन्त तक आरम्भ हो पायेगा ।

गुण्टूर में रेलवे के स्थान

†५४०. **श्री श० व० ल० नरसिंहम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुण्टूर में निजी स्वामित्व के कुछ स्थानों को रेलवे के लिये सुरक्षित किया गया है और उनके स्वामियों को उस क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) क्या कोई प्रतिकर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वे स्थान उनके स्वामियों को दे दिये जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पोर्टरों की मजूरी

†५४१. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के लाइसेंस प्राप्त पोर्टर पर्यटकों से बहुत अधिक मजूरी लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह मजूरी प्रति यात्री आठ आने से लेकर तीन रुपये तक होती है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). नई दिल्ली के पोर्टरों द्वारा यात्रियों से अधिक मजूरी लिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत पिछले एक वर्ष में प्राप्त नहीं हुई है। नई दिल्ली में लगभग एक मन भार के एक चक्कर के लिये ३ आने अधिकृत मजूरी है, और जब कि कुलियों को यात्रियों के लिये ठहरना पड़ता है तो ३० मिनट तक प्रतीक्षा के लिये ४ आने तथा ३० मिनट से अधिक तथा एक घण्टे तक प्रतीक्षा करने के लिये ८ आने मजूरी है। नई दिल्ली के स्टेशन मास्टर को सख्त अनुदेश है कि वह यह देखे कि लाइसेंस प्राप्त कुली अधिकृत दरों से अधिक न लें, और यदि अधिक लिया गया हो, तो तुरन्त उसी स्थान पर शिकायत को दर्ज करे। तथापि सम्भव है कि अनुदेशों के होते हुए भी, अधिक मजूरी लेने के मामले हुए हों और उसकी सूचना स्टेशन मास्टर को न मिली हो । संबद्ध पर्यवेक्षक कर्मचारियों को भी विशेष रूप से सतर्क रहने और इस प्रकार अधिक मजूरी लेने वाले पोर्टरों को पकड़ने और उनके विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई करने के लिये पुनः निदेश दिये जा रहे हैं।

पौष्टिक पदार्थ

†५४२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री देवगम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० अगस्त, १९५६, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने सब्जियों सहित भारतीय खाद्यों की पोषण शक्ति के अध्ययन के कार्य में क्या प्रगति की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : सब्जियों समेत भारतीय खाद्यों की पोषण शक्ति के बारे में भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् द्वारा किये गये अध्ययनों के परिणाम समय-समय पर "भारतीय खाद्यों की पोषण शक्ति और संतोषजनक खुराक की योजना" शीर्षक स्वास्थ्य समाचार सार संख्या २३ में प्रकाशित किये गये हैं। १९५६ में प्रकाशित इस समाचार सार के अन्तिम संस्करण में, १९५१ से लेकर अब तक खाद्य सामग्री पर किये गये अध्ययनों के परिणाम दिये गये हैं, इसमें ३०४ खाद्य वस्तुओं के १५ पोषक तत्वों के मूल्य सम्मिलित हैं।

माधोपुर हैडवर्क्स और नहरों को नये ढंग का बनाया जाना

†५४३. **सरदार इकबाल सिंह**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माधोपुर हैडवर्क्स और नहरों को फिर से नये ढंग का बनाने और उन्हें पुनः जोड़ने का प्रस्ताव केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो कितनी और कौन सी नहरों को बनाया तथा ठीक किया जाना है; और

(ग) सिंचाई कार्यों के लिये उनकी क्षमता क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) इन चार नहरों को बनाने तथा ठीक करने के लिये लिया जाने को है :

(१) अपरबारी दोआब नहर;

(२) सालमपुर फीडर (सूआ);

(३) माधोपुर ब्यास लिंक; और

(४) काश्मीर नहर ।

(ग) सिंचाई कार्यों के लिये उपरोक्त नहरों की क्षमता इस प्रकार है :

(१) अपरबारी दोआब नहर——९,००० क्यूसेक्स——
[इस नहर की कुल क्षमता ११,००० क्यूसेक्स है, जिसमें से २,००० क्यूसेक्स सिल्ट इजेक्टरों (रेत निकालने वाली धाराओं) के लिये है ।];

(२) सालमपुर फीडर ३,६०० क्यूसेक्स;

(३) माधोपुर ब्यास लिंक १०,००० क्यूसेक्स;

(४) काश्मीर नहर : क्षमता अभी निश्चित नहीं की गई है ।

पंजाब का अतिरेक चावल

†५४४. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ और १९५५–५६ में पंजाब राज्य में कितना अतिरेक चावल था ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : १० जुलाई, १९५४ से चावल पर से नियन्त्रण हटाया गया था । इसके पश्चात् पंजाब का अतिरेक चावल रेलवे और सड़क के द्वारा देश के दूसरे भागों में निर्बाध रूप से भेजा गया । इस प्रकार भेजे गये चावल की मात्रा का कोई अभिलेख नहीं रखा गया है ।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

†५४५. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५६ में भ्रष्टाचार के लिये उत्तर रेलवे के कितने पदाधिकारियों को दण्ड दिया गया;

(ख) क्या दण्ड दिया गया; और

(ग) अभी तक कितने मामलों में निर्णय दिया जाना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक ।

(ख) निन्दा करना ।

(ग) एक, जिस में दो पदाधिकारी लिप्त थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रेलवे माल डिब्बे

†५४६. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फीरोजपुर डिवीजन में १९५४ और १९५५ में व्यापारियों को कितने माल डिब्बे आवंटित किये गये; और

(ख) फीरोजपुर जिला के प्रत्येक स्टेशन को उनमें से कितने माल डिब्बे आवंटित किये गये थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) : (१) १९५४—१०९,९१३ ।
(२) १९५५—१०५,६४६ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]**

काश्मीर में विदेशी पर्यटक

†५४७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में अब तक काश्मीर में कितने विदेशी पर्यटक गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: जनवरी १९५६ से १८ नवम्बर, १९५६ तक ६,९२५ ।

यमुना नगर में चीनी का कारखाना

†५४८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये यमुना नगर की चीनी के कारखाने के विस्तार की एक योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है;

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) विस्तार कार्यक्रम की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, जनवरी १९५६ में आवश्यक लाइसेंस दिया गया था ।

(ग) ४४ लाख रुपये ।

(घ) कारखाने की गन्ना पेरने की क्षमता प्रतिदिन २,२५० टन से बढ़कर ३,२५० टन हो जायेगी । इससे यह विकास कार्य के परिणामस्वरूप अपने मण्डल में अधिक उत्पन्न हुए गन्ने को पेरने योग्य हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण

५४९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, १९५६ में पूर्वोत्तर रेलवे के कितने और किन-किन स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे के स्थानों पर विद्यार्थियों ने आक्रमण किया अथवा रेलवे के कार्यों में व्यवधान पहुंचाने का प्रयास किया; और

(ख) क्या यह सच है कि आसाम के गौहाटी स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और बनारस डिवीज़न के हथुवा तथा पडरौना स्टेशनों पर मेल गाड़ियों पर हमला किया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) :

	संख्या	नाम
स्टेशन	—	—
गाड़ियां	—	—
स्थान	१	सिमलगुड़ी जंकशन पर चाय की दुकान

(ख) जी नहीं, गौहाटी स्टेशन पर कोई घटना नहीं हुई और न सहायक स्टेशन मास्टर पर हमला किया गया। अक्टूबर, १९५६ में हथुवा या पडरौना स्टेशन पर सवारी गाड़ियों पर हमला करने की भी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन मालूम हुआ है कि १५-११-५६ को यू० एन० के० कालेज, पडरौना के कुछ विद्यार्थियों ने ३९५ अप सवारी गाड़ी पर काठकुइयां और पडरौना के बीच पत्थर फेंके। इन विद्यार्थियों के कुछ साथी इस गाड़ी में बिना टिकट चल रहे थे। मजिस्ट्रेट के अचानक धावे में उनके पकड़े जाने के बाद ऐसा हुआ।

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

रेलवे की आउट एजेंसियां

५५०. श्री भक्त दर्शन : क्या **रेलवे** मंत्री २४ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच और किन-किन स्थानों पर रेलवे की आउट एजेंसियां खोली गयी हैं;

(ख) किन-किन नये स्थानों पर आउट एजेंसियां खोलने का विचार किया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक बयान साथ नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३]**

रेलवे के लिये लकड़ी का क्रय

५५१. श्री खू० चं० सोधिया : क्या **रेलवे** मंत्री १३ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२४ के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५–५६ में रेलवे के उपयोग के लिये निम्नलिखित में से प्रत्येक से कुल कितने मूल्य की इमारती लकड़ी खरीदी गयी :

(१) विभिन्न राज्य सरकारों के वन-विभाग;

(२) सीधे गैर-सरकारी ठेकेदारों से;

(३) अन्य स्रोतों से; और

(ख) खरीदी गयी इस इमारती लकड़ी में से भिन्न-भिन्न रेलों के उपयोग के लिये कितने-कितने मूल्य की लकड़ी दी गयी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). सिविल इंजिनियरिंग और माल और सवारी डिब्बों के लिये लकड़ी रेलवे खुद खरीदती है या महानिदेशक, सम्भरण और निपटान (उत्सर्जन) से मगांती है। सिविल इंजिनियरिंग की इमारतों के ठेकेदार भी इमारती लकड़ी देते हैं। सभी रेलों के ठेकेदारों से सूचना मंगाने में काफी समय लग जायेगा ।

दूसरी बात की सूचना रेलों और महानिदेशक, सम्भरण और निपटान (उत्सर्जन) से मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे क्वार्टर

†५५२. **श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल बाबू, टिकट बाबू, और पार्सल क्लर्कों में से एक प्रतिशत को ही रेलवे क्वार्टर्स मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन श्रेणियों के अभ्यंश या आवंटन की प्रतिशतता को बढ़ाने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). रेलवे कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के लिये क्वार्टरों के आवंटन का कोई अभ्यंश निश्चित नहीं किया गया है। कर्मचारियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परमावश्यक कर्मचारियों को अपरमावश्यक कर्मचारियों पर प्राथमिकता दी जाती है ।

रेलवे कर्मचारी

†५५३. **श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४६ में नियुक्त किये गये माल, टिकट और पार्सल क्लर्कों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ अन्य श्रेणियों में पुष्टि के लिये तीन वर्ष की लगातार सेवा पर्याप्त होती है;

(ग) क्या पुष्टि के मामले में रेलवे कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिये कोई एकरूप नीति अपनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या स्थानापन्न अवधि के लिये कोई समय सीमा है, ताकि स्थानापन्न पद पर पुष्टि के लिये या सेवानिवृत्ति लाभ के लिये कर्मचारियों को लाभ हो सके ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इस समय केवल वर्कशाप के कर्मचारियों को तीन वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् पुष्ट समझा जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) पुष्टि के लिये स्थानापन्न अवधि की कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है। किन्तु स्थायी रेलवे कर्मचारियों को, जिन्होंने लगातार तीन वर्ष तक ऊंचे पद पर स्थानापन्न रूप से काम

†मूल अंग्रजी में।

किया होता है, भविष्य निधि के लिये विशेष अंशदान की गणना करने के हेतु ऊंचे स्थानापन्न वेतन का लाभ प्राप्त होता है ।

रेलवे कर्मचारी

†**५५४. श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातक और स्नातकोत्तर कर्मचारी ६०—१५० के वेतन क्रम में माल, टिकट तथा पार्सल क्लर्कों के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति का कोई विशेष अवसर नहीं मिल रहा है या उनकी उच्च योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उच्च योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के मार्ग को विस्तृत करने का विचार करेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि इन पदों के लिये न्यूनतम विहित योग्यता मैट्रिक ही है ।

बम्बई राज्य का परिवहन निगम

†**५५५. श्री काजरोल्कर** : क्या **परिवहन** मंत्री २७ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने जब से भाग लिया है तब से बम्बई राज्य परिवहन निगम को प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ है;

(ख) टैक्नीकल सहकारिता प्रशासन योजना के अन्तर्गत उसने कितनी गाड़ियां ली हैं;

(ग) राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पड़ौसी राज्यों में परिवहन सेवाओं का समन्वय करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) गैर-सरकारी मालिकों से निगम को अभी कितने मील लम्बी सड़कें लेना शेष है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]**

सिंघ पुखोरिया और तालाबुरू में टिकट घर

†**५५६. श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजखारस्वान-गुआ शाखा पर सिंघ पखोरिया और तालाबुरू के परिवहन क्रासिंग स्टेशनों पर टिकट घरों की व्यवस्था करने के लिये अभी तक कोई प्रबन्ध क्यों नहीं किये गये हैं, यद्यपि दोनों स्टेशनों का निर्माण १९४९ में पूरा हो चुका था; और

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इन स्टेशनों पर टिकट घर न होने के कारण रेलवे की आय में भारी हानि होती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : ये स्टेशन मूलतः परिवहन क्रासिंग स्टेशनों के रूप में बनाये और खोले गये थे। केवल अगस्त/सितम्बर, १९५४ में ही यह निर्णय किया गया था कि इनको सार्वजनिक यातायात के लिये खोल दिया जाये । इन स्टेशनों के खोले जाने के पूर्व

†मूल अंग्रेजी में ।

कम से कम सुविधाओं, जैसे टिकट घरों, प्रतीक्षालयों और रेल के धरातल के बराबर ऊंचे प्लेटफार्मों आदि की व्यवस्था की जानी थी। चूंकि उपलब्ध धन अधिक आवश्यक कामों और दूसरे ऐसे क्रासिंग स्टेशनों पर, जहां अधिक यातायात होने की सम्भावना थी, इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिये आवंटित कर दिया गया था, इसलिये इन निर्माण कार्यों को अभी तक मंजूर नहीं किया गया था किन्तु १९५७-५८ के कार्यक्रम में इन कार्यों को सम्मिलित कर लेने की सम्भाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रत्याशित यातायात बहुत सीमित है, इस लिये इन क्रासिंग स्टेशनों पर टिकट घर न होने के कारण कोई भारी हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिना टिकट यात्रा

†५५७. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री १९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत नव वर्ष दिवस को सिंघभूम ज़िला में दक्षिण-पूर्व रेलवे की राजखारसवान-गुआ शाखा पर बिना टिकट की अत्यधिक यात्रा को रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई थी;

(ख) क्या इन विशेष कार्यवाहियों के कारण बिना टिकट यात्रा में कोई कमी हुई थी; और

(ग) क्या अगले नव वर्ष दिवस को फिर इन्हीं विशेष कार्यवाहियों को करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) निम्नलिखित विशेष कार्यवाहियां की गईं थीं :

(१) जिला के असैनिक तथा पुलिस प्राधिकारियों की सहायता से ३१-१२-५५ को उक्त क्षेत्र के बाजारों में ढिंढोरे द्वारा इस बात का बहुत अधिक प्रचार किया गया था कि बिना टिकट यात्रा करना अवैध और गलत है।

(२) स्टेशनों के मुख्य स्थानों पर अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के पोस्टर लगाये गये थे जिन में लोगों को बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी।

(३) अन्य विभागों से कुछ टी० टी० मंगवा कर टिकट देखने वाले कर्मचारियों की सामान्य संख्या बढ़ा दी गई थी। साथ ही, टिकट देखने वाले कर्मचारियों की सहायता के लिये रेलवे सुरक्षादल और सरकारी पुलिस का भी उपयोग किया गया था।

(ख) जी, हां।

जबकि १-१-५५ को रुपये ६०२-१-६ के ५०५ टिकट बेचे गये थे, १-१-५६ को इस शाखा लाइन पर रुपये १,७४४-८-६ के २,०८४ टिकट बेचे गये थे।

लोगों की एक बड़ी भीड़ को, जिस में कोई ३,५०० व्यक्ति थे, जो विभिन्न स्टेशनों पर बिना टिकट गाड़ी में चढ़ने के लिये इकट्ठे हुए थे, इन कार्यवाहियों द्वारा रोका गया और उन्होंने या तो टिकट खरीदने अथवा यात्रा करने का विचार छोड़ दिया। जो कुछ लोग बिना टिकट गाड़ियों में चढ़ने में सफल हुए उनसे टिकट देखने वाले कर्मचारियों ने किराया वसूल किया और टी० टी० ओं ने उनसे ४०५/६/- रुपये की राशि किराया और जुर्माने के रूप में वसूल की।

(ग) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रेलवे में रक्षित पद

†५५८. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में प्रत्येक रेलवे में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितनी रिक्तियां रक्षित की गई हैं; और

(ख) अब तक प्रत्येक रेलवे में वस्तुतः कितनी रिक्तियों को अनुसूचित आदिम जातियों से भरा गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). रेलवेज से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६५५–५७
	विषय	
तारांकित प्रश्न संख्या		
६८०	केरल के लिये द्वितीय योजना	६५५–५७
६८१	वनस्पति तल	६५७
६८२	स्वशासित संस्थायें	६५७–५८
६८३	रेलों में भ्रष्टाचार ...	६५८–६०
६८४	यूरोप में रेलवे प्रतिनिधि मंडल	६६०
६८५	दक्षिण रेलवे के कर्मचारी	६६०–६१
६८७	फलों के रस के पाउडर का उत्पादन ...	६६१–६२
६८८	सामुदायिक विकास ...	६६२–६३
६८९	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जनता का सहयोग	६६४–६६
६९०	पटसन	६६६–६७
६९३	पूंजीगत आस्तियों का विकास	६६७
६९४	रेलवे इंजन का कारखाना, गोरखपुर	६६७–६८
६९८	जम्मू और काश्मीर में पर्यटन	६६८–६९
६९९	गाड़ी में हत्या ...	६६९–७०
७०१	मद्रास में भारतीय नाविकों का होस्टल	६७०
७०५	रूसी सहकारी संस्थाओं का अध्ययन	६७०–७१
७०८	विश्व डेरी (भव्यशाला) कांग्रेस	६७१–७२
७१०	ठंडे रेल डिब्बे ...	६७२
७११	नल-कूप सम्बन्धी सामान	६७३
७१३	समुद्रीय इंजीनियर	६७३–७४
७१४	हैदराबाद रेलवे पुल निरीक्षण समिति	६७५–७६
७१६	गजेटीयरों का प्रकाशन	६७६
७१७	राष्ट्रीय निर्माण निगम	६७६–७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६७७–७१४
तारांकित प्रश्न संख्या		
६७७	वेल्लोर-कांचीवरम रेलवे लाइन	६७७
६७८	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	६७७
६७९	ढोर	६७७
६८६	परिवहन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड	६७८
६९१	परिवार आयोजन अनुदान समिति ...	६७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—[क्रमशः]

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६९२	रेलवे टिकटों पर तारीख की मोहर लगाना ...	६७८
६९५	रेलवे में यातायात का केन्द्रीकृत नियन्त्रण	६७८–७९
६९६	राज्य सहकारी बैंक	६७९–८०
६९७	नदी घाटी परियोजनायें	६८०
७००	कृषि नेता अध्ययन परियोजना ...	६८०
७०२	सुल्लाह रेलवे स्टेशन	६८०
७०३	जंकमपेट (आन्ध्र) में चीनी का सहकारी कारखाना	६८१
७०४	आणविक विकिरण का मामला ...	६८१
७०६	वाल्टेयर तथा राजामुन्द्री के बीच दोहरी लाइन	६८१
७०७	रेलवे कम्पाउण्डर ...	६८१–८२
७०९	कटिहार-बरसोई लाइन	६८२
७१२	दक्षिण रेलवे सेवा आयोग	६८२
७१५	भारतीय रेलों पर बिजली से रेलें चलाने की व्यवस्था	६८२–८३
७१८	स्कूलों में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा	६८३
७१९	तुंगभद्रा उच्च तलीय नहर	६८३
७२०	तेलिचेरी तथा कुर्ग रेल-सम्पर्क	६८३–८४
७२१	रामगंगा पर सड़क का पुल	६८४
७२२	भूमिहीन खेतिहर मजदूर	६८४
७२३	दक्षिण रेलवे के रेलवे कर्मचारी	६८४–८५
७२४	बिहार में जमीन के नीचे के पानी को खोजने का कार्य	६८५
७२५	सांश्लेषिक तेल परियोजना	६८५
७२६	होटल प्रशिक्षण संस्था	६८५
७२७	धान की खेती का जापानी ढंग ...	६८६
७२८	दिल्ली में परिवहन सुविधायें	६८६
७२९	सड़क परिवहन ...	६८६
७३०	गंगा पर पुल	६८६–८७
७३१	बीज प्रमाणन केन्द्र	६८७
७३२	रेलों पर वस्तुयें बेचने के ठेके ...	६८७
७३३	गुडुर स्टेशन को नये ढंग से बनाना	६८७
७३४	नागार्जुन बांध स्थल पर अस्पताल	६८७–८८
७३५	कृषि वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करना	६८८
७३६	भाखड़ा जलाशय	६८८
७३७	दिल्ली परिवहन सेवा प्राधिकार	६८८
७३८	नाविक प्रशिक्षण संस्था	६८९
७३९	पेराम्बूर में सवारी डिब्बों को सज्जित करने का कारखाना...	६८९
७४०	काश्मीर को खाद्यान्न का सम्भरण	६८९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—[क्रमशः]

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४९६	खाद्य और सामुदायिक परियोजनायें प्रशासनिक योजनायें ...	६९०
४९७	परिवाद पुस्तकें	६९०
४९८	गोदाम ...	६९०
४९९	अहमदाबाद मेल	६९०–९१
५००	नार्वे सहायता कार्यक्रम ...	६९१–९२
५०१	राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई योजना	६९२
५०२	मध्य प्रदेश में नलकूप	६९२
५०३	मध्य प्रदेश में खोज सम्बन्धी नल कूप कार्यक्रम	६९३
५०४	सोमपटा में डाकगाड़ी का ठहरना	६९३
५०५	रेलवे के अनुज्ञाप्राप्त कुली संघ	६९३–९४
५०६	आसाम में नई रेलवे लाइनें	६९५
५०७	मछुओं के लिये अंशदायी बीमा	६९५
५०८	ढोर	६९५
५०९	मछलियों में बच्चों का परिवहन	६९६
५१०	सारडाइन	६९६
५११	रेलवे के प्रतीक्षालय का फर्नीचर	६९६
५१२	मुज़फ्फरपुर में स्टेशन परामर्शदात्री समिति ...	६९६
५१३	तृतीय श्रेणी में सोने का स्थान	६९६–९७
५१४	कमालपुर रेलवे स्टेशन खोलना	६९७
५१५	दोर्णाकल रेलवे स्टेशन ...	६९७–९८
५१६	मालाबार काश्तकारी अधिनियम	६९८
५१७	गेहूं का आयात	६९८
५१८	भूतलीय जल संसाधन ...	६९९
५१९	रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लोग ...	६९९
५२०	नंगल तथा ऊना रेलवे मार्ग	६९९
५२१	गन्ना	६९९–७००
५२२	दिल्ली प्राणकीय वाटिका ...	७००
५२३	पंजाब में केन्द्रीय खाद्यान्न गोदाम	७००
५२४	देशीय औषधियां ...	७०१
५२५	रेलवे आउट-एजेंसियां	७०१
५२६	घी का उत्पादन	७०१
५२७	बिहार को खाद्यान्नों का सम्भरण	७०२
५२८	पिछड़े हुये क्षेत्रों में रेलवे लाइनें	७०२
५२९	उदयपुर स्टेशन	७०२–०३
५३०	माही परियोजना	७०३
५३१	डीज़ल से चलने वाले इंजन ...	७०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—[क्रमशः]

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५३३	द्वितीय योजना में रेलवे कार्यक्रम	७०३
५३४	ब्रेक्समैनों का प्रशिक्षण	७०४
५३५	पूर्वोत्तर रेलवे समय सारणी ...	७०४
५३६	रेलवे कर्मचारियों की निश्शुल्क यात्रा	७०४–०५
५३७	मीन क्षेत्रों का विकास	७०५
५३८	ओलवक्कोट के रेलवे कर्मचारी ...	७०६
५३९	गुण्टूर स्टेशन पर ऊपरी पुल	७०६
५४०	गुण्टूर में रेलवे के स्थान	७०६
५४१	पोर्टरों की मजूरी ...	७०७
५४२	पौष्टिक पदार्थ	७०७
५४३	माधोपुर हैडवर्क्स और नहरों को नये ढंग का बनाया जाना	७०७–०८
५४४	पंजाब का अतिरेक चावल	७०८
५४५	रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार ...	७०८
५४६	रेलवे माल डिब्बे ...	७०९
५४७	काश्मीर में विदेशी पर्यटक ...	७०९
५४८	यमुनानगर में चीनी का कारखाना	७०९
५४९	रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण	७१०
५५०	रेलवे की आउट-एजेंसियां	७१०
५५१	रेलवे के लिये लकड़ी का क्रय ...	७१०–११
५५२	रेलवे क्वार्टर	७११
५५३	रेलवे कर्मचारी	७११–१२
५५४	रेलवे कर्मचारी ...	७१२
५५५	बम्बई राज्य परिवहन निगम ...	७१२
५५६	सिंघपुरखोरिया और तालाबुरू में टिकट घर ...	७१२–१३
५५७	बिना टिकट यात्रा ...	७१३
५५८	रेलवे में रक्षित पद ...	७१४

M14LSD—190—6-2-58—GIPF.

खण्ड ९ — अंक १४
३ दिसम्बर, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

(XIV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[भाग २, वाद-विवाद, खण्ड ६—अंक १ से १५—१४ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १६५६]

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १६५६ — **पृष्ठ**

श्री भवानी सिंह का देहावसान — १

स्थगन प्रस्ताव—

हंगरी क बारे में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का दृष्टिकोण — १–२

उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिये जाने का आरोप ... ... — २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल — ३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... — ४–७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — ७

सदस्यों का त्यागपत्र ... — ७

विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
के बारे में अधिसूचना

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना — ८

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव — ८–२८
खण्ड १ से १६ ... ... — २६–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — २८

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — २८–४४
खण्ड १ से ५८ और अनुसूची ... — ३६–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ४४

दैनिक संक्षेपिका — ४५–४८

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १६५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र — ४६

कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ... ... — ४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... — ४६

दो सदस्यों का नामनिर्देशन ... — ४६

भाग "ग" राज्य (विधि) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — ५०–५५
खण्ड २ से ४ और खण्ड १ ... — ५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ५५

पृष्ठ

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ५५–८०
खण्ड २ और १ ... ... ८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८०
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ८१–९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन ९६
दैनिक संक्षेपिका ९७

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन ९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ९९–१०१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य ... १०१–०५
जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न १०५
कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन १०६
प्रवर समितियों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—
(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक १०६
(२) बाल विधेयक १०६
(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १०६
अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... १०७
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १०७
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १०७–१७
खण्ड २ से ७ और १ १०७–१०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ११०
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८–२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन १२१
नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प १२१–३४
सभा का कार्य १११, ११७–१८, १३४–३५
दैनिक संक्षेपिका १४४–४६

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१४७–४८
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत—	
साक्ष्य सभा-पटल पर रख दिये गये ...	१४९
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका ...	१४९
सभा का कार्य ... — — ... ... —	१४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव	१५०–८५
दैनिक संक्षेपिका	१८६–८७

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८९–९०
बाट तथा माप मान विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९०
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९१
संयुक्त समिति के समक्ष दी गयी साक्षी	१९१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ...	... १९१–२२९
दैनिक संक्षेपिका	२३१–३२

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	... २३३, २५५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	२३३
स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२३३
रेलवे समय-सारिणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका	२३४
केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	२३४
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३५
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव ...	२३६–५१
खण्ड २ से ९, अनुसूची तथा खण्ड १	२४८–५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५०

पृष्ठ

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५१–५८
खण्ड २ तथा १ ... ... २५५–५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५७

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५८–८३
खण्ड २ से ४६, अनुसूची तथा खण्ड १ ... २७२–८२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २८२

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८३–८५

दैनिक संक्षेपिका २८६–८७

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८९–३२२
खण्ड २ और १ ... ३२२
पारित करने का प्रस्ताव ३२२

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३२३–३६
खण्ड २ से ७ और १ ... ३३५–३६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक— ,
विचार के लिये प्रस्ताव ३३७–३८

दैनिक संक्षेपिका ३३९

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४१
राज्य-सभा से सन्देश ३४१–४२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३४२

कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ३४२
सभा का कार्य ३४२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३

पृष्ठ

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३
भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३–४४
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३४४–५६
खण्ड २ से ५ और खण्ड १ ... ३५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३५६–६४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–
तिरेसठवां प्रतिवेदन ३६४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०७ का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ३६५
भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ आदि का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ... ३६५
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—
(धारा ६ का संशोधन)—पुरःस्थापित किया गया ३६६
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६६–८९
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३८९–९०
दैनिक संक्षेपिका ३९१–९२

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना ... ३९३–९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९९–४००
राज्य-सभा से सन्देश ... ४००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ४००
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१–१५
खण्ड २ से ३५, अनुसूची तथा खण्ड १ ... ४१४–१५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१५
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४१५–४४
दैनिक संक्षेपिका ४४५–४६

पृष्ठ

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४७–४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मनीपुर से एक सदस्य का राज्य-सभा के लिये निर्वाचन ४४८–४९

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ४४९–६१

खण्ड २ से १६ और १ ... ... ४४९–६१

पारित करने का प्रस्ताव ... ४६१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४६१–७९

खण्ड २ से ८ और १ ... ... ४७५–७९

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४७९

मद्रास-तूतीकोरिन रेल दुर्घटना पर चर्चा ४७९–९६

दैनिक संक्षेपिका ... ४९७–९८

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रिवेन्द्रम् में केरल उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के बारे में आन्दोलन ४९९–५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ... ५०१

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५०१–३७

दैनिक संक्षेपिका ५३८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६

भारतीय डाक तथा तार अधिनियम और नियमों के बारे में याचिका ५३९

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५३९–५७

खण्ड २ से १०२ और खण्ड १ ... ५४६–५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५५७

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५५८–८३

दैनिक संक्षेपिका ५८४

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ५८५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८६

पृष्ठ

लोक-लेखा समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५८६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

बाल विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६
प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य ५८६–८७

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५८७

सभा का कार्य ५८७–८८

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ५८८–६१२
खण्ड २ से २५ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ६०२–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौसठवां प्रतिवेदन ६१२–१३

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६१३–२८

राजनैतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प ६२८–२९

आर्थिक स्थिति और कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें ६२९–३६

वित्त (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित ६३६–३७

वित्त (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ६३७

दैनिक संक्षेपिका ६३८–३९

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
रामलीला मैदान में पटाखे का विस्फोट ६४१–४२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६४२–४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ६४३
राज्य-सभा से सन्देश ६४३

हिन्दू दत्तकग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ६४३–४४

सभा का कार्यक्रम ६४४

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ६४४

राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ६४४–८०

दैनिक संक्षेपिका ... ६८१–८२

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६८३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठाहरवां प्रतिवेदन ६८३–८८

समिति के लिये चुनाव—
भारतीय टैक्नोलाजीकल संस्था, खड़गपुर ६८८

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ६८९–७१७

कार्य मंत्रणा समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ७१७

केरल के खनिज संसाधन सम्बन्धी आध घंटे की चर्चा ७१७–२२

दैनिक संक्षेपिका ७२३

M44LSD—190—26-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

१२·०१ **म० प०**

स्थगन प्रस्ताव

रामलीला मैदान में पटाखे का विस्फोट

†**अध्यक्ष महोदय** : "३० नवम्बर, १९५६ को चीन के प्रधान मंत्री द्वारा रामलीला मैदान की सार्वजनिक सभा में भाषण दिया गया था, उसमें एक पटाखे के विस्फोट के फलस्वरूप कई व्यक्तियों के घायल होने" के सम्बन्ध में श्री वि० घ० देशपांडे ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। गृह-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : ऐसी घटना के होने से मुझे खेद है, और मुझे इस सम्बन्ध में काफी चिन्ता भी है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता है कि नियमों के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को कैसे ग्रहण किया जा सकता है, या उसके ग्रहण करने से क्या लाभ होगा। मुझे यह भी मालूम हुआ कि कुछ अल्प सूचना प्रश्न भी पूछे गये हैं। मैं इसी सप्ताह में उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इसलिये, मेरे विचार से तो यह स्थगन प्रस्ताव उचित नहीं है।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** (गुना) : यह एक अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न है। मैंने उसे पटाखा इसलिये कहा है क्योंकि समाचारपत्रों में उसे पटाखा ही कहा गया है। लेकिन, वह वास्तव में एक बम का विस्फोट था। दिल्ली में एक भारी षड़यंत्र चल रहा है और वही इन बमों के विस्फोटों के लिये उत्तरदायी है। एक विदशी राज्य के प्रधान के भाषण के लिये आयोजित सार्वजनिक सभा में बम का विस्फोट हुआ है और फिर भी भारत सरकार की पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। दिल्ली की जनता के लिये ही नहीं, विदेशियों के जीवन के लिये भी खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली प्रशासन की इस असफलता के सम्बन्ध में सभा को चर्चा करनी चाहिये। सभा वास्तविक तथ्यों को जानना चाहती है।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वि० घ० देशपांडे]

दिल्ली पुलिस उसका पता लगाने में क्यों असफल रही है ? यदि इस पर चर्चा की अनुमति दी जाये, तो मैं कुछ साक्ष्य पेश करूंगा कि बमों के इन विस्फोटों की जांच-पड़ताल में कुछ राजनीतिज्ञों ने ही अड़चन डाली है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय महत्व का मामला है, इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या इस मामले के सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं अभी इस समय इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता कि यह कहना गलत है कि वह बम था । वह एक पटाखा ही था ।

†**श्री कामत** : विचित्र-सी बात है कि जिस सभा में बर्दीधारी और सादा पोशाक में सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद हों, उसमें भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सका ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : उसमें लाखों दर्शक और श्रोता भी थे । यदि सैकड़ों पुलिस वाले वहां थे, तो सभा में भाषण देने वालों का सम्मान करने के लिये वहां लाखों व्यक्ति भी जमा थे ।

यदि कोई माननीय सदस्य उसका कोई सूत्र बता सकें—

†**श्री कामत** : यह पुलिस का काम है । यदि वह इसे नहीं कर सकती है तो उसे निकाल दिया जाये ।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** : इस घटना से पहले भी चार बम विस्फोट हो चुके हैं ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह तो ठीक है, मैं भी कहता हूं कि यह पुलिस का काम है और उसे करना भी चाहिये, लेकिन मैं यही कह रहा था कि यदि यहां के या बाहर के किसी व्यक्ति के पास इससे सम्बन्धित कोई सूचना हो तो वे यदि चाहें तो अत्यन्त ही गोपनीय रूप से, उसे मेरे पास पहुंचा दें और मैं उसके लिये उनका आभारी रहूंगा, क्योंकि उससे हमें इस घटना की जांच-पड़ताल करने में सहायता मिलेगी ।

†**श्री कामत** : तब पुलिस प्रशासन की असफलता को स्वीकार कीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सूत्र नहीं मिल सका है । उनके कथन का अर्थ यही है कि यदि कोई इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य जानता हो, तो उन्हें बता दे । यह बिलकुल उचित है । विरोधी दल को कोई चुनौती देने का उनका अभिप्राय नहीं है ।

यह बिलकुल सही है कि समूची जनता इस मामले में रुचि रखती है । ऐसे अवसर पर जब कि किसी दूसरे देश का प्रधान मंत्री भाषण दे रहा हो तो उसकी और अन्य सभी की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है । इस बात को देखते हुए कि इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है और इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न भी पूछे गये हैं, इस पर अधिक चर्चा करना आवश्यक नहीं है । माननीय मंत्री ने इसी सप्ताह में एक वक्तव्य देने का वचन दे ही दिया है । इसिलये, मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता हूं ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं जनगांव और रघुनाथपल्ली स्टेशनों (मध्य रेलवे) के बीच स्थित गर्डरों के पुल पर २७ सितम्बर, १९५४ को ३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी

---

†मूल अंग्रेजी में ।

से उतर जाने के सम्बन्ध में रेलवेज़ के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०–५११/५६]**

†**श्री फीरोज़ गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : रेलवेज के सरकारी निरीक्षक ने यह प्रतिवेदन दिसम्बर, १९५४ में दे दिया था, अक्तूबर, १९५५ में इसका प्रकाशन हो गया था, फिर इसे सभा-पटल पर रखने में इतना बिलम्ब क्यों किया गया है ?

†**श्री गाडगिल** (पूना–मध्य) : दूसरी दुर्घटना जो हो गई ।

†**श्री अलगेशन** : इससे सम्बन्धित प्रशासकीय व्यवस्था संचार मंत्रालय की थी । यदि इसे सभा-पटल पर रखना आवश्यक समझा जाता तो संचार मंत्रालय को ही इसे सभा-पटल पर रख देना चाहिये था । चूंकि इसे सभा-पटल पर रखने का प्रश्न ५ दिसम्बर को होने वाली चर्चा के सम्बन्ध में ही उठा है, इसलिये हम अब इसे सभा-पटल पर रख रहे हैं ।

— —

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि गत सप्ताह में राष्ट्रपति ने सभा के दोनों सदनों द्वारा चालू सत्र में पारित इन विधेयकों पर अपनी अनुमति दे दी है :

(१) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

(२) अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक, १९५६ ।

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे इस सभा को राज्य-सभा के सचिव द्वारा भेजे गये इन संदेशों की सूचना देनी है :

(१) "कि राज्य-सभा ने २९ नवम्बर, १९५६ को हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह-व्यय विधेयक १९५६ को पारित कर दिया है ।"

(२) "कि राज्य-सभा ने ३० नवम्बर, १९५६ को डा० (श्रीमती) सीता परमानन्द के हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पारित कर दिया है ।"

हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह-व्यय विधेयक और हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक

†**सचिव** : मैं इन विधेयकों को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह-व्यय विधेयक, १९५६ ।

(२) डा० (श्रीमती) सीता परमानन्द का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री आल्तेकर]

साथ ही, मैं तेरहवें सत्र १९५६ में सभा की बैठकों से पन्द्रह दिन या इससे अधिक काल के लिये लगातार अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के नामों की सूची भी सभा-पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्यक्रम

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैंने शुक्रवार, ३० नवम्बर, को, इस सप्ताह के लिये सभा का कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया था कि शायद सूची में एक या दो विधेयकों को और सम्मिलित करना पड़े ।

मैं घोषित करना चाहता हूं कि इस सप्ताह के कार्यक्रम में दो और भी विधेयक—वित्त विधेयक (संख्या २) १९५६ और वित्त विधेयक (संख्या ३) १९५६—सम्मिलित कर दिये गये हैं । कार्य-सूची भी इसी के अनुसार पुनरीक्षित कर दी जायेगी ।

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक*

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में संकल्प

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा १ नवम्बर, १९५६ को केरल राज्य के बारे में निकाली गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

देश में हुए राज्यों के पुनर्गठन के कारण ही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी है । अब त्रावनकोर-कोचीन राज्य को बढ़ा दिया गया है और नया केरल राज्य बन गया है । यह भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लगभग दूने के बराबर है और इसकी जनसंख्या पहले की अपेक्षा कोई ५० प्रतिशत अधिक हो गई है । अब वहां कोई भी राजप्रमुख नहीं रहा है । प्रशासन का भार कोई संवैधानिक प्रधान ही संभालेगा । केरल राज्य का विधान मंडल बनने तक तो वही प्रशासन कार्य चलायेगा, लेकिन उसके बनते ही केरल राज्य को सभी राज्यों के समान शक्तियां और विशेषाधिकार प्रदान कर दिये जायेंगे और उसकी प्रतिष्ठा भूतपूर्व भाग 'क' में के राज्यों के समान ही होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के सूचना-पत्र असाधारण, भाग २, विभाग २, दिनांक ३-१२-५६ में प्रकाशित ।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मैंने शायद २८ मार्च को इसी सभा में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सम्बन्ध में जैसा कि वह उस समय था, इसी प्रकार का एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इस सभा द्वारा उक्त संकल्प के स्वीकृत हो जाने पर, उस संकल्प को २४ अप्रैल को राज्य-सभा के समक्ष भी रखा गया था। उस समय केरल राज्य के बनने की संभावना थी, पर वह बना नहीं था। उस उद्घोषणा की वैधता की अवधि छः माह से अधिक नहीं थी। उसकी अवधि २४ अक्तूबर को समाप्त होने को थी। नये राज्य १ नवम्बर, को अस्तित्व में आने वाले थे। इस प्रकार, २४ अक्तूबर और १ नवम्बर के बीच लगभग एक सप्ताह की अन्तरावधि रह जाती थी। इसलिये मैंने ३१ अगस्त को इस सभा के अनुमोदन के लिये पुनः एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उस संकल्प को भी दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। नये केरल राज्य के बारे में भी, मैं इसी प्रकार का अनुरोध कर रहा हूं।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी कि केरल राज्य के प्रशासन के लिये कोई उद्घोषणा करना नितान्त आवश्यक है। चुनाव अब समीप ही आ गये हैं, अगले तीन या चार माहों में चुनाव होंगे और इस अन्तर्काल में निर्वाचक नामावलियां तैयार करने, नये प्रशासन को एक-एक दृढ़ आधार पर स्थापित करने और चुनाव करने से पहले केरल राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिये आवश्यक अन्य आरम्भिक उपाय करने के लिये कार्यवाही की जायेगी। ऐसी परिस्थितियों में, कोई इसे चाहे या न चाहे मेरा प्रस्ताव अवश्यम्भावी हो जाता है। आज की इस वर्तमान परिस्थिति में और कोई भी मार्ग नहीं रह गया है। इसलिये, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

केरल के प्रशासन को चलाने में सरकार की सहायता करने के लिये जो मंत्रणा समिति बनाई जायेगी, उसमें केरल के सभी सदस्यों को सम्मिलित कर लिया जायेगा। कुछ दिन पहले मुझे उनमें से अधिकांश सदस्यों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमने वहां की अधिकांश महत्त्वपूर्ण समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की थी और मुझे प्रसन्नता है कि केवल एक विषय को छोड़कर, जिसके सम्बन्ध में कि उन सदस्यों में ही आपस में मतभेद है, शेष सभी विषयों के सम्बन्ध में उनमें एक प्रकार से मतैक्य ही था। इससे केरल राज्य के भविष्य के लिये बड़ी आशायें बंध जाती हैं। वहां काफी अधिक समय से स्थायित्व का अभाव रहा है, और अब मुझे आशा है कि चुनावों के बाद वहां एक नया दौर आरम्भ होगा और केरल में एक स्थायी मंत्रिमंडल बन जायेगा, जो केरल के विकास और केरल की जनता की उन्नति के लिये भरसक प्रयत्न करेगा।

३१ अगस्त को इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय, मैंने सभा का ध्यान केरल में प्रशासन की कार्य-क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रशासक द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों की ओर आकर्षित किया था। तब मैंने उन अन्य उपायों का भी उल्लेख किया था जो केरल के विकास की गति तेज करने के लिये किये गये थे। तब एक पुस्तिका भी वितरित की गई थी, जिसमें तत्कालीन प्रशासन द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों और प्राप्त सफलताओं को एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया था। एक और पुस्तिका अब जारी की गई है, जिसमें सम्पूर्ण वर्णन को अद्यतन बना दिया गया है। आशा है कि माननीय सदस्यों ने उसे देख लिया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात में मुझ से सहमत होंगे कि वहां के प्रशासक श्री पी० एस० राऊ ने जो कार्य उनको सौंपा गया था उसे वास्तविक और एकनिष्ठ उत्साह के साथ निभाया है और उसमें अपनी सारी प्रतिभा तथा शक्ति लगा दी है। उन्होंने सभी ओर ध्यान दिया। उन्होंने केवल प्रशासन के ब्योरों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उचित मानदण्डों को स्थापित करने और बनाये रखने के साथ ही साथ, उन्होंने स्थायी प्रकार के कुछ ऐसे भी उपाय किये हैं जो केरल की वर्तमान उन्नति के लिये ही नहीं बल्कि भविष्य के लिये भी उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिये, मैं श्री पी० एस० राऊ के प्रयासों की सराहना करता हूं, और आशा करता हूं कि इन कुछ माहों में भी, जिनमें कि वर्तमान प्रशासन एक अनुभवी राज्यपाल के अधीन रहेगा, और भी अग्रेतर प्रगति होगी। केरल की जनता

[पंडित गो० ब० पन्त]

के कल्याण के लिये भरसक प्रयत्न करना वर्तमान प्रशासन का कर्त्तव्य है । उसे अपना ध्यान उन विषयों पर ही केन्द्रित करना चाहिये, जो वास्तव में महत्त्वपूर्ण हैं, और लोकतांत्रिक सरकार को प्रशासन की बागडोर संभालने के समय तक मुझे आशा है कि वह नये केरल राज्य की चतुर्दिक, शीघ्र प्रगति की नींवें डाल देगा ।

केरल की जनता और उसके प्रतिनिधियों का ध्यान तीन या चार समस्याओं पर ही लगा रहा था । पुराने मद्रास राज्य में मलाबार का एकमात्र जिला ऐसा था, जिसकी जनसंख्या ५० लाख थी और क्षेत्रफल ६,५०० वर्ग मील से कुछ अधिक था । क्षेत्रफल में वह पुराने त्रावनकोर-कोचीन राज्य के प्रायः बराबर ही है । इसीलिये एक सुझाव यह दिया गया है, और मैं समझता हूं कि सभी इससे सहमत होंगे, कि अब मलाबार के इस बड़े जिले को तीन इकाइयों में विभाजित कर दिया जाये जिससे कि प्रशासन कार्य को क्षमता के साथ चलाया जा सके और प्रश्नों तथा समस्याओं को शीघ्रता से हल किया जा सके । ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में सभी पूर्णरूप से सहमत हैं । इनमें से एक जिले, सब से उत्तरी जिले, की राजधानी के सम्बन्ध में कुछ मतभेद था कि उसे कहां रखा जाये । लेकिन, अब लगता है कि सभी लोग इस बात को मान गये हैं कि राजधानी तो कन्नूर में रखी जाये पर तेल्लिचेरी में स्थित न्यायालयों को वहां से न हटाया जाये और उन्हें वहीं रहने दिया जाये । आशा है कि यह समझौता सभी को स्वीकार्य होगा और इसे अविलम्ब कार्यान्वित किया जायेगा ।

इस जिले में स्थिति न्यायालयों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से भी कुछ असंतोष पैदा हो गया था । लेकिन जब हमने इस विषय पर चर्चा की थी तो कुछ सुझाव दिये गये थे । मैंने राज्यपाल को सलाह दी है कि न्यायालयों को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाये कि उससे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सन्तोष हो । और यदि आवश्यकता पड़े तो पहले के स्थान पर ही न्यायालयों को रहने दिया जाये ।

वेतनक्रमों के सम्बन्ध में भी एक समस्या उठी थी । मद्रास में शायद वेतनक्रम त्रावनकोर-कोचीन की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचे थे । लगता है कि न्यायिक अधिकारियों के लिये अब कुछ बढ़े हुए वेतनक्रमों को स्वीकार कर लिया गया है । परन्तु जैसा प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि समूचे प्रश्न की जांच की जानी चाहिये और न केवल किसी विभाग विशेष के सम्बन्ध में ही अपितु सभी श्रेणियों की सेवाओं के लिये यह देखा जाना चाहिये कि नये वेतनक्रम क्या होने चाहिये । संभवतः इसे बाद में करना पड़े और मंत्रिमंडल के निर्माण के पश्चात् इसे अन्तिम रूप दिया जाये । परन्तु इस बीच प्रारम्भिक कार्य किया जा सकता है और आवश्यक सामग्री एकत्र की जा सकती है ।

एक और प्रश्न उच्च न्यायालय की उस बैंच (न्यायालय) के, जो पहले त्रिवेन्द्रम् में काम करती थी पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में था । इस पर मतभेद था । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, संविधान के अधीन, केन्द्रीय सरकार को स्थायी बैंच (न्यायालय) स्थापित करने का प्राधिकार प्राप्त है, परन्तु अस्थायी बैंच (न्यायाधीश वर्ग) मुख्य न्यायाधिपति के क्षेत्राधिकार में है और सम्बन्धित राज्य का मुख्य न्यायाधिपति राज्यपाल के परामर्श से उन्हें स्थापित कर सकता है । त्रिवेन्द्रम् में एक बैंच (न्यायालय) थी । उसका क्षेत्राधिकार त्रावनकोर या त्रिवेन्द्रम् के जिले तक सीमित था । उस क्षेत्र में, जिसमें यह न्यायालय कार्य करता था वे चार ताल्लुक भी सम्मिलित थे जो अब मद्रास को हस्तांतरित किये गये हैं । मेरे विचार से इस क्षेत्र की जनसंख्या ८-१/२ लाख थी और क्षेत्रफल ८०० वर्ग मील था । यह न्यायालय वर्ग केवल इसी जिले के लिये कार्य करता था । उसका आधा भाग अथवा उक्त क्षेत्र का ४० प्रतिशत भाग और जनसंख्या अब मद्रास को हस्तान्तरित कर दी गई है ।

इस बैंच में केवल दो न्यायाधीश थे। मूल त्रावनकोर-कोचीन समिति ने यह सुझाव दिया था कि एरणाकुलम् में केवल एक उच्च न्यायालय होना चाहिये, परन्तु बाद में जैसा मैं समझता हूं, उन चार तालुकों में तीव्र आन्दोलन हुआ था कि उन्हें १९५४ या १९५२ के लगभग मद्रास को हस्तांतरित कर दिया गया था, यह न्यायालय इस एक जिले के लिये बनाया गया था और यह त्रिवेन्द्रम् में स्थित था।

मुझे इस विषय में संदेह है कि जब यह सारा क्षेत्र इस न्यायालय के अधीन था तो तब भी इसके पास पर्याप्त कार्य था अथवा नहीं। अब इसका लगभग आधा भाग हस्तांतरित किया जा चुका है; और जब तक कि त्रावनकोर-कोचीन के केरल में परिवर्तित होने के पश्चात् इस जिले के लोग अधिक मुकदमें-बाज न हो जायें, इस न्यायलय वर्ग को निस्संदेह पहले की अपेक्षा कम काम करना पड़ेगा। मेरी आशा इसके विपरीत है, कि वे मुकदमेंबाजी छोड़ देंगे और अपने मामलों को आपस में ही तै कर लेंगे, और जब तक वह अधिक मुकदमेंबाज न हो जायें काम और भी कम रहेगा। अतः इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या वहां कोई न्यायालय वर्ग स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से रखना लाभदायक भी होगा अथवा नहीं। जहां तक उसके स्थायित्व का प्रश्न है, मुझे उस पर और विचार करना होगा। आप स्वीकार करेंगे कि मैंने जो तथ्य बताये हैं उन पर ध्यानपूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में एक और बात पर विचार करने की आवश्यकता है, कि अब जब कि इस जिले की जनसंख्या लगभग १३ लाख होगी, मैं समझता हूं कि दूसरे छोर पर स्थित मलाबार के नये जिले की जन-संख्या ५० लाख से अधिक होगी और एरणाकुलम् का उच्च न्यायालय त्रिवेन्द्रम् की अपेक्षा मलाबार से अधिक दूरी पर होगा। अतः इन परिस्थितियों में केरल के लोगों को इस प्रश्न पर निष्पक्ष भाव से विचार करना होगा कि राज्य के सर्वोत्तम हित में क्या करना उचित होगा। हमने जो कुछ दिन पूर्व बैठक आयोजित की थी उसमें मलाबार के एक प्रतिनिधि के विचार, जिससे कि परामर्श करने का हमें अवसर मिला था, इस सम्बन्ध में बिलकुल निश्चित थे। उनका मत था कि केवल एक ही न्यायलय होना चाहिये और उस न्यायालय के सम्मान, दक्षता और महत्ता के लिये यह आवश्यक था कि उसे छोटे-छोटे भागों में विभक्त न किया जाये। इस सम्बन्ध में विधि आयोग ने ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् अपनी निश्चित राय प्रकट की है और उसे इस सभा के पटल पर रख दिया गया था। उसकी राय यह थी कि ऐसे न्यायालय वांछनीय नहीं हैं। उसके द्वारा व्यक्त की गई राय के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहूंगा। माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप, उच्च न्यायालय भी बड़े न्यायालयों में विलय कर दिये गये हैं। अब उदाहरणतः यदि आप पड़ोस के प्रांत पंजाब को लें, तो पंजाब में एक उच्च न्यायालय था और पैप्सू में भी उच्च न्यायालय था, और जब पंजाब और पैप्सू को मिलाया गया, तो पैप्सू का उच्च न्यायालय पंजाब के उच्च न्यायालय में विलीन कर दिया गया, और अब एक ही उच्च न्यायलय है और कोई बैंच कहीं भी नहीं है दूसरा उदाहरण मेरे ध्यान में आंध्र का है। पहले आंध्र राज्य का अपना उच्च न्यायालय था और हैदराबाद का एक और उच्च न्यायालय था, परन्तु अब आंध्र की जनता ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपने उच्च न्यायालय को हैदराबाद के उच्च न्यायालय में विलीन कर दिया है और उसे अपने राज्य से तेलंगाना को स्थानान्तरित कर दिया है जो हैदराबाद से सम्बद्ध है। अतः इन सभी प्रश्नों पर निष्पक्ष भाव से विचार किया जाना चाहिये। जहां तक न्यायाधीन मामलों के निबटारे के लिये अस्थायी बैंचों को स्थापित करने का सम्बन्ध है, स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसा करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, और संभव है कि ऐसा न्यायालय स्थापित किया जाये अथवा शीघ्र ही त्रिवेन्द्रम् में न्यायाधीश मामलों के निबटारे के लिये एक शाखा न्यायालय स्थापित किया जाये। मैं इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त नहीं करता····

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या उस अवधि में उसी न्यायालय में आने वाले मामलों को न्यायाधीन रखा जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं नहीं जानता कि विधि में इसकी अनुज्ञा है अथवा नहीं इस पर तो मुख्य न्यायाधिपति को विचार करना होगा, क्योंकि यह मुख्य न्यायाधिपति के क्षेत्राधिकार में होगा और हमें, अर्थात कार्यपालिका को, इन विषयों के सम्बन्ध में प्राधिकार प्राप्त नहीं है। विधि क्या है और वह क्या करेगा इस सबका निर्णय स्थानीय रूप से किया जायेगा। अन्ततः हम सभी को केरल के विशद हितों का ध्यान रखना है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : बिलकुल ठीक।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे केरल के हितों को तनिक भी हानि पहुंचे अथवा उसकी प्रगति में किसी प्रकार की रुकावट पैदा हो। इसे अपना व्यय करना पड़ेगा; अपनी आवश्यकतायें पूरी करनी पड़ेंगी और अन्ततः अपने प्रशासन का पूरा उत्तरदायित्व उनको ही उठाना पड़ेगा। हम किसी को किसी भी कठिनाई में नहीं डालना चाहते, हमारी इच्छा सहायता करने की है और यदि आवश्यकता हुई तो कुछ ऐसे अप्रिय कार्य करने की भी है जो अन्त में उनके लिये लाभप्रद प्रमाणित होंगे। हम जितना कर सकते हैं उनकी सेवा करने के लिये यहां हैं और मैं स्वयं तो यह चाहता हूं कि वे मुझे मार्ग दिखायें; इस समिति के औपचारिक रूप में नियुक्त होने से पूर्व भी, उनसे मिलना मैं अपना एक विशेषाधिकार समझता था, और मुझे आशा है कि भविष्य में भी ऐसे अवसर मिलेंगे, और उनके लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूंगा।

एक और बात पर भी विचार करना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की योजना के अधीन, एक खण्डीय परिषद् बनाई जानी थी। उसमें विहित प्रक्रिया के अनुसार सामान्यतः प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री और उसके द्वारा नियुक्त अथवा नामनिर्दिष्ट दो मंत्री प्रतिनिधि होने चाहिएं। मैंने केरल के माननीय सदस्यों को सुझाव दिया है कि वे ऐसे दो नाम बतायें जिन्हें कि उनके राज्य के प्रशासक से सम्बद्ध किया जाये, क्योंकि वहां कोई मंत्रिमंडल नहीं होगा अतः मैंने यह ठीक समझा कि इस सम्बन्ध में उनसे परामर्श किया जाये। मैं समझता हूं कि मैंने सभी विवादास्पद समस्याओं को ले लिया है। मैं उस कार्य की सूची देना आवश्यक नहीं समझता जो अभी केरल से हाल ही में सेवानिवृत्ति हुए प्रशासक ने वहां किये हैं।

†**श्री कामत** : आपने एक सुन्दर पुस्तिका प्रकाशित की है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे आशा है कि श्री कामत ने उसे पढ़ा है और श्री राऊ की सेवाओं की सराहना में वे मेरा समर्थन करेंगे।

†**श्री कामत** : मैं सराहना करता हूं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह एक दुर्लभ बात है और मुझे निश्चय है कि श्री राऊ मेरी राय की अपेक्षा इसका अधिक महत्व समझेंगे। इसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

†**श्री कामत** : केरल के पहले सभासदों को अथवा उन दलों के नेताओं को मंत्रणा समिति से सम्बद्ध क्यों नहीं किया जा सकता है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह एक संसदीय समिति है और हम यहां संसद् के समक्ष उत्तरदायी हैं, और अब तक जितनी भी समितियां नियुक्त की गई हैं उनमें केवल संसद् के सदस्य ही रहे हैं, परन्तु यदि

---

†मूल अंग्रेजी में।

ऐसी इच्छा हो तो मैं केरल के माननीय सदस्यों से चर्चा करूंगा और देखूंगा कि इसे कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है। परन्तु मेरे लिये चुनना और एक को छोड़कर दूसरे को लेना कठिन है।

†**श्री कामत** : उन सभासदों में दलों के नेता हैं।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयिन्कील) : जिन्हें दलों ने पहले से ही चुना हुआ है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : विपक्षी दलों के नेता भी समय-समय पर बदलते रहे हैं उनमें से कैसे चुना जाए ।

†**श्री कामत** : आपने ए० जे० जोन को राज्यपाल के रूप में भेजा है ?

†**पंडित गो० ब० पंत** : मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूं। मैं प्रत्येक प्रश्न पर पुनः विचार करने के लिये सदा तैयार हूं। मैं सभा के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरा पथ-प्रदर्शन करें और मैं जैसा हूं वे मुझे उससे अधिक अच्छा बनायें, मुझे उनकी अधिक अच्छी तरह सेवा करने के योग्य बनायें। मैं प्रत्येक प्रश्न पर उनसे पथप्रदर्शन प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ये शब्द औपचारिक रूप से नहीं कह रहा हूं वरन् मैं निश्चित ही यह जानना चाहता हूं कि मुझमें विचार करने और योजना बनाने अथवा सभा के समक्ष प्रस्तुत करने की जो क्षमता है उससे अधिक अच्छा कार्य कैसे कर सकता हूं।

†**श्री वें० शिवा राव** (दक्षिण कन्नड़—दक्षिण) : क्या कासरगोडे ताल्लुक में स्कूलों में शिक्षा के माध्यम और न्यायालय की भाषा के सम्बन्ध में वहां के लोगों की ओर से गृह मंत्री को कोई अभ्यावेदन मिले हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे विश्वास है कि कुछ अभ्यावेदन मिले हैं, न केवल यहां वरन् वहां प्रशासन को भी कुछ मिले हैं, और उन पर अवश्य विचार किया जा रहा होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

मुझे श्री वेलायुधन से संशोधनों की सूचना मिली है, परन्तु खेद है कि वे सब नियम विरुद्ध हैं। इस सम्बन्ध में वे जो भी कहेंगे उस पर विचार करने के पश्चात् मैं अपना मत बदल सकता हूं।

पहले संशोधन में कहा गया है :

"जिस रूप में यह उद्घोषणा पहले त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कार्यान्वित की गई थी उसका अनुमोदन नहीं किया जाता···"

कार्यान्वित करने के ढंग का अनुमोदन न करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो प्रख्यापन के अनुमोदन करने अथवा अनुमोदन न करने का है।

दूसरे संशोधन में वह चाहते हैं कि प्रख्यापन के क्षेत्राधिकार से मलाबार जिला को निकाल दिया जाये। प्रख्यापन में तो राज्य सरकार के समग्र रूप से लिया जाता है। अतः यह भी नियम विरुद्ध है।

तीसरा संशोधन भी मलाबार जिले को सम्मिलित करने का अनुमोदन न किये जाने के सम्बन्ध में है। यह भी नियम विरुद्ध है।

चतुर्थ संशोधन में यह और जोड़ने की मांग है कि "उक्त संकल्प ३१ दिसम्बर, १९५६ तक वापस ले लिया जाये"। सामान्यतः यदि उद्घोषणा का अनुमोदन हो जाता है तो वह अनुमोदन की तिथि से ६ मास तक लागू रहता है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य बतायें कि क्या सभा द्वारा उद्घोषणा

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

किये जाने के पश्चात् यह संकल्प लाया जा सकता है कि परिवर्तित परिस्थितियों के कारण उक्त उद्घोषणा को लागू न रखा जाये ।

†**श्री वेलायुधन** : संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उद्घोषणा को जारी कर सकता है परन्तु सभा को यह जानने का अधिकार है कि क्या राज्यपाल से कोई नया प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, परन्तु मैं इस समय यह जानना चाहता हूं कि संशोधन नियमानुसार है अथवा नहीं ?

†**श्री वेलायुधन** : दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में मैं बता रहा था कि सभा को यह जानने का अधिकार है कि क्या गृह मंत्री को राज्यपाल की ओर से आपात काल सम्बन्धी कोई जानकारी मिली है जिससे कि यह जाना जा सके कि मलाबार में भी उद्घोषणा को लागू किया जाये । मैं अन्य संशोधन संख्या ३ और ४ को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री इन संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : केरल राज्य एक है । या तो यह राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित होना चाहिये अथवा और कोई ढंग निकालना चाहिये । परन्तु राज्य को तो भागों में नहीं बांटा जा सकता है, और यदि सभा यह समझती है कि उक्त उद्घोषणा एक भाग पर लागू नहीं होनी चाहिये तो वह इसे अस्वीकार कर सकती है । यही उपचार है, न कि राज्य को भागों में बांटना उद्घोषणा को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है । मैं नहीं समझता कि हम एक ही राज्य के दो भागों से किस प्रकार भिन्न ढंग से बर्ताव कर सकते हैं । यह संविधान के विरुद्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने निर्णय दिया है कि संशोधन संख्या १ अनियमित है ।

श्री वेलायुधन यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि जिस राज्य क्षेत्र का मुख्य भाग राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत किसी राज्य में आ चुका है और उसका विधान मंडल नहीं है, उस पर उद्घोषणा लागू नहीं की जा सकती है । अनुच्छेद ३५६ में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है; अतः संशोधन संख्या २ भी अनियमित है । श्री वेलायुधन अपने संशोधनों संख्या ३ और ४ को प्रस्तुत नहीं कर रहे ।

†**श्री कामत** : राष्ट्रपति की उद्घोषणा बिल्कुल निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिये, अस्पष्ट नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर जब चर्चा होगी तब माननीय सदस्य इन सब बातों पर बोल सकेंगे । अब संकल्प पर चर्चा होगी सामान्य चर्चा के लिये पांच घण्टे आवंटित हैं । नेताओं को ३० से ४० मिनट और अन्य सदस्यों को १५ से २० मिनट मिलेंगे ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्नूर) : २६ मार्च, १९५६ को जब राष्ट्रपति ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने और विधान मंडल भंग करने की उद्घोषणा की, तो हमने दो कारणों से उसका विरोध किया । पहला, यह कि यह लोकतंत्रात्मक प्रशासन की समाप्ति थी, और दूसरे कांग्रेस मंत्रिमंडल के भंग हो जाने पर दूसरी सरकार बनने की सम्भावना थी । परन्तु सरकार ने इस बात की उपेक्षा कर दी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमने विधान सभा को भंग न करके केवल निलम्बित कर दिये जाने की सलाह दी थी, ताकि १ नवम्बर के पश्चात मलाबार के मिल जाने पर वहां कांग्रेस या किसी दूसरे दल द्वारा सरकार बनाये जाने की सम्भावना हो सकती थी । किन्तु यह भी नहीं किया गया ।

खेद है कि १ नवम्बर के पश्चात् राष्ट्रपति की उद्घोषणा को न केवल त्रावनकोर-कोचीन में अपितु मलाबार में भी लागू कर दिया गया है ।

मलाबार के प्रतिनिधि जिस विधान सभा के लिये चुने गये थे वह अब भी है, परन्तु सत्तारूढ़ दल की गलतियों के कारण त्रावनकोर-कोचीन में आपत्त काल आने के कारण मलाबार के उस भाग की जनता को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित कर दिया गया है । यदि विधान मंडल भंग न किया जाता, तो ये सब बातें नहीं हो सकती थीं ।

अब उन बातों में जाने का कोई लाभ नहीं है । अब नवीन केरल राज्य बन चुका है । मैं यह कहना चाहता हूं कि संसदीय समिति के अतिरिक्त एक मंत्रणा समिति स्थापित की जानी चाहिये जिसमें विधान सभा के सदस्य और वहां के अन्य दलों के नेता हों, ताकि उस क्षेत्र की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में उनके सुझाव प्राप्त किया जा सके । मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री इस सुझाव पर ध्यान देंगे ।

हालांकि यह घोषित किया गया था कि राष्ट्रपति के शासन का उद्देश्य दूसरी पंचवर्षीय योजना को अच्छी प्रकार से कार्यान्वित करने का था, परन्तु राष्ट्रपति का शासन इस सम्बन्ध में सर्वथा असफल रहा है । योजना के पहले सात महीनों के लिये १६ करोड़ रुपये की आवंटित राशि में से केवल ४ करोड़ ७६ लाख रुपये ही खर्च किये गये थे । यह धन क्यों व्यय नहीं किया गया ? योजना की कार्यान्वित की स्थिति क्या रही है ।

राष्ट्रपति के सलाहकार ने बेकारी दूर करना अपना पहला कर्त्तव्य बताया था परन्तु क्या वह इस कर्त्तव्य को पूरा करने में सफल रहे हैं ? क्या नवीन उद्योगों की स्थापना की गई है अथवा पुराने उद्योगों में कोई उन्नति हुई है ? क्या भूमि सम्बन्धी कोई सुधार किये गये हैं और किसानों को क्या कुछ लाभ पहुंचा है । इन प्रश्नों का उत्तर पाने पर ही हम राष्ट्रपति के शासन की सफलता या विफलता का अनुमान लगा सकेंगे ।

यह धन इसलिये व्यय नहीं हुआ क्योंकि राष्ट्रपति के शासन से पूर्व भी वहां कोई योजनायें नहीं थी । इसी कारण १६ करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं की जा सकी, जो वास्तव में केरल जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिये बहुत ही कम राशि थी । शिक्षा और बेकारी के बारे में भी यही स्थिति है । जो थोड़ी बहुत राशि खर्च भी की गई है वह उन इमारतों के निर्माण पर व्यय की गई है जिनकी कि वहां कोई अधिक आवश्यकता नहीं थी ।

केरल में बेकारी की समस्या बहुत गम्भीर है । इसका कारण यह है कि इसके निवारण के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है । बहुत कम सिंचाई योजनायें हैं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों ने भी कोई अधिक कार्य नहीं किया है । तीन-चार वर्ष से एक सिंचाई परियोजना विचाराधीन है, परन्तु उसका श्री गणेश भी नहीं किया गया है । कई छोटे उद्योग वहां स्थापित किये जा सकते थे परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है ।

प्रशासनिक सुधार का यह हाल है कि वहां अत्यधिक लाल फीताशाही चलती है । उदाहरणार्थ, हमें २८ नवम्बर को होने वाली एक गोष्ठी में पहुंचने का निमंत्रण २८ तारीख को मिला था,

[श्री अ० क० गोपालन]

जब कि उस पर १८ तारीख को हस्ताक्षर किये गये थे । प्रतिवेदन में कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक विशेष इंस्पैक्टर जनरल पुलिस और सहायक कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं। परन्तु फिर भी यह हालत है कि वन विभाग का एक मामला था, जिसमें भारी रकम का गबन किया गया था और लोग साक्ष्य देने को भी तैयार थे। किन्तु कुछ व्यक्तियों पर अभियोग चलाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ । परिवहन सेवा में दो लाख रुपये के गबन के मामले में अभी तक अभियोग भी नहीं चलाया गया है जब ऐसी हालत है तो समझ में नहीं आता कि विशेष इंस्पैक्टर जनरल और इसके कर्मचारियों पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है जब कि वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। इतना होने पर भी लोगों को और कर्मकारों को हवालातों में पीटा जाता है ।

औद्योगीकरण के बारे में अनेक प्रतिज्ञायें की जाती हैं। नारियल-जटा उद्योग के विकास के लिये १५ सहकारी संस्थाओं की स्थापना की बात कही गयी है। परन्तु यदि १६ करोड़ की आवंटित राशि पूरी खर्च कर दी गई होती तो कई उद्योग खुल सकते थे और बेकारी की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती थी । नारियल-जटा उद्योग की अवस्था तो गिर गई है। माना कि वहां कुछ सहकारी संस्थायें हैं, परन्तु उनके कर्मचारियों का सहयोग नहीं लिया जाता है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू नहीं किया गया है। छिलके का मूल्य तक निर्धारित नहीं किया गया है।

काजू उद्योग मौसमी उद्योग रहे या गैर-मौसमी, इस बात पर झगड़ा चल रहा है। सरकार ने इसे गैर-मौसमी उद्योग घोषित कर दिया है, परन्तु मालिक इसे असफल कर देना चाहते हैं। कहा जाता है कि सब से बड़ी काजू की फैक्टरी बन्द कर दी जायेगी । सरकार मालिकों से अपने निर्णय को, कि इस उद्योग को गैर-मौसमी उद्योग समझा जाय, कार्यान्वित करवाने में असफल रही है । परिणामतः २५,००० कर्मकर बेकार हो जायेंगे । इस उद्योग पर तीन-चार व्यक्तियों का एकाधिकार हैं, और वे सरकार के निर्णय को व्यर्थ कर सकते हैं। इसलिये सरकार को फैक्टरियों को अपने हाथ में लेकर स्वयं चलाना चाहिये। पांच-छः महीनों से स्थिति बिगड़ रही है, परन्तु सरकार ने इसे रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किया है। इससे काजू उद्योग अकेला ही प्रभावित नहीं होगा, अपितु कई सहयोगी उद्योग भी बन्द हो जायेंगे और बहुत से परिवार नष्ट हो जायेंगे।

शिक्षा को लीजिये, मैंने एक बुनियादी स्कूल देखा, जहां न बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान था और न पीने के जल की व्यवस्था ही थी। बाहर घूमने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर क्यों इन पर इतना खर्च किया जा रहा है? अन्य राज्यों में प्राईमरी स्कूलों के अध्यापकों को ५० रुपये मिलते हैं किन्तु हमारे राज्य में केवल ३० रुपये दिये जाते हैं। राष्ट्रपति के शासन में स्कूलों की स्थिति में कोई उन्नति नहीं हुई है।

लोगों की जोरदार मांग पर वहां एक आयुर्वेद कालिज खोला गया था। परन्तु न उसमें कोई अध्यापक हैं, और न पाठ्यक्रम ही निर्धारित है । अध्यापकों के बिना यदि कोई विद्यार्थी कुछ सीख लेता है तो उसे डिग्री नहीं दी जायेगी । इसलिये बहुत से विद्यार्थियों ने कालिज छोड़ दिया है।

इस राज्य में कुष्ट रोग के काफी रोगी हैं, परन्तु केवल छः अस्पताल हैं और उनके लिये भी बहुत कम धन राशि दी गई है। फीलपाव के रोगियों की संख्या भी वहां बहुत है, परन्तु अभी तक उनके उपचार की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई है। स्वास्थ्य के विषय में कोई उन्नति नहीं हुई है।

स्वायत्त शासन को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। अल्लफी नगरपालिका ६० रुपये किराये के मूल्य के मकानों पर कर लगा सकती थी, परन्तु सरकार ने उसे लगाने में प्रोत्साहन देना तो एक ओर रहा, उल्टा निरुत्साहित किया और परिणामतः यह मामला रुक गया।

गृह-कार्य मंत्री ने कृषि के सम्बन्ध में कहा है कि भूमि सम्बन्धी कुछ सुधार किये गये हैं। परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि बेदखली अभी तक जारी है।

वेरूमपत्तम कुदीयान विधेयक पर प्रवर समिति प्रतिवेदन दे चुकी है परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। भूमि पर कब्जा तथा स्वामित्व प्रतिबन्ध विधेयक और त्रावनकोर-कोचीन वेरुमपत्तमदान विधेयक विधान सभा में निलम्बित हैं। उन पर अग्रेतर कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिये यह कहना सर्वथा गलत है कि भूमि सम्बन्धी सुधार किये गये हैं। दो विधेयक प्रवर समिति द्वारा पारित भी हो चुके हैं। परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति के शासन की अवस्था है।

मैं कुछ और बातें भी कहना चाहता हूं, उदाहरण के लिये आप तटीय क्षेत्रों को ही लीजिये। यह क्षेत्र काफी वर्षों से उपेक्षित अवस्था में चले आ रहे हैं। इनमें भी अंबालापुजाह–शेरतल्ला तालुके विशेष रूप से उपेक्षित हैं। खाद्यान्नों की कमी और भुखमरी की रिपोर्टें वहां से आ रही हैं। कमी इतनी है कि लोग खली ही खाने लग गये हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे। इस इलाके में केवल एक नारियल का ही उद्योग है। यह रेतीला क्षेत्र है और यहां पर टेपीओका भी पैदा नहीं होता जिसे कि लोग खा सकें। यह सुझाव दिया गया था कि इस इलाके में शीशा उद्योग स्थापित किया जाये। परन्तु हुआ कुछ भी नहीं। इस क्षेत्र के लिये जो हमेशा से उपेक्षित है और भुखमरी, बेकारी और कमी वाला क्षेत्र रहा है एक अलग जिला अधिकारी होना चाहिये। इसलिये इस क्षेत्र की सहायता के लिये तुरन्त कुछ किया जाये।

योजना के सम्बन्ध में परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है। इस विषय को मैंने आज प्रातः प्रश्नों के समय में सदन के समक्ष रखा था। कहा गया है कि मद्रास सरकार ने केरल के अंश के रूप में १५ करोड़ रुपया देना स्वीकार कर लिया था। यह ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्राधिकारी तुरन्त इस ओर ध्यान दें और इस सम्बन्ध में कोई कसौटी रखी जानी चाहिये और जनसंख्या के आधार पर इसका निर्णय होना चाहिये।

त्रावनकोर-कोचीन की अपेक्षाकृत तुलना में मलाबार की स्थिति क्या है? गत एक मास से यह राष्ट्रपति के शासन के आधीन है। मलाबार की स्थिति क्या है। मलाबार औद्योगिक और अन्य सभी दृष्टिकोणों से त्रावनकोर-कोचीन से पिछड़ा हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, वहां किसी उद्योग की स्थापना नहीं की गई। दूसरे योजना अवधि में कुछ कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की गयी है। परन्तु कहा नहीं जा सकता है कि वह स्थापित होंगे भी या नहीं। इसी लिये आज तक मलाबार की स्थिति सुधरी नहीं है।

वास्तव में इस क्षेत्र के विकास की काफी सम्भावनायें हैं। यहां चीनी मिट्टी, और इमारती लकड़ी बहुत मात्रा में मिलती है। अकाला संसार की दूसरे दर्जे की इमारती लकड़ी की मंडी है। इसमें काफी सुधार हो सकता है। रिपोर्ट में भी कहा गया था कि शीघ्र नीलाम्बर के जंगलों को सरकार सम्भाल लेगी। यदि ऐसा हो जाय, तो इमारती लकड़ी उद्योग का विकास हो सकता है। मलाबार में कागज की मिल लगायी जा सकती है। सर्वेक्षण से पता चला है कि इसके लिये यह सर्वोत्तम स्थान है।

जहां तक सिंचाई कार्यों का सम्बन्ध है छोटी सिंचाई योजनायें भी नहीं हैं। मैं गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तरी मलाबार अधिक उपेक्षित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मालमपुजा, वलायर परियोजना, और मंगलम जलाशय आदि परियोजनायें दक्षिणी मलाबार में

[श्री अ० क० गोपालन]

हैं। इससे मेरा यह आशय नहीं कि दक्षिणी मलाबार का विकास न किया जाये। उत्तरी मलाबार में, हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें कृषि कार्य करने के लिये बड़ी परियोजनाओं की आवश्यकता नहीं है, वहां छोटी सिंचाई परियोजनाओं से भी काम चल सकता है। परन्तु उसके लिये कोई सुविधा नहीं।

वारापूजा योजना के सम्बन्ध में मद्रास सरकार का कहना था कि इसे कार्यान्वित करना सम्भव नहीं था, क्योंकि कुर्ग और मैसूर सरकारें सहमत नहीं थी। इसलिये कुंडा योजना आरम्भ की गयी थी। मद्रास सरकार ने इससे लाभ उठा कर वारापूजा योजना के लिये कुछ नहीं किया। अब यदि इस योजना को लिया जाये तो उत्तरी मलाबार कुर्ग और मैसूर, जो कि अब एक इकाई हैं, इससे लाभ उठा सकते हैं। इससे विद्युत् शक्ति भी मिल सकती है। मैसूर सरकार भी इससे सहमत हो जायेगी, कई हजार एकड़ भूमि में कृषि हो सकेगी और कई हजार किलोवाट विद्युत् शक्ति प्राप्त हो सकेगी।

त्रावनकोर-कोचीन की परिवहन समस्या के लिये एक जांच आयोग स्थापित किया गया था जिसने ८० सिफारिशें की थीं। कहा गया है कि कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। उनमें मीलवार भत्ता, अपील बोर्ड, अस्पतालों, छुट्टी और गुजारा भत्ता आदि के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को तो कार्यान्वित नहीं किया गया है। परन्तु जो सिफारिशें श्रमिकों के विरुद्ध थीं उन्हें तुरन्त कार्यान्वित कर दिया गया। अधिक समय कार्य करने का भत्ता भी नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों ने अधिक समय तक काम करना बन्द कर दिया। इससे उनको, जनता को, उद्योग को और सरकार सभी को हानि हुई। यात्रियों को सहायता देने वाले कुलियों को भी हटा लिया गया।

मलाबार के सम्बन्ध में मेरी सूचना यह है कि इससे पूर्व वहां तीन विभागीय मुख्यालय थे। इस सम्बन्ध में समिति का निर्णय यह था कि यह तीनों रहने चाहिये। परन्तु किसी दबाव के कारण इसे कार्यान्वित करने में देरी हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि समिति के सदस्यों का निर्णय कार्यान्वित किया जाये।

अगस्त १९५६, में जब मलाबार मद्रास का भाग था तो महंगाई भत्ता आदि प्रश्नों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी थी। उसने महंगाई भत्ते के बढ़ाये जाने की सिफारिश की थी, परन्तु मद्रास के वित्त मंत्री ने कहा था कि यह भत्ता त्रावनकोर-कोचीन वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ काल के पश्चात् उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। मलाबार के अघोषित कर्मचारियों के प्रश्न के बारे में हमने प्रार्थना की थी कि इनका आधारभूत वेतन वही होना चाहिये जो कि दूसरी सेवाओं में है, कुछ मामलों में मलाबार क्षेत्र के अधिकारी अधिक वेतन पाते हैं, कुछ मामलों में त्रावनकोर-कोचीन में अधिक वेतन मिलते हैं। पुनर्गठन हुए एक मास बीत जाने पर भी कुछ नहीं किया गया है। अघोषित कर्मचारियों द्वारा भेजे गये एक पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास है।

जब मलाबार, मद्रास का भाग था तो उसका एक जिला बोर्ड था। बोर्ड के सभी सदस्यों ने सरकार से प्रार्थना की थी कि जिला बोर्ड को चालू रखे जाने के प्रश्न पर विचार किया जाये। चुनावों के पश्चात् यदि नई विधान सभा ने यह चाहा कि समूचे केरल में जिला बोर्ड होने चाहियें तो ऐसा किया जा सकता है। जिला बोर्ड के कर्मचारियों ने भी मांग की थी कि उन्हें सरकारी कर्मचारी समझा जाये और उनके वेतनक्रमों पर विचार किया जाये।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

प्रथम नवम्बर के पश्चात् जो दूसरा प्रश्न सामने आया है वह ग्राम्य अधिकारियों का है। पता नहीं देश के दूसरे भागों में ये हैं या नहीं, परन्तु मलाबार में यह ग्राम्य अधिकारी हैं, और उन्हें बिना किसी भत्ते के २३ रुपये मासिक वेतन मिलता है। कुछ स्थानों पर उन्हें एक मास में दो-तीन बार नगर में जाकर एकत्रित किये गये राजस्व अथवा कर को जमा कराना होता है। परन्तु उन्हें २३ रुपये मासिक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता है। कई मामलों में यह १५ रुपये अथवा २० रुपये मासिक भी है। मद्रास सरकार ने पहले भी इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था, और वहां इस सम्बन्ध में आन्दोलन चल रहा है। मुझे आशा है कि गृह कार्य मंत्री इस मामले पर विचार करके इन ग्राम्य अधिकारियों के लिये कुछ करेंगे।

मलाबार की समस्याओं के सम्बन्ध में मुझे केवल दो बातें और कहनी है और कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें चुनावों से पूर्व तीन-चार महीनें में हल किया जाना चाहिये।

मलाबार के भाग कासरगोड़े में, जो कि केरल में आ गया है, रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में मलयालम में काम किये जाने की मांग की जा रही है। यह तो स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां भाषाई अल्पसंख्यक हैं वहां दोनों भाषायें चलेंगी। शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस सम्बन्ध में भी आन्दोलन चल रहा है। मेरा निवेदन है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों को पूरा किया जाये।

जो भाग केरल में आ गये हैं, उनमें सड़कें नहीं हैं। यातायात की कठिनाई हैं। इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाये। यह क्षेत्र दक्षिणी मलाबार से भी पिछड़ा हुआ है। वहां उद्योग भी कोई नहीं है और कृषि सम्बन्ध में स्थिति यह है कि मद्रास राज्य का काश्तकारी अधिनियम, जो कि मलाबार में लागू है, यहां लागू नहीं किया गया है। यह तुरन्त लागू किया जाना चाहिये ताकि लोगों को कुछ सुविधा हो सके।

आज प्रातः एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि मछलियां पकड़ने के जालों के निर्माण के लिये यहां एक उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा। तट पर कई लाख मछुवे रहते हैं, इनके पास वर्ष भर में पांच-छः मास तक कोई काम नहीं होता है। जो कुछ मछलियां वे पकड़ते हैं, उनके परिरक्षण का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। वर्ष में नौ मास यह भूखे रहते हैं। इनको सभी प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहिये।

समय नहीं है कि विस्तार में जाया जाय। राष्ट्रपति के शासन में भी राज्य की औद्योगिक अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। नारियल और काजू उद्योग में संकट आ रहा है, और लगभग २५,००० व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ऐसी अवस्था में सरकार ही सहायता कर सकती है।

अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में भी राष्ट्रपति शासन की अवस्था सन्तोषजनक नहीं रही है। १६ करोड़ रुपये दिये गये, और योजना समिति स्थापित की गई। परन्तु कोई योजना नहीं बनी और केवल ४·७६ करोड़ रुपये आज तक नहीं खर्च किये गये हैं। इस प्रकार इस इलाके की उपेक्षा की गयी है। यदि आगामी तीन-चार मास तक यही अवस्था रही तो आम चुनावों में इसका बुरा परिणाम निकलेगा।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्) : यद्यपि केरल सम्बन्धी समस्याओं पर इस प्रकार चर्चा करने का सदन में यह प्रथम अवसर है, परन्तु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इस पर तीन

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० म० थामस]

बार पहले भी चर्चा हो चुकी है। प्रथम वह जब त्रावनकोर-कोचीन सम्बन्धी उद्घोषणा पर चर्चा हुई थी। दूसरे उसमें समय जब कि राज्य के बजट पर चर्चा हुई थी और तीसरे उस समय जब कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन था। यह कहा गया था कि केरल एक बड़ी समस्यापूर्ण राज्य हैं। परन्तु हमें इससे घबराना नहीं चाहिये इसकी समस्यायें बहुत आधारभूत प्रकार की और गम्भीर हैं। एक समस्या तो उच्च न्यायालय अथवा दूसरी अदालतों की स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी अधिकारियों के वेतनक्रमों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : यह कोई छोटी समस्या नहीं है।

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय गृह-मंत्री ने भी न्यायालय को त्रिवेंद्रम में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया था। त्रिवेंद्रम में चल रहे आन्दोलन से यह प्रकट होता है कि नये राज्य की स्थापना के समय से ही कुछ गड़बड़ की जा रही है।

राज्य पुर्नगठन अधिनियम के अन्तर्गत केरल एक नया राज्य है, और उसकी धारा ५१ के अनुसार एक नये उच्च न्यायालय की स्थापना १ नवम्बर को हो जानी चाहिये थी। साथ ही उसके मुख्यालय का निर्णय भी किया जाना था। त्रिवेंद्रम का विभक्त न्यायालय (बैंच) को भी समाप्त हो जाना था।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मुझे बताया गया है कि गृह-कार्य मंत्री ने त्रिवेंद्रम में बैंच (विभक्त न्यायालय) स्थापित करने का आश्वासन दिया था। '**हिन्दुस्तान टाइम्स**' की रिपोर्ट है कि वहां के वकीलों ने सामूहिक रूप में काम छोड़ रखा है। मुझे आशा है कि मेरे मित्र इस सम्बन्ध में कुछ बतायेंगे।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी इस आन्दोलन का समर्थन करते हैं ?

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : समर्थन का प्रश्न नहीं है। हमें पता नहीं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है। शायदे उसका विचार हो कि सभी शाखा न्यायालयों को बन्द कर दिया जाये।

†**श्री अ० म० थामस** : नये राज्य की स्थापना के पश्चात् जो हुआ है मैं उसी का उल्लेख कर रहा था। गत दो-तीन मास से यह प्रश्न चल रहा था। संयुक्त समिति की रिपोर्ट जब सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तो यही कहा गया था कि १-११-१९५६ को त्रावनकोर-कोचीन का उच्च न्यायालय समाप्त हो जायेगा। श्री पुन्नूस ने, जो कि समिति के सदस्य थे, समिति में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था, न इस सम्बन्ध में कोई संशोधन आया था और न कोई और ही बात हुई थी। इसलिये इस आन्दोलन का कोई आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि त्रिवेंद्रम में जब शाखा न्यायालय था भी तो उसके पास कोई विशेष काम नहीं था। अब उसका ४० प्रतिशत क्षेत्र भी मद्रास राज्य में चला गया है। त्रिवेंद्रम में शाखा न्यायालय रखना न्यायोचित नहीं है।

जो काम विलम्बित पड़ा हुआ है, उसको निपटाने के लिये अस्थायी न्यायालय की स्वीकृति दी हुई ह। इस सम्बन्ध में राज्यपाल ने आश्वासन भी दिया है कि यदि आवश्यकता हुई तो अस्थायी रूप के लिये त्रिवेंद्रम में उच्च न्यायालय की शाखा स्थापित करने के मामले पर सरकार और मुख्य न्यायाधिपति विचार करेंगे। इस पर हड़ताल वापिस ले ली गयी थी। कौन कहता है कि यह हड़ताल चल रही है।

†**श्री वें० प० नायर** : मुझे अभी तार मिला है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० म० थामस** : वकीलों ने जिला अदालतों पर धरना दिया और न्यायाधीशों और लोगों को अदालतों में जाने से रोका। यह विचित्र ढंग है जो कि वकीलों ने अपनाया। '**हिन्दुस्तान टाइम्स**' ने इसके विरोध में एक टिप्पणी भी प्रकाशित की है। इसके अतिरिक्त सीतलवाद आयोग की रिपोर्ट भी सदन के समक्ष है। वह इस पक्ष में नहीं कि स्थान-स्थान पर उच्च न्यायालयों की शाखायें हों। आन्ध्र उच्च न्यायालय गंतूर में है और इसका उद्घाटन करते हुए मुख्य न्यायाधिपति ने भी यही कहा था। भारत संघ में केरल सब से छोटा राज्य है। इसलिये इतना ही कहना काफी है कि यह आन्दोलन ठीक नहीं हैं। और प्रत्येक सचेत भारतवासी को जोरदार शब्दों में इसकी निन्दा करनी चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** : त्रिवेंद्रम में जाकर इसकी निन्दा कीजिये।

†**श्री अ० म० थामस** : त्रिवेंद्रम समूचे केरल राज्य का बारहवां भाग है। इससे तो यह लगेगा कि केरल में केवल त्रिवेंद्रम ही है।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच है कि कांग्रेस को त्रिवेंद्रम में ही एक स्थान मिला था ?

†**श्री अ० म० थामस** : साम्यवादी दल के नेता श्री गोपालन ने इस बात की ओर निर्देश न करते हुए इस बात को ही टाल देने का प्रयत्न किया है। वे इस सम्बन्ध में पूर्णतया सावधान हैं, इसीलिये वे इस झंझट में फंसना ही नहीं चाहते। अतः इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि त्रावनकोर में इस समय जो आन्दोलन चल रहा है, वह निराधार है।

अब मैं अन्य महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। दो मास पूर्व एरणाकुलम् से कोट्टायम तक एक छोटी लाईन चालू हुई थी, जिसका उद्घाटन रेलवे मंत्री ने स्वयं किया था। उसका वहां की जनता ने सहर्ष स्वागत किया था। उस छोटी सी रेलवे लाइन पर ही जनता की इतनी अधिक खुशी तथा उत्साह देख कर यही प्रकट होता है कि वहां पर सुविधाओं का कितना अभाव है और वहां के लोग किसी भी अच्छी बात को देखकर उसकी कितनी प्रशंसा करते हैं।

केरल की वास्तविक समस्या अल्प विकास की समस्या है। अतः हमें शीघ्र से शीघ्र वहां के कृषि-विकास तथा उद्योग-विकास की ओर ध्यान देना चाहिये। यदि इन दो बातों की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाये तो वहां की बेकारी की भयंकर समस्या स्वयंमेव हल हो जायेगी। यद्यपि शिक्षा की दृष्टि से केरल राज्य देश में सबसे अधिक उन्नत राज्य है, तथापि यह बात माननी पड़ेगी कि इस राज्य की उन्नति एकांगी है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि केरल राज्य में सबसे अधिक जोर कृषि-विकास तथा औद्योगिक-विकास पर दिया जाये। परन्तु केरल राज्य इस समय सबसे अधिक घना आबाद है, वहां पर ऐसी बहुत कम भूमि है जिस पर इस समय खेती न की जा रही हो। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर भूमि का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाये। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वहां पर अधिक से अधिक भूमि पर जापानी ढंग से चावल की खेती की जाय ताकि अधिक कृषि उत्पादन हो सके।

इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि कृषि विकास से सम्बन्ध रखने वाली योजनाओं पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाये। मुझे आशा है कि योजना आयोग इन योजनाओं पर अच्छी प्रकार से विचार करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० म० थामस]

पिछली बार मैंने इस बात की ओर निर्देश किया था कि वहां पर कोई भी नया उद्योग प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया था। परन्तु इस वर्ष की रिपोर्ट बताती है कि अब नये-नये उद्योग प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। यदि यह रिपोर्ट सच है तो मैं केरल सरकार को बधाई देता हूं।

मलाबार क्षेत्र प्रारम्भ से ही उपेक्षित-सा क्षेत्र रहा है, इसकी ओर न तो मद्रास सरकार ने ध्यान दिया है और न ही केन्द्रीय सरकार ने। अतः मुझे आशा है कि अब यह समिति इसके औद्योगिक विकास की ओर पूरा-पूरा ध्यान देगी।

उदयपुर वन सम्बन्धी सम्मेलन ने नीलाम्बुर वादी का सर्वेक्षण करने के उपरान्त यह बताया है कि वहां पर तीन लाख टन बांस है और उससे कारखाने एक हज़ार टन सूखे बांस प्रतिदिन के हिसाब से संभरित कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इस उद्योग की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा, और उससे कागज बनाने का उद्योग भी पर्याप्त सीमा तक विकसित किया जायेगा। मैं समझता हूं कि मलाबार की समस्त समस्याओं का हल वन विकास में ही निहित है। बेकारी की समस्या भी उसी से ही हल होगी।

श्री गोपालन ने इस बात का उल्लेख किया है कि मलाबार जिले के लिये जो आय-व्ययक में राशि निर्धारित की गई है वह अपर्याप्त है, और वास्तव में १,५०,१९,८०० रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है। अस्तु, इस समय मेरा यही निवेदन है कि मद्रास सरकार ने मलाबार ज़िले के लिये जो योजनायें तैयार की थीं, उन सभी योजनाओं को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जाये।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है, और यह पता लगा है कि जिला न्यायाधीशों तथा अन्य बड़े-बड़े पदाधिकारियों के वेतन बढ़ाने का प्रयत्न भी किया गया है। परन्तु मेरा यही निवेदन कि बड़े-बड़े पदाधिकारियों का वेतन बढ़ाने से कोई विशेष लाभ न होगा, उनके स्थान पर छोटे-छोटे कर्मचारियों जैसे कि स्कूल शिक्षकों के वेतन बढ़ाने से ही वास्तविक लाभ होगा।

वहां पर स्कूलों और विशेषकर बेसिक स्कूलों की दशा अत्यन्त शोचनीय है, मैं चाहता हूं कि उन स्कूलों की दशा सुधारने का और वहां के शिक्षकों के वेतन बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे इस बात की खुशी है कि केरल में एक ओर इंजीनियरिंग कालिज स्थापित करने का विचार किया गया है। तथा एक और चिकित्सा कालेज के खोलने के बारे में छानबीन हो रही है। त्रावनकोर के चिकित्सा कालिजों के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह है तो देश के अन्य महान् चिकित्सा कालिजों के समान ही, परन्तु दुःख है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक में उस कालिज की उपाधि को अभिस्वीकार नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार उसकी उपाधि को अभिस्वीकार करने के बारे में शीघ्र ही कोई कार्यवाही करे।

राष्ट्रपति के त्रावनकोर-कोचीन राज्य सम्बन्धी शासन टिप्पणी से यह प्रतीत होता है कि ऐसी कई योजनायें हैं, जिनके सम्बन्ध में निर्माण-कार्य तो प्रारम्भ हो चुका है परन्तु अभी तक यह निर्णय ही नहीं हुआ है कि उनका खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करेगी या राज्य सरकार। मेरा यही निवेदन है कि ये खर्च केन्द्रीय सरकार ही वहन करे, अन्यथा वहां के लोग पूर्णरूपेण निराश हो जायेंगे।

प्रतिवेदन में यह लिखा हुआ है कि यहां की योजनाओं के लिये यद्यपि प्रारम्भ में १६ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे, परन्तु बाद में उन्हें बहुत ज्यादा घटा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि वहां के लिये

१६ करोड़ रुपये की जो राशि निर्धारित की गयी है उसमें से एक पैसा भी कम न किया जाये, और वहां के निर्माण कार्यों में उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाये। मुझे आशा है कि इन बातों की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा। इन शब्दों से मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**श्री पुन्नूस** : पहले तो मेरा यही विचार था कि मैं केवल औद्योगिक मामलों पर ही अपने विचार प्रकट करूंगा, और अन्य छोटी-छोटी बातों को छोड़ दूंगा। परन्तु क्योंकि अब श्री थामस ने उन बातों का भी उल्लेख करके एक वाद-विवाद प्रारम्भ कर दिया है, अतः उनके सम्बन्ध में, मैं भी अब संक्षेप में कुछ कहूंगा।

श्री थामस ने त्रिवेन्द्रम में 'डिवीज़न बैंच' की स्थापना का घोर विरोध किया है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। त्रावनकोर-कोचीन में उच्च न्यायालय स्थापित करने के सम्बन्ध में एक विधेयक इस संसद् द्वारा १९५३ में पारित किया जा चुका है। उस समय तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री डा० काटजू ने उसका प्रबल समर्थन किया था। बाद में उस मांग को मैंने भी समर्थन कर दिया था। वास्तविक बात यह थी कि उस समय दक्षिणी त्रावनकोर के चार तालुक भी उस राज्य में सम्मिलित थे और तत्कालीन सत्तारूढ़ दल अर्थात् कांग्रेस दल उन ताल्लुकों के विरोधी सदस्यों का मत भी प्राप्त करना चाहती थी, इसलिये उसने एक 'डिवीजन बैंच' स्थापित करने का आश्वासन दिया था, और डाक्टर काटजू ने भी उस पर बड़ा ज़ोर दिया था, अतः मैंने भी उसका समर्थन किया था क्योंकि मेरे विचारानुसार उससे पर्याप्त लाभ होगा।

श्री थामस का यह कहना है कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग पर चर्चा हो रही थी तो उस समय 'डिवीज़न बैंच' स्थापित करने के बारे में किसी ने भी मांग नहीं की थी। परन्तु राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ५१ (२) में स्पष्टतया लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, वहां के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से वहां पर कोई स्थायी बैंच अथवा 'डिवीज़न बैंच' स्थापित कर सकते हैं। फिर उपधारा (३) में भी वही बात कही गयी है। अतः, जब कि अधिनियम में भी डिवीजन बैंच के बारे में यह व्यवस्था कर दी गयी है, अब इस प्रश्न पर विवाद का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

वहां के प्रशासक श्री पी० एस० राव ने भी जब व्यर्थ में ही इस निर्णय में उलटफेर करने का प्रयत्न किया तो उस समय केरल के सुप्रसिद्ध नेता श्री माधवन नायर ने उसका घोर विरोध किया था, और उन्होंने स्पष्टतया कह दिया था कि इस निर्णय को बदलने में भी राव का कोई अधिकार नहीं। वहां की साम्यवादी पार्टी की भी यही मांग है कि वहां पर डिवीजन बैंच अवश्य स्थापित किया जाये। वहां की जनता यह कदापि सहन नहीं कर सकती कि वहां पर 'डिवीजन बैंच' स्थापित न हो, वे कदापि नहीं चाहते कि उनकी सुविधाओं को छीन लिया जाये, इसीलिये वे आज इतना भारी आन्दोलन कर रहे हैं। अतः हमारा यही निवेदन है कि वहां जनता को इन न्यायालयों से वंचित न किया जाये।

त्रावनकोर से यह तार प्राप्त हुआ है कि वहां के राज्यपाल ने यह आश्वासन दिया था कि 'डिवीज़न बैंच' वहां से नहीं हटाया जायेगा, और इसीलिये आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था; परन्तु अब राज्यपाल ने यह उत्तर दिया है कि वहां पर 'डिवीजन बैंच' जारी नहीं रहेगा क्योंकि मुख्य न्यायाधीश उससे सहमत नहीं है। इसी बात से क्रुद्ध होकर वहां के लोग इतना भारी आन्दोलन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस बात की ओर ध्यान दे और राज्यपाल के वचन को पूरा करने का प्रयत्न करे।

जब राष्ट्रपति के शासन की घोषणा की गयी थी उस समय हमें कई आश्वासन दिये गये थे—अत्यन्त आकर्षक आश्वासन दिये गये थे—परन्तु हमें इस बात का खेद है कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन पूर्णरूपेण असफल सिद्ध हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : मैं इसका विरोध करता हूं ।

†**श्री पुन्नूस** : राष्ट्रपति के शासन काल में किये गये कार्यों की कोई भी प्रशंसा नहीं करता और आज यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के शासन को अब केरल के अन्य भागों पर भी लागू कर दिया जाये । मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि वह शासन हमारा कुछ भी भला नहीं कर सकता ।

जहां तक उस राज्य के उद्योगों का सम्बन्ध है, पिछले कई महीनों से स्थिति बिगड़ती जा रही है । न केवल यह कि कोई नया उद्योग प्रारम्भ नहीं हुआ है, पुराने उद्योगों की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है । उदाहरणार्थ नारियल जटा उद्योग पहले इतना अधिक उन्नत था कि उसमें ३०,००० व्यक्ति कार्य संलग्न थे परन्तु अब कठिनाई से ६,००० व्यक्ति संलग्न हैं । इसी प्रकार से वहां पर अन्य उद्योगों की स्थिति भी गम्भीर है । सरकार ने और विशेष रूप से श्री करुणाकर पन्निकर ने सारे मामले का घोटाला कर दिया है । सरकार से प्रार्थना है कि नारियल जटा सम्बन्धी सहकारी संस्थाओं की शीघ्र जांच कराये । मुझे मालूम हुआ है कि इन संस्थाओं का प्रबन्ध बिचौलियों और व्यापारियों के हाथ में है और इन में श्रमिकों को भरती भी नहीं किया जाता है । किन्हीं नियमों का आश्रय लेकर उन्होंने यथार्थ श्रमिकों के लिये द्वार बंद कर दिया है ।

यदि औद्योगिक पहलू की ओर ध्यान दिया जाये तो विदित होगा कि नारियल जटा का सूत और नारियल-जटा राज्य से बाहर ले जाई जाती है । परिणामस्वरूप वहां भीषण बेकारी है और उद्योग नष्ट हो रहा है । वर्तमान परिस्थितियों में हम सूत के निर्यात में कमी कर चटाइयों के निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं । चटाई आदि के भाड़े में रियायतें मिलनी चाहिये क्योंकि इन पर वज़न के अनुसार भाड़ा लगता है । ऐसा न किया गया तो इस उद्योग में जो दस लाख से अधिक व्यक्ति काम करते हैं । वे तबाह हो जायेंगे । राज्य के तटीय भाग की स्थिति अत्यन्त चिंतनीय है । आज ही मुझे समाचार प्राप्त हुए हैं कि शेरतलाई और आम्बलापुजना क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है । गृह मंत्री से प्रार्थना है कि वह शेरतलाई में रेत की टायलें बनाने वाली फैक्टरी स्थापित करने का प्रयत्न करें ।

एल्लप्पी गोदी की पुर्नव्यवस्था भी आवश्यक है । इसके लिये एक लाख रुपये निश्चित किये गये हैं किन्तु यह राशि नगण्य है । यदि इस पर अधिक ध्यान दिया जाये तो यहां अनेक कार्य किये जा सकते हैं ।

नया रेलवे लाइन कोट्टयम् पर समाप्त हो जाता है परिणामस्वरूप एल्लप्पी को भूखों मरना प ता है ।

हमारी एक मांग यह भी है कि दो जिले, जिसमें से एक का मुख्यालय क्विलोन में हो और दूसरे का एल्लप्पी में हो, बनाये जायें, ऐसा होने पर ही इस क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दिया जायेगा और उनका उचित समाधान हो सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का विरोध करता हूं ।

†**श्री अय्युण्णि** (त्रिचूर) : प्राय: केरल को समस्या प्रधान राज्य कहा जाता है । यह भारत का घनी आबादी वाला क्षेत्र है । बेकारी अधिक है और एक विज्ञापन निकलने पर सहस्त्रों उम्मीदवार प्रार्थनापत्र भेजते हैं । यहां पर छोटे-छोटे उद्योग धन्धे स्थापित करने की आवश्यकता है । इस क्षेत्र में कभी इस बात का सर्वेक्षण नहीं किया गया कि बड़े उद्योगों के लिये यहां पर खनिज संसाधन उपलब्ध हैं अथवा नहीं । खर्च के नाम पर प्राथमिक सर्वेक्षण भी छोड़ दिया जाता है । इस क्षेत्र में छोटे मध्यम श्रेणी के और घरेलू उद्योगों के लिये पर्याप्त गुंजाइश है । यहां बहुमूल्य लकड़ी है । अख़बारी कागज़ का कारख़ाना भी खोला जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मलाबार के घने जंगलों में बांस बहुतायत से पाया जाता है तथा यहां पर शीघ्र ही अख़बारी कागज़ का कारखाना खोल देना चाहिये ।

मेरे क्षेत्र में टाइलें बनाने की लगभग ६० या ७० फैकटरियां हैं एक समय था जब टाइलें आस्ट्रेलिया तथा अन्य स्थानों को भेजी जाती थीं । किन्तु रास्ते में इनमें से ५० प्रतिशत टाइलें विनष्ट हो जाती थीं जबकि मंगलौर और कालीकट से जाने वाली टाइलों में हानि का इतना प्रतिशत नहीं था । अत: अब उसका बाज़ार भी नहीं है ।

यदि इन फैक्टरियों को ऋण अथवा अनुदान दिया जाये तो वहां पर मिट्टी पीसने की फैक्टरी आरम्भ हो सकती है ताकि टाइलें बनाने के लिये इसका वितरण किया जा सके । त्रिचूर में एक पोलीटेक्नीक स्कूल; कदाचित् कलामचेदी में भी है । यहां एक इंजीनियरिंग कालेज खोला जा सकता है । इसके लिये अनेक भवन उपलब्ध हैं ।

त्रिवेन्द्रम् में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापना करने वाला विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिये था। इसके पारण के पीछे क्या कारण था मुझे मालूम नहीं है। केवल त्रिवेन्द्रम की कुमारी एनी मैस्करीन ने इसके पक्ष में मत दिया अन्यथा सब इसके विरुद्ध थे । अब वहां एक आन्दोलन चल रहा है । राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वहां पर उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित नहीं की जा सकती है। राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश दोनों इस में कुछ नहीं कर सकते ।

राष्ट्रपति का शासन प्राय: सफल रहा । जहां पर प्रभावी बहुमत न हो वहां किसी भी कार्य की निष्पत्ति सम्भव नहीं है । जिस अवस्था में वहां का मंत्रालय काम कर रहा था स्वाभाविक है कि उससे अधिक आशा नहीं रखी जा सकती थी ।

एक और कठिनाई है । जब तक मंत्रिमण्डल में एक दल की भावना नहीं है वह संतोषजनक रूप में काम नहीं कर सकता । मैं मंत्रालय में त्रुटि नहीं ढूंढ रहा हूं अपितु उसकी रचना ही कुछ ऐसी है कि वह किसी भी प्रकार का प्रभावपूर्ण अथवा संतोषजनक रीति में काम नहीं कर सकता है ।

राष्ट्रपति के परामर्शदाता की स्थिति भिन्न है । वही सब कुछ है । वह केवल अपने निकट के व्यक्तियों से ही परामर्श लेकर सब काम करता है । परिणाम यह हुआ कि काम का ढेर लग गया है; वर्षों का इकट्ठा हुआ काम निबटाना है । काम इकट्ठे होने का एक कारण यह भी है कि सब शक्तियां सचिवालय में निहित थीं । परामर्शदाता द्वारा दिये गये सुझावों में एक यह भी है कि विकेन्द्रीकरण किया जाये । यदि केरल समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होना चाहे तो यह आवश्यक है कि यहां पर एक शक्तिशाली मंत्रि-मण्डल हो । उद्योगों की स्थापना से अधिक सशक्त मन्त्रिमण्डल के निर्माण की ओर ध्यान दिया जाये ।

हाल ही में श्री लंका से बहुत से व्यक्ति वापस चले आये हैं क्योंकि उन्हें वहां नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सके । भारत के विभाजन के पश्चात् हिन्दू पाकिस्तान से वापस चले आये थे क्योंकि वह जानते थे कि वहां उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जायगा । इसी प्रकार श्री लंका से भी लोगों को वापस आना पड़ा । सरकार को इस समस्या पर उदारतापूर्वक विचार करना चाहिये । दक्षिण में इसे शरणार्थी समस्या ही समझना चाहिये । अन्यथा केरल की स्थिति शोचनीय हो जायेगी ।

†**श्री केलप्पन** (पोन्नानी) : भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का सिद्धांत मुझे पसन्द नहीं है । मैं उस दिन की बाट जोह रहा हूं जब लोग इस रोग से मुक्त होकर एक विशाल दक्षिणी राज्य का निर्माण करेंगे । ब्रिटेन के एक प्रधान मंत्री की प्रसिद्ध उक्ति है कि 'सुशासन स्वशासन का विकल्प नहीं

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री केलप्पन]

है'। यदि यह मान भी लिया जाये कि त्रावनकोर-कोचीन का प्रशासन जनता के प्रतिनिधियों की अपेक्षा राष्ट्रपति द्वारा अधिक अच्छी तरह किया गया था तो भी प्रत्येक व्यक्ति जनता की चुनी हुई सरकार को ही पसन्द करेगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन में संवैधानिक उपबन्ध होते हुए भी असामान्य अवस्था है।

त्रावणकोर की घटनाओं ने सरकार की आंखें खोल दी हैं। त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की बैंच बनाये रखने के लिये जो शोचनीय आन्दोलन किया गया था उसे सब जानते हैं। परामर्शदाता का शासन इसलिये आलोच्य है कि वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये कार्य को भस्मीभूत कर रहा था। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि वहां पर परिवर्तित स्थितियों में स्थायी सरकार सम्भव नहीं है।

मलाबार और केसरगोडे की अवस्था अनाथ की नाईं हो गई है। उनके हितों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरा विचार है कि सम्पूर्ण राज्य में समानता की भावना उत्पन्न करने के लिये राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान की भावना को प्रोत्साहन दिया जाये।

यदि राष्ट्रपति विधान सभा को पुनरुज्जीवित न करना चाहें तो कम से कम त्रावनकोर-कोचीन राज्य और मलाबार तथा केसरगोडे की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों का एक मंत्रणा बोर्ड बनाया जाये। यह सब लोग परस्पर बैठ कर द्वितीय योजना तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय कर सकेंगे।

सेवाओं के एकीकरण, नये उद्योगों की स्थापना, विकास-कार्य, शिक्षा सम्बन्धी प्रगति आदि अनेक बातें हैं। विधान सभा के माध्यम से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ही इन विषयों पर सही निर्णय कर सकते हैं।

केरल सबसे छोटा राज्य है किन्तु, यहां आबादी सबसे घनी है, बेकारी सबसे अधिक है। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर सरकार ने भूल की है। इन राज्यों में क्षेत्रफल, जनसंख्या और संसाधनों की दृष्टि से विषमता है। स्वाभाविक है कि इनके विकास में भी विषमता रहेगी।

द्वितीय योजना में त्रावनकोर-कोचीन राज्य को ७१ करोड़ ९५ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। इस दृष्टि से मलाबार और केसरगोडे को ४७ करोड़ रुपये से अधिक मिलना चाहिये था। मेरा ज्ञान है कि आवंटित राशि केवल १५ करोड़ रुपये है। यदि यह विषमता जारी रही तो केरल में बेकारी उग्र रूप धारण करेगी और वह अशांति का गर्त बन जायेगा।

†**श्री वेलायुधन** : मैंने कुछ संशोधन रखे थे, जिन्हें स्वयं अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया था। वस्तुतः हम लोग पिछले पचास वर्षों से केरल राज्य की स्थापना के स्वप्न देख रहे थे। हमें आशा थी कि केरल राज्य की स्थापना के उपरांत वहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी तथापि ऐसा नहीं हुआ।

गृह-मंत्री इस सम्बन्ध में निरपेक्ष और मौन प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है अपितु राज्य के ऊपर है। उन्हें यह कहने का साहस भी नहीं हुआ कि राज्य में राष्ट्रपति के शासन का दायित्व उन्हीं के दल के ऊपर है। वस्तुतः पिछले १० वर्षों में राज्य में जो कुछ भी हुआ वह बहुत चिन्तनीय है।

मैंने स्वयं वहां का प्रशासन देखा है। वहां एक दर्जन से अधिक भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी हैं, तथापि सभी किसी न किसी विशेष सम्प्रदाय के भरोसे ही उस स्थिति में पहुंचे हैं; तथा बिना कांग्रेसी विधान सभा के सदस्य की सिफारिश के वहां का एक कागज तक नहीं हिलता है। श्री राव, जो वहां के

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रशासक थे, उन्होंने अपने सात महीनों के शासन काल में स्थिति को संभालने का भरसक प्रयत्न किया, तथापि उनसे कुछ न हो सका। दुःख इस बात का था कि वे स्वयं नहीं जानते थे कि कांग्रेसियों के कारण ही उनकी दाल नहीं गलने पाती है। अब वे लोग अपने ही दल का एक राज्यपाल ले आये हैं। और उनका विचार है कि इस प्रकार प्रशासन ठीक तरह से चल सकेगा। केरल का वर्तमान शासन गृह-मंत्रालय अथवा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा होगा।

अब मैं उच्च न्यायालयों का प्रश्न लेता हूं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि यद्यपि राज्यपाल वहां उच्च न्यायालय स्थापित करने में सहमत हो गये थे तथापि मुख्य न्यायाधिपति इससे सहमत नहीं हुए। वहां के वकीलों को भी वहां के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति तथा कुछ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से असंतोष है जिन्होंने दल बन्दी में प्रमुख भाग लिया था।

†**श्री अ० म० थामस** : औचित्य प्रश्न पर, माननीय सदस्य ऐसे लोगों पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं जो इस सभा में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहा हूं। अभी तक उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं किया है तथापि मैं चाहूंगा कि वे किसी वर्ग पर भी ऐसे आक्षेप न लगायें। स्वयं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आलोचना भी आपत्तिजनक है।

†**श्री वेलायुधन** : मेरा आशय केवल इतना ही था कि त्रिवेन्द्रम तथा विवलोन की जनता ने त्रिवेन्द्रम में एक उच्च न्यायालय खोलने की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया।

अब मैं राज्य के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा। राज्य की औद्योगिक प्रगति बहुत धीमी है। वहां कोई उद्योग प्रारम्भ नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये एक रबड़ का कारखाना त्रिवेन्द्रम में खोला गया। सामान्य रूप से उससे बहुत लाभ होता, तथापि पिछले वर्ष के प्रतिवेदन देखने से ज्ञात हुआ कि केवल ८९ रुपये लाभ हुआ है। वस्तुतः उद्योग की अवस्था बहुत चिन्तनीय है। उन्हें विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसी प्रकार कुंडारवले फैक्ट्री में १७ लाख रुपये व्यय हुए और कुछ लाभ नहीं हुआ। जबकि उचित प्रबन्ध होने पर उनसे दुगुना लाभ प्राप्त हो सकता था।

अब मैं छोटे पैमाने के उद्योगों को लेता हूं। मेरे विचार से त्रावनकोर-कोचीन की बेकारी की समस्या का हल छोटे पैमाने के उद्योगों से नहीं हो सकता है अपितु विद्युत की सहायता से छोटे इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास करके हो सकता है। सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों के निगम इत्यादि की स्थापना की है तथापि उनसे कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। छोटे पैमाने पर कोई उद्योग शुरू नहीं किया गया और न क्विलोन में बड़ी औद्योगिक सम्पदा ही स्थापित की गई।

अब मैं शिक्षा के प्रश्न को लेता हूं। केवल त्रिवेन्द्रम में ही एक मात्र विश्वविद्यालय है। इस विश्व-विद्यालय के उप-कुलपति तामिल भाषा-भाषी हैं जो अधिकांश समय कलकत्ते में रहते हैं। शिक्षा के निदेशक भी तमिल भाषा-भाषी हैं। वस्तुतः यह स्थिति बहुत शोचनीय है।

अब मैं पिछड़े वर्गों के विकास के प्रश्न को लेता हूं। अभी हाल तक वहां पिछड़े वर्गों के आयोग का एक विभाग था लेकिन उसे बन्द करने का प्रस्ताव किया गया। जिससे वहां की जनता में बहुत आन्दोलन हुआ और अब उसे बन्द नहीं किया जायेगा। वहां के अछूतों की अवस्था पहले की भांति ही खराब है तथा उनको दी गई राशि भी पूरी तरह व्यय नहीं की गई है। वहां का मलाबार ज़िला बहुत ग़रीब है पर अभी तक वहां कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया। इसलिये मैं वहां सलाहकार के प्रशासन का

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वेलायुधन]

विरोध करता हूं, तथापि मुझे आशा है कि वे छः सात महीनों में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री कोट्टुकप्पल्ली अपना भाषण देंगे।

†**श्री इ० ईयाचरण** : (पोन्नानी--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मलाबार के सदस्य को भी भाषण देने का अवसर मिलना चाहिये।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : कृपया अन्य लोगों का भी ध्यान रखियेगा।

†**श्री नेत्तूर पं० दामोदरन** (टेल्लिचेरी) : मुझे अभी तक बोलने का कोई अवसर नहीं मिला।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : पीछे बैठने वालों को भी न भूलियेगा।

†**श्री कोट्टुकप्पल्ली** (मीनाचिल) : केरल वासियों की पिछले २००० वर्षों से यह आकांक्षा रही है कि समस्त केरल एक राज्य के अन्तर्गत हो। आज ईश्वर की कृपा से उनकी यह महत्वाकांक्षा पूरी हुई है। तथा उन्हें एक होकर अपने भविष्य के निर्माण का अवसर मिला है।

वस्तुतः केरल एक समस्यापूर्ण राज्य है, जिसने बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के छक्के छुड़ा दिये हैं। त्रिवेन्द्रम में सारी जनता में रोष फैला हुआ है। क्विलोन में ४५,००० मज़दूर इस समय बेकार हैं। पेरूर के लोगों में भी असंतोष है। उनकी कठिनाइयों का यथार्थ में उल्लेख करना बहुत कठिन है।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह हमारे राज्य का दौरा करें और वहां की जनता से सीधे बातचीत करें। इस प्रकार उन्हें जटिल समस्याओं का हल सरलता से मिल जायेगा। उन्हें त्रिवेन्द्रम, एरणाकुलम और कासरगाड की भी यात्रा करनी चाहिये। कासरगाड केरल का सबसे पिछड़ा और उपेक्षित इलाका है। वहां सड़कों, रेलों इत्यादि की भी व्यवस्था नहीं है।

मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को, श्री ए० जे० जोन को मद्रास का राज्यपाल नियुक्त करने के लिये बधाई देता हूं। निःसन्देह श्री ए० जे० जोन एक सचरित्र और देश के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं तथा भारत सरकार उनकी इस नियुक्ति के लिये बधाई की पात्र है।

वहां का काजू का उद्योग विश्व का इस प्रकार का सबसे बड़ा उद्योग है। वस्तुतः डालर कमाने वाले उद्योगों में वह भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इस समय यह उद्योग बहुत बुरी हालत में है। और यदि शीघ्र ही कुछ किया नहीं गया तो इस उद्योग का पुनरुद्धार होना कठिन हो जायेगा। यह समस्या बहुत कठिन है और ४५,००० मज़दूरों के जीवन से सम्बन्ध रखती है। यदि हमने ऐसी उपेक्षा जारी रखी तो सम्भव है कि पूर्वी अफ़्रीका या और कोई देश इस उद्योग को आरम्भ कर दे।

श्री अ० म० थामस ने कहा कि 'इ डी की' योजना के लिये धन का न मिलना बड़े दुःख की बात होगी। इस योजना का उद्घाटन समारोह श्री नन्दा ने किया था। श्री अ० म० थामस प्रभृति कई गण्यमान लोग भी उपस्थित थे। जनता में बहुत उत्साह था यदि इस योजना में कोई प्रगति नहीं हुई तो जनता में बहुत निराशा फल जायेगी।

मैं श्री पुन्नूस के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि कोचीन से क्विलोन तक एल्लप्पी होते हुए एक रेलवे लाइन की आवश्यकता है। साथ ही मेरा सुझाव है कि मदुरइ से लेकर कोचीन तक एक रेलवे लाइन की अत्यन्त आवश्यकता है। इससे केरल के पर्वतीय भाग की वस्तुयें कोचीन तक सरलता से आ सकेंगी अन्यथा इनको लंका का चक्कर काट कर ले जाना पड़ेगा जो बड़ा लम्बा मार्ग है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री वेलायुधन ने कई व्यक्तियों पर आक्षेप किया है। वे सभी व्यक्तियों के प्रति मनमानी बात कह सकते हैं। जहां तक कालेज का सम्बन्ध है मैं उनकी अपेक्षा उस कालेज से अधिक घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हूं। उस कालेज में विद्यार्थियों की संख्या १२०० है। निःसन्देह यदि श्री रामस्वामी मुदालियार वहां नहीं होते तो वहां साम्प्रदायिकता या जातीयता का बोलबाला हो जाता तथापि उनके कारण वहां का प्रशासन उचित तरीके से चल रहा है।

†**श्री इ० ईयाचरण** : मैं माननीय गृह-मंत्री के उस संकल्प का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने केरल के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन १ नवम्बर १९५६ को राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का समर्थन किया है। केरल राज्य विस्तार में छोटा है तथापि उसकी समस्यायें बहुत गम्भीर हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि वहां की प्रमुख समस्यायें बेकारी और अर्द्ध-विकास है। केरल राज्य में मलाबार बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यह बहुत बड़ा ज़िला है जिसकी जनसंख्या ५२ लाख है। मेरे विचार से इसके विभाजन से कई समस्यायें हल हो जायेंगी, इस समय केलव दक्षिण मालाबार में कुछ योजनायें चल रही हैं। उनमें से एक कंचिरापुजा योजना है इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय निर्मित किया गया था तथापि इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया। यह योजना बहुत लाभदायक है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे अपनी योजनाओं में इस महत्वपूर्ण योजना को भी शामिल करें।

दूसरी महत्वपूर्ण योजना पालधाट तालुक में अधिक क्षेत्र में बिजली लगाना है मालाबार में विद्युत पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध है इसलिये इस क्षेत्र में भी अविलम्ब विद्युत लानी चाहिये।

अनक्कापाड़ा से मदप्पालूर तक एक सड़क बनाने की भी बहुत मांग है वस्तुतः लोक निर्माण विभाग ने सिफारिश की है कि हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लेना चाहिये।

मैं योजना आयोग से प्रार्थना करता हूं कि वह प्रथम वर्ष में ही योजना को कार्यान्वित करें।

मालाबार ज़िले में कुछ पदाधिकारी यह अनुभव करते हैं कि स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान न होने के कारण उनकी वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा जायगा और त्रावनकोर-कोचीन से कुछ अन्य पदाधिकारियों को वरिष्ठ बना दिया जायेगा। इस आशंका को दूर करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

वर्तमान केरल राज्य में विभागों के सभी प्रमुख त्रावनकोर-कोचीन के भूतपूर्व पदाधिकारी हैं। उन्हें मालाबार और उसकी समस्याओं का अधिक ज्ञान नहीं है। इसलिये मद्रास से स्थानान्तरित किये गए कुछ पदाधिकारियों को कुछ विभागों का प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

एक और समस्या मलाबार जिले में कर्मचारियों के महंगाई के भत्ते की है। मद्रास सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी और उस समिति ने उस भत्ते में वृद्धि की सिफारिश भी की थी। मद्रास सरकार के वर्तमान सरकारी कर्मचारियों का महंगाई का भत्ता तो बढ़ा दिया गया है परन्तु मद्रास से केरल स्थानान्तरित किये गये व्यक्तियों के मामले में ऐसा नहीं किया गया है। इस बात की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये।

मलाबार में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की दशा अत्यन्त शोचनीय है और उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। राष्ट्रपति के शासनकाल में यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। सर्वप्रथम तो उनकी आवास सम्बन्धी समस्या है। मकानों की भूमि उनकी अपनी है परन्तु इस बात का कोई रिकार्ड नहीं है। इस कारण कुछ व्यक्तियों को बेदखल किया जा रहा है और कुछ व्यक्तियों को मकान के सम्बन्ध में सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। मद्रास सरकार ने मलाबार में हरिजनों को भूमि देने के लिये

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री इ० ईयाचरण]

१९४९ में जो योजना स्वीकार की थी उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। केवल २० या २५ व्यक्तियों को ही अब तक लाभ हुआ है। कम से कम हरिजनों को मकान के लिये भूमि के सम्बन्ध में स्थायित्व देने के लिये सरकार को विधान बनाना चाहिये। मलाबार काश्तकारी अधिनियम ने हरिजनों की जितनी सुरक्षा की जानी चाहिये थी, नहीं की है।

एक और कठिनाई मलाबार में अनुसूचित जातियों की शिक्षा के सम्बन्ध में है। शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें भी उन्हें कम प्राप्य हैं और अनुदान भी बहुत कम है। मिडिल कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने छात्रवृत्तियों के लिये आवेदित किया था परन्तु सरकार द्वारा बहुत ही कम छात्रवृत्तियां दी गई हैं। मैट्रिक तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अधिक संख्या में छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिये। कुछ संस्थाओं को सरकार ने मान्यता प्रदान की है परन्तु उन्हें अभी तक अनुदान नहीं दिये गये हैं। वर्तमान सरकार को मलाबार में अनुसूचित जातियों को सभी सुविधायें देनी चाहिये।

छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिये कुछ औद्योगिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में हरिजन युवकों को अधिमान दिया जाना चाहिये। और बाद में उन्हें काम भी देना चाहिये। हरिजनों को नौकरियों के लिये जो कोटा बंटित किया गया है वह उन्हें पूरा नहीं मिल रहा है। उन्हें अतिरिक्त प्रविधिक प्रशिक्षण देकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

खेतिहर मजदूरों को भी अन्य व्यक्तियों की भांति न्यूनतम मजूरी काम की समय सीमा और आवास सम्बन्धी सुविधाएं आदि नहीं मिल रही हैं। सरकार का यह कहना है कि वे संगठित नहीं हैं। परन्तु फिर भी उन्हें न्यूनतम मजूरी देने के लिये विधान तो पारित किया जा सकता है।

एक और कठिनाई यह है कि मलाबार खाद्य के सम्बन्ध में कमी प्रधान क्षेत्र है। खाद्य पदार्थों के दाम अब बढ़ गये हैं। निस्सन्देह सरकार ने कुछ स्थानों पर उचित मूल्य वाली दुकानें खोली हैं परन्तु उनकी संख्या कम है और इस प्रकार की अधिक दुकानें खोली जानी चाहियें ताकि ग्रामीणों को और अन्य लोगों को कम दामों पर अनाज मिल सके। इनमें से कुछ दुकानें हरिजनों को भी दी जानी चाहिये। उन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है उसे भी दूर किया जाना चाहिये।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : उपाध्यक्ष महोदय कुछ माननीय सदस्यों ने जो यह कहा है कि केरल में राष्ट्रपति का शासन लोकतंत्रात्मक है मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। यह लोकप्रिय शासन नहीं है।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने अपने प्रारम्भिक आलोचन में कहा था कि केरल राज्य में राष्ट्रपति के शासन के अतिरिक्त आज कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह कार्यवाही जान बूझ कर की गई है। क्या १ नवम्बर को केरल राज्य में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना सम्भव नहीं था? इससे पहले जिन कारणों से वहां राष्ट्रपति का शासन आरोपित किया गया था वे बिल्कुल विभिन्न थे। उन्होंने कहा है कि उस समय संवैधानिक कार्य व्यवस्था टूट गई थी। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** (त्रिवेन्द्रम) : आप उस राज्य के नहीं है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : १ नवम्बर को मलाबार के विधान सभा के सदस्य केरल में आ गये थे। यदि वहां राष्ट्रपति की उद्घोषणा न की जाती तो वे विधान सभा के सदस्य बने रहते। राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन अपनी पहली उद्घोषणा में संशोधन या परिवर्तन

†मूल अंग्रेजी में।

कर सकते थे। भारत सरकार या राष्ट्रपति को इस बात से कोई नहीं रोक सकता था। यदि कांग्रेसी किसी राज्य में गैर-कांग्रेसी सरकार नहीं चाहते तो उन्हें स्पष्ट शब्दों में यह बात कह देनी चाहिये।

भारत के राजनीतिक मानचित्र में केरल की अत्यन्त विचित्र स्थिति है। शिक्षा के सम्बन्ध में वहां की औसत सब से अधिक है। किसी अन्य राज्य में केरल से अधिक राजनीतिक चेतनता नहीं है। फिर भी उनसे यह कहा गया है कि राज्य में स्वशासन बिल्कुल भी सम्भव नहीं है। मेरा आज भी यह मत है कि लोकतंत्रात्मक सरकार की वहां आज भी संविधान के अधीन स्थापना की जा सकती है। केवल प्रशासन को ही राष्ट्रपति द्वारा संभाला गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि विधान सभा सदैव के लिये मिट गई है और उसे फिर से स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिये इस बात पर विचार किया जाना चाहिये और यथासम्भव शीघ्र ही वहां लोकतंत्रात्मक कार्य प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये।

†**श्री अ० क० गोपालन** : केवल कुछ ही सदस्य हैं इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उन सभी को अवसर दिया जाना चाहिये और वाद-विवाद की समय सीमा बढ़ा दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि मुझे यह न कहा जाय कि गणपूर्ति नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को भी आपत्ति नहीं होगी।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जी, नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस राज्य से सम्बन्धित सदस्यों को हम विचार प्रकट करने का अवसर देंगे।

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम) : उपाध्यक्ष महोदय, साम्यवादी दल के नेता ने ठीक ही कहा था कि राष्ट्रपति के शासन को पुरःस्थापित किये जाने या अब उसकी अवधि में वृद्धि करने के सैद्धांतिक प्रश्न पर वाद-विवाद करने का कोई लाभ नहीं है। तथापि बाद के एक वक्ता ने, जिन परिस्थितियों ने राष्ट्रपति का शासन पुरःस्थापित करना आवश्यक बताया, उनके लिये कांग्रेस दल को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल इसलिये असफल हुआ कि उसमें काम चलाने के लिये अपेक्षित शक्ति नहीं थी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस बात से विरोधियों को निराशा क्यों होनी चाहिये। कांग्रेस दल के मित्रों को खेद होने की बात तो समझ में आती है। मैं यह पूछता हूं कि किसी विरोधी दल में इतनी शक्ति क्यों नहीं थी कि वह नया मंत्रिमंडल बना सके? वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रपति के शासन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था और समस्या का यही सब से अच्छा समाधान था।

यह सामान्य प्रश्न फिर पूछा गया है कि क्या राष्ट्रपति के शासन की अवधि में प्रगति हुई है। यह कहना ठीक नहीं है कि कोई प्रगति नहीं हुई है? कुछ दिशाओं में प्रगति अवश्य हुई है और कुछेक दिशाओं में अधिक प्रगति नहीं की गई है।

मैं इस प्रश्न के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लगभग ऊपर से लेकर नीचे तक सरकारी पदाधिकारियों को झिंझोड़ा गया था। वस्तुतः इस सभा में यह आलोचना की गई थी कि फाइलों के मामलों में उन पर सदैव पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है और उन्हें निबटाने में अनावश्यक जल्दी की जाती है। हो सकता है यह आलोचना ठीक ही हो परन्तु यह स्पष्ट उदाहरण है इस बात का कि फाइलों को शीघ्रता से भेजा जाता है।

जहां कहीं सुधार हुआ है उसके ब्योरे में न जाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सभी इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि प्रत्येक दिशा में अधिक प्रगति होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मैथ्यू]

अब मैं त्रावणकोर विश्वविद्यालय के प्रश्न की चर्चा करना चाहता हूं जो न तो त्रिवेन्द्रम विश्वविद्यालय है और न ही केरल विश्वविद्यालय है। एक लम्बे समय तक मेरा इस विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रहा है। मैं किसी एक विश्वविद्यालय की किसी अन्य विश्वविद्यालय से तुलना नहीं करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य ने अनजाने ही डा० रामा स्वामी मुदलियार को एक 'विदेशी' कहा था और तुरन्त ही अपनी गलती को सुधार लिया था। हम केरल में पड़ौसी राज्यों में कन्नड़ या तमिल लोगों को 'विदेशी' समझें यह अच्छी बात नहीं है।

सभा में यह बात कही गई है और सभी ने इसे स्वीकार भी किया है कि हम भाषा सम्बन्धी राज्यों का स्वागत करें या न करें उन्हें स्वीकार अवश्य करना चाहिये और यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि राज्यों में बाधाओं को ऐसी बाधायें नहीं समझना चाहिये कि जो राज्यों को एक दूसरे से बिल्कुल ही पृथक् रखती हों। उच्चतर विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में तो ये बाधायें बिल्कुल नहीं होनी चाहियें। क्या मैं केरल राज्य के अपने मित्रों को याद दिलाऊं कि एक सुविख्यात मलयाली डा० जान मथाई बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं? उनका किसी ने कभी विरोध नहीं किया है। यदि एक मलयाली बम्बई विश्वविद्यालय का उपकुलपति हो सकता है तो पड़ौसी राज्य मद्रास के किसी व्यक्ति के त्रावणकोर विश्वविद्यालय के उपकुलपति होने पर आपत्ति करना क्या अच्छी बात है?

मैं भूतपूर्व उपकुलपतियों से उनकी तुलना नहीं करना चाहता। उन्होंने अच्छी सेवा की है और अच्छी सेवा कर रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि प्रो-वाइस-चांसलर भी तमिल भाषी हैं और विदेशी हैं। मैं विस्तार में न जाकर यह कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकतर केरल मित्रों को मालूम होगा कि वर्तमान प्रो-वाइस-चांसलर के पिता उस समय के त्रावणकोर राज्य में लम्बे समय तक सेवा करते रहे हैं। इसलिये उन्हें विदेशी कहना मेरी समझ में नहीं आता है।

एर्नाकुलम-क्विलोन रेलवे लाइन के एक भाग के खुलने पर बहुत प्रसन्नता प्रगट की गई थी। हम उचित रूप से जो दावा कर सकते हैं यह उसका छोटा सा भाग ही है।

मेरे माननीय मित्र श्री पुन्नूस ने रेलवे यातायात के लिये तट के एक भाग में रेलवे लाइन की आवश्यकता की ठीक ही चर्चा की है। कई नई लाइनें खोली जानी हैं। मैं केवल एक नई लाइन की चर्चा करना चाहता हूं। यह है वह लाइन जो थिरुवेल्ला को पुनालूर से मिलायेगी। इससे भूतपूर्व त्रावणकोर राज्य के अत्यन्त विकसित और प्रगतिशील भाग खुल जायेंगे। इसलिये मैं इस लाइन के निर्माण का अनुरोध करता हूं।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : श्रीमान्, मैं त्रावणकोर-कोचीन राज्य में राष्ट्रपति के शासन के विरुद्ध हूं। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि हाल ही के समय में वहां प्रशासन में अतिरिक्त कार्य-दक्षता का परिचय मिला है। हमारे राज्य को 'क' भाग का राज्य बना दिया गया है और परिणामस्वरूप पदाधिकारियों के वेतनों तथा स्तरों में भी परिवर्तन हुआ है। पहिले से अधिक पदाधिकारी अब हैं जो ३,००० से ४,००० रुपया तक वेतन पाते हैं। यह क्रमोन्नति हमारे लिये बड़ी महंगी है।

श्री पी० एस० राव स्वयं भ्रष्ट नहीं थे। परन्तु प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। वस्तुतः वही भ्रष्ट व्यक्ति अभी भी हैं। जो कुछ पहिले होता था वही अब हो रहा है।

मैं एक अत्यंत हास्यास्पद घटना बताता हूं। एक महिला जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का आदेश एक कांग्रेसी नेता के कागजों में दबा रहा और वह तीन दिन तक अपने पद का कार्य नहीं संभाल सकीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं भारत सरकार के गृह-कार्य मंत्रालय के विरुद्ध एक गम्भीर आरोप लगाता हूं। यहां केरल के मुख्य न्यायाधिपति के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की गई थी और उस पर आपत्ति की गई थी। हम इन बातों को कहां कहें ? मुझे विश्वसनीय तौर पर बताया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने, श्री कोशी की नियुक्ति के विरुद्ध सिफारिश की थी और उन्होंने एक मलयाली की सिफारिश की थी। गृह-कार्य मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधिपति की सिफारिश को नहीं माना। परिणाम क्या हुआ ? जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उसने जिला सुधार और उस समय त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायालय के उत्सादन की सिफारिश की। इससे सभी प्रकार के आन्दोलन हुए। मेरा अपना घर त्रिवेन्द्रम से दूर है। और मैं क्विलोन जिले से निर्वाचित हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय था तब वह नगर के जीवन का एक अभिन्न अंग था।

अभी हाल में मुझे सरकार पर नियन्त्रण करने के लिये एक लेख्य याचिका देनी पड़ी थी, क्योंकि सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम और खान अधिनियम के संविहित उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं कर रही थी, मुझे एक और याचिका भी देनी पड़ी थी। बाद में मैं मुख्य सचिव से मिला। उन्होंने मुझ से कहा कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। किन्तु मुझे अभी तक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ है। यह कार्यक्षमता की स्थिति है।

आन्दोलन के सम्बन्ध में मैं गृह-कार्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि राज्य के तीन भूतपूर्व मुख्य मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं और शायद उनके साथ और सैंकड़ों व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया जायेगा।

तीन मास पूर्व गृह-कार्य मंत्री ने घोषणा की थी कि काजू उद्योग और कारखानों के बारे में एक घोषणा की गई थी जिससे श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा। किन्तु अभी तक सरकार ने इसे क्रियान्वित नहीं किया है और पिछले ३½ मासों से ४५,००० श्रमिक बेकार हैं। श्रमिकों को बेकारी के समय के लिये प्रतिकर दिया जाना है किन्तु अभी तक भुगतान नहीं दिया गया।

श्रम मंत्रालय ने कारखानों के श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं के रूप में चलाये जाने के लिये एक योजना बनाई थी और एक बोर्ड बनाया गया था। यह बोर्ड अब काम नहीं कर रहा है और २०,००० श्रमिकों को स्थायी रूप से काम से हटा दिया गया है और २५,००० और श्रमिकों को बेकारी का सामना करना है। ४५,००० परिवारों के जीवन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के शासन का रवैया यही है। क्या आप इसे प्रभावोत्पादक प्रशासन या कार्य क्षमता कह सकते हैं ? मैं कहता हूं कि राज्य में शासन है ही नहीं। मैंने स्वयं दो हड़तालों का निपटारा कराया है और एक और की सूचना भी मैंने दी है जो खनिज कारखानों में अगले सप्ताह होगी। कारण यह है कि सरकार ने यन्त्रीकरण के फलस्वरूप, जो कि १९४९ में किया गया था, निकाले गये २२० श्रमिकों को अभी तक १५६ रुपये प्रति श्रमिक प्रतिकर नहीं दिया है।

सन् १९५२ में सदन ने खान अधिनियम पारित किया था, जिसमें श्रमिकों को सात दिन की सवेतन छुट्टी दिये जाने की व्यवस्था है। सरकार ने न तो बकाया छुट्टी दी है और न इस वर्ष की सवेतन छुट्टी दी गई है।

सरकार ने खनिज उद्योग में २४० दिन काम करने वाले श्रमिकों को बेकारी के समय का प्रतिकर भी पछले तीन वर्ष से नहीं दिया।

कुंभकारी उद्योग के विकास के लिये सरकार ने ४५ लाख रुपये खर्च किये हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों को नहीं माना है।

काजू उद्योग सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिये मैं तीन-चार सुझाव देता हूं। वे ये हैं : (१) काजू उद्योग को औद्योगिक विकास और नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये (२) बन्द कारखानों

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

को चलाने के लिये एक काजू निगम स्थापित किया जाये (३) बन्द कारखानों को सरकार अपने हाथ में लेकर तुरन्त चालू करे और (४) उन श्रमिकों को जो पिछले ३॥ मासों से बेकार हैं तुरन्त सहायता दी जाये। यदि यह कार्यवाही तुरन्त न की गई तो तीस दिनों के अन्दर ही यह उद्योग नष्ट हो जायेगा। इस उद्योग में न्यूनतम मजूरी रुपया १–४–० निर्धारित की गई है, किन्तु वास्तविक औसत मजूरी केवल १० आने है। उद्योग के समाप्त हो जाने पर यह भी बन्द हो जायेगी और वह भूखे मरेंगे।

राष्ट्रपति के शासन द्वारा किये गये नये सुधारों के अनुसार, प्रत्येक विभाग में दो विभागाध्यक्ष रख दिये गये हैं। पुलिस के महानिरीक्षक के अतिरिक्त, अब एक अतिरिक्त महानिरीक्षक भी है और मुख्य इंजीनियर तो कई हैं। ये एक गरीब राज्य के लिये बिल्कुल फालतू हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से विभागों के आपसी झगड़े पैदा हो गये हैं। यदि इस तरह का प्रशासन जारी रहा, तो वहां कांग्रेस सदैव के लिये समाप्त हो जायेगी।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन** : मेरा जिला मलाबार है जो कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य का तीन बटा पांचवां भाग है और इसकी जनसंख्या ५० लाख है। मुझे हर्ष है कि गृह-कार्य मंत्री ने अब इसे तीन जिलों में बांटना मंजूर कर लिया है। इनमें से एक जिले के मुख्यालय के स्थान के बारे में कुछ विवाद है। मुझे हर्ष है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने कन्ननूर को उत्तर मलाबार जिले का मुख्यालय बनाने की घोषणा की है। किन्तु तेल्लिचेरी के कुछ लोग इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। वे चाहते हैं कि उत्तर मलाबार ज़िले का मुख्यालय तेल्लिचेरी बनाया जाये। इस आन्दोलन में मुस्लिम लीग का बड़ा हाथ है। मैं स्वयं तेल्लिचेरी का प्रतिनिधि हूं किन्तु मैं समझता हूं कि कन्ननूर, जो कि मेरे नगर से केवल १२ मील दूर है, इस कार्य के लिये अधिक उपयुक्त है। दुर्भाग्यवश यह विवाद जिसमें कुछ स्वार्थी लोगों का हाथ है, एक भद्दा रूप धारण करता जा रहा है? हाल के तेल्लिचेरी के एक सिनेमा घर के मालिक पर, जिसने हड़ताल करने से इन्कार कर दिया था, पत्थर बरसाये गये थे और कुछ प्रतिनिधि तेल्लिचेरी के पक्ष में आंदोलन करने के लिये दिल्ली भी आये थे, मैं समझता हूं कि ये छोटे-छोटे विवाद बिल्कुल अनावश्यक हैं।

त्रिवेन्द्रम में, उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित किये जाने के लिये भी आन्दोलन चल रहा है। मैं न तो इस आंदोलन का विरोध करता हूं और न समर्थन। मेरे विचार में यदि त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित की जानी है तो तेल्लिचेरी में भी एक बैंच स्थापित की जानी चाहिये, क्योंकि मलाबार और कासरगोडे के क्षेत्र में भी एक बैंच होनी चाहिये। पुरानी ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में भी तेल्लिचेरी में एक उच्च न्यायालय था। तेल्लिचेरी की बैंच उत्तर मलाबार और केन्द्रीय मलाबार के ज़िलों के लिये काम कर सकती है।

तेल्लिचेरी-मैसूर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किये जाने का आदेश रेलवे मंत्री ने दिया था। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। किन्तु मुझे खेद है कि अब वह त्यागपत्र दे रहे हैं।

श्री गोपालन ने बारापोल बारापुज़ा योजना का उल्लेख किया। यह भी मलाबार और कासरगोडे के कम विकसित क्षेत्रों के लिये लाभदायक है। मैसूर और केरल की राज्य सरकारों और केन्द्र को मिलकर इसे क्रियान्वित करना चाहिये।

मलाबार में एक मैडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज भी होना चाहिये, क्योंकि उत्तर मलाबार और कासरगोडे के क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इन पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : मुझे यह मानना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के पिछले कुछ मासों के शासन ने भूतपूर्व त्रावणकोर-कोचीन राज्य की जनता के प्रति न्याय किया है और उन्हें अधिक अच्छा जीवन

†मूल अंग्रेजी में।

बिताने का अवसर दिया है। श्री पी० एस० राऊ के प्रशासन की मैं प्रशंसा करती हूं। उनका त्रावणकोर-कोचीन राज्य और केरल में कोई स्वार्थ नहीं था।

केरल के राज्यपाल के खर्च के अतिरिक्त, अब राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर भी बहुत खर्च करना पड़ेगा। इतना अधिक खर्च करना इस राज्य के लिये संभव नहीं है। मैं गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि वह प्रशासन पर किये जाने वाले व्यय को संतुलित करें, ताकि यहां की जनता, जिसमें बेकारी बहुत फैली हुई है, इस भार को उठा सके।

मेरी अगली बात न्यायपालिका के बारे में है। मेरे विचार में त्रिवेन्द्रम में एक बैंच स्थापित करने के लिये जो आंदोलन किया जा रहा है, वह समर्थनीय है। यदि आप न्याय करना चाहते हैं, तो आप को यह मांग तुरन्त स्वीकार कर लेनी चाहिये। एक और बैंच मलाबार में भी होनी चाहिये। इससे केरल राज्य की जनता को, जो कि निर्धन है और जो अपने मुकद्दमें दूर स्थित न्यायालयों में नहीं ले जा सकती है, बहुत सुविधा होगी।

बेकारी की समस्या के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि इस समस्या के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी नहीं है। इसके लिये वे लोग उत्तरदायी हैं, जो श्रमिकों के अधिकारों के लिये आंदोलन करते हैं, पूंजी में परिचालन और कारखानों के कार्यकरण में बाधा डालते हैं और उनको बन्द हो जाने पर मजबूर करते हैं। मैं कह सकती हूं कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य में बरतनों के कारखानों को बन्द करवाने के लिये मेरे कुछ मित्र उत्तरदायी हैं, जो यहां उपस्थित हैं। मैं गृह-कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री को बता सकती हूं कि कार्मिक संघों द्वारा किये गये आंदोलनों से उद्योगों को इतनी हानि हुई है कि उस राशि से समूचे भारत की गरीबी दूर की जा सकती थी।

केरल में अनुसूचित जातियों की स्थिति, जिनमें ईसाई और गैर-ईसाई दोनों सम्मिलित हैं, बहुत खराब है। गैर-ईसाई अनुसूचित जातियों को तो कुछ रियायत दी जाती हैं, किन्तु आर्थिक स्थिति दोनों की खराब है। केरल की अनुसूचित जातियों के १४ लाख ईसाई अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मेरा अनुरोध है, कि सरकार उनकी जो भी सहायता करे वे उनके धर्म को देखे बिना करे, गृह-मंत्री उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर भी ध्यान दे।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं कुमारी एनी मैस्करीन तथा श्री थामस द्वारा कही गई बातों से सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि त्रिवेन्द्रम (डिवीज़न) में बेंच के लिये जो आन्दोलन चल रहा है वह एक न्यायोचित मांग है।

हमारे सम्मुख जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के शासनकाल में त्रावणकोर-कोचीन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न किया गया है; भूमि सम्बन्धी ग्यारह सुधार किये गये हैं तथा बागान, नारियल-जटा और काजू आदि उद्योगों को विकसित करने तथा वहां श्रम कल्याण योजनायें प्रारम्भ करने के भी प्रयत्न किये गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि यह बात बिल्कुल सही नहीं है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि परामर्श समिति की सहायता से जो कानून पास किये गये हैं उनमें से १० में से केवल ४ भूमि की समस्या से सम्बन्धित हैं। आपको ज्ञात होना चाहिये कि त्रावणकोर-कोचीन तथा मलाबार केरल ही ऐसे राज्य हैं जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसी प्रकार का भूमि सुधार नहीं हुआ था। राष्ट्रपति के छः मास के शासनकाल में भी वहां कोई उल्लेखनीय भूमि सुधार नहीं हुआ है। उदाहरण के लिये, कुथागापट्टम कृषकों को हर वृक्ष पर कर देना पड़ता है। जब मैंने कुथागापट्टम तथा जेनमीकारम कृषकों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे थे तो उत्तर मिला था कि सूचना संकलित

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वें० प० नायर]

की जा रही है । वहां के कृषकों के लिये वास्तव में न केवल कुछ किया गया है अपितु कृषि-पदार्थों के मूल्यों में गिरावट आ जाने से उनकी हालत और खराब हो गई है । सरकार वहां अनुपस्थित जमींदार के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर रही है । इसका २½ प्रतिशत कमीशन उसे मिल जाता है ।

चीज़ यह है कि दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति केरल की समस्याओं को नहीं समझ सकता । वहां बेरोज़गारी की समस्या भारत के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले में बहुत अधिक है । इसको हल करने का वास्तविक प्रयत्न किया जाना चाहिये । दूसरे, वहां के कृषकों की जो दयनीय दशा है उसको दूर करने के लिये बड़े पैमाने पर भूमि सुधार का काम प्रारम्भ करना चाहिये । फिर, वहां के नारियल जटा, काजू तथा हथकरघा उद्योगों में समय-समय पर जो संकट आया करता है उसे दूर करना चाहिये । कुछ निर्यात योग्य वस्तुओं का वहां बाहुल्य है । किन्तु उनका मूल्य एक-एक करके गिर गया है परन्तु फिर सरकार ने उन कृषि-पदार्थों का कृषकों को उचित मूल्य दिलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है । मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि कुथागापट्टम और जेनमीकारम कृषकों के विरुद्ध बकाया वसूली की जो कार्यवाही चल रही है वह वापस ले ली जाये । पन्द्रह प्रतिशत शराब की दुकानें बन्द करने से वहां २,५०० परिवारों में बेरोज़गारी पैदा हो जायेगी जो देश की बढ़ती हुई बेरोज़गारी को देखते हुए ठीक नहीं है ।

फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसे आल्लपि को ज़िला बनाना । मैं समझता हूं कि जब कि साथ के एक ज़िले की आबादी ३० लाख है तो उसे कुछ कम करके तथा कुछ आबादी को आल्लपि में मिलाकर उसे ज़िला बना देना चाहिये । अंत में मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन सब बातों पर सहानुभूति से विचार करें ।

†**श्री अच्युतन :** माननीय मंत्री जी भलीभांति स्पष्ट कर चुके हैं कि किन परिस्थितियों में त्रावण-कोर-कोचीन में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया और फिर उसकी अवधि को बढ़ाया गया । इस प्रश्न पर फिर से चर्चा आरम्भ करने का अब कोई आधार प्रतीत नहीं होता । जब राष्ट्रपति का प्रशासन लागू किया गया था तब किसी को आशा नहीं थी कि वह इतना अच्छा काम करेंगे । जब परामर्शदाता महोदय त्रावणकोर में आये तो उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करना था । उन्होंने कहा कि इस कार्य को पूरा करने का वह भरसक प्रयत्न करेंगे । और उन्होंने किया है । इसके लिये हम उनके आभारी हैं ।

किन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात भविष्य की है । सामान्य निर्वाचन के पश्चात् हम वहां एक स्थिर प्रकार की सरकार चाहते हैं । सब राजनीतिक दलों को इस अवसर पर उचित व्यवहार करना है । मैं समस्त प्रजातन्त्री दलों से प्रार्थना करता हूं कि वे कसौटी पर खरे उतरें ।

केरल की अनेक समस्यायें हैं । सेवाओं के विलीनीकरण तथा वेतनक्रम के निर्धारण का प्रश्न हल करना है । इसे संतोषजनक रूप से हल करना चाहिये जिससे कि किसी कर्मचारी को यह महसूस न हो कि उनकी सामान्य शिकायतें दूर नहीं की गई हैं । श्री राऊ ने शासन के विकेन्द्रीकरण का जो काम वहां किया है वह प्रशंसनीय है । हमें देखना है कि काम भलीभांति हो । यदि काम भलीभांति होना है तो अधिक पदाधिकारियों की आवश्यकता होगी । इसके लिये अधिक पदाधिकारी नियुक्त किये जायें । श्री गोपालन ने कहा कि १६½ करोड़ रुपये में से केवल ४½ करोड़ रुपये अब तक खर्च किये गये हैं । शेष पांच मास में १२ करोड़ रुपये व्यय किये जाने हैं । आशा है कि इस समस्त राशि को वहां के विकास के लिये भलीभांति प्रयुक्त किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मलाबार अब केरल में आ गया है। केरल एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अब योजना आयोग, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को यह देखना चाहिये कि मलाबार भी समस्तल पर आ जाये।

खाद्य तथा कृषि की समस्या का जिक्र किया गया। उचित मूल्य वाली कई दूकानें खोली गई हैं। सरकार को यह देखना चाहिये ऐसी और दूकानें खोली जायें तथा चावल न्यूनतम मूल्य पर वहां उपलब्ध कराया जाये।

आलवे ताल्लुक में १००० एकड़ भूमि काजू उठाने के लिये ले ली गई है। पहले वह चरागाह थी। मैंने कई मास पहले अधिकारियों से प्रार्थना की थी एक पट्टी पशुओं की चराई के लिये छोड़ दी जाये। मैंने वहां के कलक्टर को लिखा तथा अधिकारियों से मिला। किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यह लाल फीतई का नमूना है।

श्री श्रीकान्तन ने न्यायपालिका के विषय में कुछ कहा है। मैं समझता हूं कि उनकी आलोचना सही प्रकार की नहीं थी। हमें न्यायपालिका के विरुद्ध शिकायत नहीं करते रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें कुछ संयम से काम लेना चाहिये।

†**श्री मात्तन :** माननीय गृह-मंत्री जी द्वारा की गई श्री पी० एस० राऊ परामर्शदाता की प्रशंसा से मैं अक्षरश: सहमत हूं। उन्होंने वहां की शासन-व्यवस्था में स्थायित्व कायम किया है। राज्यपाल की भी जो प्रशंसा उन्होंने की उससे भी मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि परामर्श समिति में विरोधी दल के सदस्यों से पर्याप्त सहायता मिली है। उन्होंने त्रावणकोर-कोचीन या केरल राज्य के विकास के सम्बन्ध में पूरा सहयोग दिया है।

यह सभी जानते हैं कि त्रावणकोर-कोचीन या केरल राज्य की मुख्य समस्या बेरोज़गारी है। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्रियों तथा व्यापारियों से भी बातें की हैं। मुझे बताया गया है मजदूर नेताओं से उचित सहायता प्राप्त न होना वहां पर विनियोजन से तथा विकास कार्यों में बाधा डाल रहा है। नाम बताना उचित नहीं होगा, परन्तु बड़े अच्छे व्यक्तियों ने ऐसा मुझे बताया है। श्री अ० क० गोपालन ने मुझे बताया था कि वह श्रमिकों तथा मिल मालिकों में एक समझौता कराने के इच्छुक हैं जिससे उचित विकास हो सके।

मैं अपने मित्र श्री श्रीकान्तन नायर से पूर्णत: सहमत हूं कि काजू उद्योग की स्थिति बड़ी नाजुक है। मैं नहीं जानता कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है परन्तु मैं इससे सहमत हूं कि स्थिति बड़ी नाजुक है। इसमें हज़ारों व्यक्ति काम करते हैं, मैं भी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह त्रावणकोर-कोचीन राज्य में आकर देखें इसके सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता है अथवा नहीं।

मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री मैथ्यू ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तिरुवेल्ला से पुनालूर तक रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में कुछ कहा है। इस क्षेत्र की ओर ध्यान कम दिया जाता है। यह लाइन बन जाने से अविकसित क्षेत्र का विकास हो जायेगा।

मैंने माननीय वित्त मंत्री से कुछ दिन पूर्व बातचीत की थी कि त्रावणकोर-कोचीन के आंचल कर्मचारियों के वेतन वही कर दिये जायें जो अन्य स्थानों के विलीनीकृत कर्मचारियों के हैं। यह कहा जाता है कि निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिये सभी कुछ किया जायेगा। परन्तु १९५० के बकाया आदि महा-निदेशक के आदेश से कुछ व्यक्तियों को तो मिल गये थे। अचानक वित्त मंत्रालय का आदेश आया कि त्रावणकोर-कोचीन सरकार केन्द्रीय सरकार के अभिकरण के रूप में कार्य कर रही थी, इसलिये वहां के कर्मचारी इस वेतन के अधिकारी नहीं हैं। इसलिये जिनको बकाया मिल चुका था उनसे वापस

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मात्तन]

लिया गया । इसलिये मेरी वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें और इस आदेश को रद्द करा दें ।

†**श्री दातार :** उपाध्यक्ष महोदय भूतपूर्व त्रावणकोर-कोचीन राज्य अर्थात् वर्तमान केरल राज्य के प्रशासन पर चार घंटे वाद-विवाद हुआ है । नया राज्य केवल एक मास से प्रारम्भ हुआ है तथा इसलिये मुख्यतः आलोचना त्रावणकोर-कोचीन राज्य के प्रशासन की की गई थी । कई सुझाव दिये गये थे । यद्यपि सामान्य आलोचना राष्ट्रपति के प्रशासन के विरुद्ध की गई थी तथा कुछ कार्यों आदि के सम्बन्ध में कुछ माननीय मित्रों ने यही प्रश्न उठाया कि राष्ट्रपति का प्रशासन आवश्यक है अथवा नहीं । मैं इस समय उस प्रश्न पर कुछ नहीं कहूंगा । यह बताया जा चका है कि नय केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने जो कार्यवाही की उसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं कर सकते थे ।

दूसरा प्रश्न यह था कि विधानमण्डल फिर बनाया जाय । श्री गुरुपादस्वामी ने मेरे विचार से ऐसा ही कहा है । कृपा करके वे यह समझने की चेष्टा करें कि जब एक बार विधान सभायें समाप्त कर दी जाती हैं तो इनको सामान्य निर्वाचन करके ही पुनः स्थापित किया जा सकता है । तभी विधान सभायें काम करेंगी तथा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनेगा । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति कार्य-पालिका कार्यवाही के द्वारा विधान सभाओं को पुनः स्थापित नहीं कर सकते ।

उस उद्घोषणा का खण्डन किया जा सकता है परन्तु इससे विधान सभायें पुनः स्थापित नहीं की जा सकती हैं, यह माननीय सदस्य को समझना चाहिये । ऐसा तो सामान्य निर्वाचन के द्वारा ही किया जा सकता है । इसलिये भंग की गई विधान सभाओं को पुनः स्थापित करना संभव नहीं है । सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् नवीन विधान सभा बनेंगी । इस प्रश्न का सांविधानिक पहलू यह है ।

दूसरा प्रश्न यह था कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता के लिये एक मंत्रणा समिति होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां राज्यपाल का प्रशासन नहीं है अपितु राष्ट्रपति का प्रशासन है । राष्ट्रपति संसद् सदस्यों की एक मंत्रणा समिति द्वारा प्रशासन चलाते हैं । इसलिये यदि राज्यपाल की मंत्रणा समिति बनाई जायेगी तब राष्ट्रपति की मंत्रणा समिति द्वारा दिये गये परामर्श तथा राज्यपाल की मंत्रणा समिति द्वारा दिये गये परामर्शों में विभिन्नता हो सकती है । इसी कारण इस प्रकार का कार्य करना सम्भव नहीं है ।

अन्य प्रश्न भी उठाये गये । श्री वें० प० नायर ने सरकार पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के प्रशासन से कोई भलाई नहीं हुई है अपितु स्थिति और खराब हो गई है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह दल विशेष का विरोध है । मैं इसका दावा नहीं करता कि राष्ट्रपति का प्रशासन अच्छा ही रहा है, परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रशासन पर्याप्त सुधर गया है । जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि पहले से अब कार्यक्षमता बढ़ गई है । जहां तक त्रावणकोर-कोचीन के प्रशासन का सम्बन्ध है वहां कुछ कठिनाइयां हैं । प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है और ज़िलों को सचिवालय ने अधिक अधिकार नहीं दिये हैं । अधिक अधिकार सचिवालय को ही थे यह सभी प्रश्न हल किये जायेंगे । सभा यह तो महसूस करेगी कि वर्तमान सरकार केवल शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने वाली सरकार अथवा पुलिस राज्य नहीं है परन्तु एक कल्याणकारी राज्य है । जनता के कल्याण के लिये हमने जब विभिन्न योजनायें बनाई हैं तब हमारा प्रशासन भी इस प्रकार का होना चाहिये जो जनता के कल्याण की इन योजनाओं को लागू कर सके । इसी कारण वर्तमान पद्धति में अधिक कार्यकुशलता की आवश्यकता है तथा यह कार्यकुशलता सचिवालय तथा जिलों में सभी जगह होनी चाहिये । इसीलिये जब राष्ट्रपति के अभिकर्त्ता के रूप में परामर्शदाता ने इन सब कठिनाइयों में स्थान ग्रहण किया तब उन्हें पुनर्गठन तथा

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर अधिक ध्यान देना पड़ा । इसी कारण इन समस्याओं के सम्बन्ध में पर्याप्त समय लगा । अब हमें प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्णतया परिवर्तित करना है तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि चालू वर्ष के अगले चार अथवा पांच वर्ष में जितने धन की आय-व्ययक में व्यवस्था की गई है, वह पूर्णतः व्यय हो जायेगा ।

मेरे मित्र श्री अ० क० गोपालन ने बताया कि चालू वर्ष के लिये १६ करोड़ रुपये की धनराशि आय-व्ययक में रखी गई थी जबकि केवल ४ करोड़ रुपया खर्च हुआ है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि वह देरी के विभिन्न कारणों को देखें तो उनको जानकारी होगी कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है । सच तो यह है कि जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक हम खर्च करने को तैयार हैं तथा मैं अपने मित्र श्री गोपालन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व १६ करोड़ रुपये की पूर्ण राशि हम खर्च कर देंगे ।

इस वर्ष मार्च के अन्त में राष्ट्रपति ने प्रशासन अपने हाथ में लिया था । इसके पश्चात् केवल दो मास ही हुए हैं कि संसद् में आय-व्ययक प्रस्तुत किया जा सका तथा उसको पारित किया जा सका ।

तटवर्ती क्षेत्रों की विशेष दशा का भी ध्यान रखना है । वर्ष में दो बार वर्षा होती है तथा इस अवधि में परियोजनायें चालू रखना तथा धन व्यय करना बड़ा कठिन है । मेरे माननीय मित्र को इन प्राकृतिक कठिनाइयों तथा बाधाओं की जानकारी होगी परन्तु जिन कारणों के लिये वह स्वयं जिम्मेदार हैं उन पर उन्होंने विचार नहीं किया ।

सरकार अथवा राष्ट्रपति जितना खर्च कर सकते थे उन्होंने उतना किया । सितम्बर के अन्त तक लगभग २ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे । जून तथा सितम्बर के मध्य तक लगभग २ करोड़ रुपये व्यय किये गये । अक्तूबर मास अर्थात् एक मास में २ करोड़ रुपये खर्च किये गये । इसलिये माननीय मित्र से मेरा निवेदन है कि विभिन्न योजनाओं को लागू करने में देरी नहीं हो रही है । सरकार के पास जितना धन है, वह उतना खर्च करने को उत्सुक है, क्योंकि वह जानती है कि यह धन खर्च किया जायेगा ।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान **"प्रसीडेन्ट्स रूल इन त्रावणकोर-कोचीन"** नामक पुस्तिका के पृष्ठ २५ की ओर आकर्षित करूंगा । उसमें दिया गया है कि जहां तक पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है विभिन्न विषयों के लिये कुछ धनराशि निश्चित की गई है । प्रथम वर्ष अर्थात् १९५६-५७ के लिये, हमने कुल धनराशि का पांचवां हिस्सा लेने के स्थान पर कुछ अधिक धन लिया है क्योंकि अधिक धन खर्च किया जायेगा ।

इसलिये ७१ करोड़ रुपयों में से इस वर्ष के लिये १६·१७ करोड़ रुपये होते हैं तथा मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यह सब धन अवश्य खर्च किया जायेगा । संभवतया, यदि मालाबार के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में पुनः समायोजन करने पड़े तो अधिक धन खर्च करना पड़ेगा । यह सब धनराशि के खर्च न किये जाने के सम्बन्ध में बताया गया है, जैसा कि माननीय सदस्यों की इच्छा थी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मालाबार के हितों पर उचित रूप में विचार नहीं किया गया है । जहां तक मालाबार का सम्बन्ध है यह एक बड़ा क्षेत्र है तथा यह अब केरल राज्य में आ गया है । यह १-११-१९५६ से केरल राज्य में आया है और अब तक मद्रास सरकार से जानकारी लेनी थी । मद्रास सरकार का कहना है कि मालाबार के लिये १५ करोड़ रुपया है । जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा धनराशि अधिक होनी चाहिये अर्थात् ४५ करोड़ रुपये होना चाहिये । यह ऐसा प्रश्न है जिस पर भारत सरकार को योजना आयोग और मद्रास सरकार के परामर्श से

[श्री दातार]

विचार करना पड़ेगा। जहां तक वर्तमान प्रशासन का सम्बन्ध है मलाबार के हित राष्ट्रपति के हाथों में सुरक्षित हैं। जहां तक दीर्घकालीन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि जिन बातों की ओर राष्ट्रपति ने ध्यान नहीं दिया है, लोकप्रिय सरकार मालाबार की उन मांगों पर बहुत अधिक ध्यान देगी क्योंकि मालाबार एक बड़ा क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या ५० लाख है। अतः जब तक केरल पर राष्ट्रपति का शासन है तब तक वे और उसके बाद लोकप्रिय सरकार मालाबार के हितों की ओर पूरा ध्यान देंगे।

एक माननीय सदस्य ने उत्तर मालाबार और दक्षिण मालाबार में भेद किया। जहां तक दक्षिण मालाबार का सम्बन्ध है, वहां कुछ ऐसी प्राकृतिक कठिनाइयां हैं कि उत्तरी मालाबार के लिये बड़ी सिंचाई योजनाएं नहीं शुरू की जा सकतीं। फिर भी यह नितान्त आवश्यक है कि अन्य छोटी सिंचाई योजनाओं पर विचार किया जाये। दक्षिण मालाबार में पहले ही कई योजनायें हैं जिन पर विचार किया जायगा। माननीय सदस्य ने जिस विशिष्ट योजना का उल्लेख किया था, मैसूर सरकार के परामर्श से उसका परीक्षण करना होगा। मुझे विश्वास है कि वह भी यथासमय किया जायगा।

जहां तक नान-गजेटेड पदाधिकारियों के वेतन स्तरों का प्रश्न है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य में निम्न श्रेणियों के नान-गजेटेड पदाधिकारियों के वेतन स्तर मालाबार की तुलना में अधिक अच्छे हैं महंगाई भत्ते की दरें भी अधिक ऊंची हैं। इस विषय में समानता लाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

दूसरा प्रश्न निम्नतम श्रेणी के ग्राम पदाधिकारियों के वेतन स्तरों के सम्बन्ध में था। वे स्तर ठीक वही हैं जो मालाबार जिले में या मद्रास राज्य के पश्चिम में हैं। सामान्यतः वेतनक्रमों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में, कुछ साल पहले एक समिति नियुक्त की गई थी। केरल राज्य के कुछ भागों में कुछ वेतनक्रम अधिक ऊंचे हैं और कुछ वेतनक्रम अधिक नीचे हैं। वेतन स्तरों में एकरूपता लाना केरल सरकार को अपना उद्देश्य बनाना होगा। यदि राष्ट्रपति नहीं तो कम से कम, लोकप्रिय सरकार तो अवश्य ही इस प्रश्न को हल करेगी। अतः माननीय सदस्यों के इस प्रश्न के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिये।

एक बहुत बड़ा विवाद यह उठाया गया था कि त्रिवेन्द्रम से उच्च न्यायालय हटा दिया जाये। हमें इस प्रश्न पर ठंडे दिमाग से निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिये। त्रावणकोर-कोचीन संघ बनाने के लिये दोनों राज्यों के एकीकरण के बाद त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उन दोनों राज्यों के बीच समझौते से राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम रखी गई और उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में रखा गया। बाद में यह प्रतीत हुआ कि वहां काफी काम था और १९५३-५४ में संसद् का एक विशेष अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार त्रिवेन्द्रम में स्थायी न्यायालय रखा गया। यह उसका इतिहास है। यह न्यायालय त्रिवेन्द्रम ज़िले के लाभ के लिये बनाया गया था। पुनर्गठन के पूर्व त्रावणकोर-कोचीन राज्य के दक्षिणी जिले की जनसंख्या २१ लाख थी। पुनर्गठन के बाद, इस जिले के चार तालुके जिनकी जनसंख्या ८ लाख है, मद्रास में मिला दिये गये हैं। अतः यदि त्रिवेन्द्रम में एक स्थायी न्यायालय रखा जाय तो इस न्यायालय से केवल १३ लाख जनता को ही लाभ होगा। यदि इतने छोटे से क्षेत्र के लिये एक अलग न्यायालय रखा जाये तो मालाबार के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? इसी कारण, गुणदोष के आधार पर, इससे सहमत होना बहुत कठिन है कि केरल राज्य का सुदूर दक्षिणी जिला त्रिवेन्द्रम में एक स्थायी न्यायालय रखा जाये। इसलिये बहुत आन्दोलन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय समाप्त कर दिया गया। यदि न्यायालय ही समाप्त हो जाता है तो बैंच का समाप्त होना भी स्वभाविक है, इसी कारण यह बैंच पहली नवम्बर को समाप्त कर दी गई।

इसके अतिरिक्त हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि गुणावगुणों को देखते हुए क्या हम त्रिवेन्द्रम में एक स्थायी न्यायालय बनाये रख सकते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मैं माननीय सदस्यों को ठंडे दिल से विचार करने के लिये कहूंगा। अगला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या वहां अस्थायी न्यायालय हो। आन्दोलन करने वाले लोग अस्थायी न्यायालय की स्थापना करने से सन्तुष्ट नहीं होंगे, यद्यपि इस पर मुख्य न्यायाधिपति और राज्यपाल मिल कर विचार करेंगे। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ५१ की उप-धारा (३) में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि कार्य शेष हो तो मुख्य न्यायाधिपति राज्यपाल की सहमति से एक शाखा न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की अस्थायी न्यायालय जहां कहीं भी चाहे, खोल सकेगा। राज्यपाल ने अपनी भेंट में इस बात का उल्लेख किया था और इस पर अब बिल्कुल स्वतन्त्र रूप से कार्य किया जा रहा है।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन** : क्या इस सम्बन्ध में मालाबार की मांग पर विचार किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : मैं यही बात कह रहा हूं। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह प्रश्न कि मालाबार क्षेत्र में एक न्यायालय होना चाहिये, एक ऐसा प्रश्न है जिस पर यथा समय राष्ट्रपति अथवा भविष्य में आने वाली सरकार विचार करेगी। अन्ततोगत्वा कार्यवाही राष्ट्रपति को करनी है। इस अवस्था में इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इस समय तो मैं सभा से केवल यही निवेदन करूंगा कि वह इसके गुणावगुणों पर विचार करके देखे कि क्या त्रिवेन्द्रम में एक स्थायी न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि वह एकदम दक्षिण का जिला है, जिसके क्षेत्राधिकार में केवल १३ लाख लोग आते हैं। तर्क की दृष्टि से यद्यपि मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं, कि यदि ऐसा होना आवश्यक है तो मालाबार में भी न्यायालय का होना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में केरल उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच पर यथासमय विचार किया जायेगा। राज्यपाल ने जो कुछ किया है उसे देखते हुए जिस प्रश्न पर विचार हो रहा है, वह यह है कि फिलहाल त्रिवेन्द्रम में अस्थायी बेंच होनी चाहिये अथवा शाखा न्यायालय। अभियोगों की संख्या भी अधिक नहीं है। चार तालुकों के हस्तांतरण के पश्चात् ३१-१०-५६ को त्रिवेन्द्रम बेंच को तोड़ने से पूर्व विचाराधीन अभियोग ३७५ थे। इसमें सभी प्रकार के अभियोग हैं अर्थात् ऐसे अभियोग भी जो बहुत शीघ्र ही निबटाये जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में, जिस प्रकार विभिन्न वर्गों के लोगों ने, जिनमें वकील भी थे, असन्तोष फैलाया वह अच्छा तरीका नहीं था।

†**श्री वें० प० नायर** : यह बात जनता से कहने के लिये हम आपका आह्वान करते हैं।

†**श्री दातार** : मुझे विश्वास है कि यदि जनता के सामने सही पहलू रखे जायं तो वे स्थिति समझ सकेंगे। उदाहरण के लिये, एक मामला ऐसा है कि इस प्रश्न पर गुणावगुणों को देखते हुए विचार किया जा सकता है। जो कुछ हुआ है उसके बारे में हमें ठीक तरह से समझना चाहिये। विशेषकर जनता के नेताओं को साहस से काम लेना चाहिये और जो निश्चित सत्य है उसे जनता और असन्तोष फैलाने वालों को बताना चाहिये। केवल इसलिये कि कुछ असन्तोष फैला हुआ है या कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग असन्तोष फैला रहे हैं, असन्तोष फैलाने वालों की प्रत्येक मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद से असन्तोष समाप्त हो गया है। त्रावणकोर-कोचीन अथवा केरल में इतनी अधिक साक्षरता को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि जहां जनता के ऐसे प्रश्नों का सम्बन्ध है, लोग काफी उत्तरदायित्व समझते होंगे।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है इसे भी उसी पर छोड़ देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

औद्योगीकरण के बारे में कुछ कहा गया था । सरकार इस बात की यथाशक्ति कोशिश करेगी कि केरल में उचित ढंग का औद्योगीकरण हो जायेगा जो वहां के जीवन के महत्वपूर्ण अंगों में से एक होगा । इस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर उचित रूप से ध्यान दिया भी जायेगा ।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, कुछ कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है । उसने केरल में चालू वर्ष में दो बड़े वर्कशाप खोलने के लिये सहमति दे दी है, जो मुख्यत: शिक्षित बेकारी को दूर करने के लिये रखे गये हैं । दो बड़े वर्कशाप तिरुवेल्ला और एत्तुमानूर में स्थापित किये जायेंगे । इनमें से एक वर्कशाप बिजली की मोटरें बताने और दूसरा हाथ के औजारों तथा मशीन के छोटे-छोटे औजारों के बनाने के लिये होगा । चार अन्य स्थानों पर चार छोटे-छोटे कारखाने भी होंगे । उनमें से प्रत्येक की प्रथम अवस्था चालू वर्ष में पूरी हो जायेगी ।

†**श्री मात्तन** : वर्कशापों के बारे में अभी तक कितना कार्य हुआ है ?

†**श्री दातार** : इन सारी योजनाओं पर स्वीकृत दे दी गई है जिसकी प्रथम अवस्था इस वर्ष के समाप्त होने से पूर्व पूरी हो जायेगी ।

†**श्री मात्तन** : कुछ ठोस बात बताइए ।

†**श्री दातार** : यह ठोस से भी बढ़ कर है । लगभग तीस अवस्थायें होंगी जिनमें से पहली चालू वर्ष में पूरी हो जायेगी । जहां तक इन सारी परियोजनाओं की पहली स्थिति का सम्बन्ध है, कुल व्यय कई लाख रुपया यानी २५ या ३० लाख रुपये से भी अधिक हो सकता है । यह राशि पुस्तिका में उल्लिखित राशि के अतिरिक्त होगी । अत: मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम जितना सम्भव है उससे भी अधिक कर रहे हैं ।

हमें एक बात और समझनी चाहिये और वह यह कि राष्ट्रपति के शासन की भी कुछ सीमायें हैं । राष्ट्रपति के शासन का उद्देश्य स्थायित्व बनाये रखना अथवा ऐसी स्थिति बनाये रखना जिनसे स्थायित्व के बारे में काम होता रहे । प्रशासकीय व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाना है । इसके पश्चात् ही हम शासन लोकप्रिय सरकार को सौंप देंगे जो और आगे बड़ी अच्छी प्रकार से कार्य करती रहेगी ।

सम्भवत: श्री अ० क० गोपालन और श्री वें० प० नायर—इन दो माननीय सदस्यों—ने भूमि सुधारों का उल्लेख किया था । यह काफी विवादास्पद विषय है । मैं बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व त्रावणकोर-कोचीन विधान सभा की बैठक हुई, तो उसके समक्ष अधिकतम भूमि आदि सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत था । उसके समाप्त होने से पूर्व अन्तिम सत्र में यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था । यदि मुझे ठीक से स्मरण है तो यह केवल पुर:स्थापित किया गया था उससे आगे और कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई थी ।

†**श्री अ० म० थामस** : विधान मंडल के टूटने से पहले यह प्रवर समिति के पास विचाराधीन था ।

†**श्री दातार** : क्या उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ?

†**श्री अ० म० थामस** : प्रवर समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था ।

†**श्री वें० प० नायर** : किन्तु मंत्री महोदय ने प्रवर समिति को आश्वासन दिया था ।

†**श्री दातार** : विद्यमान भूमियों के बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित करने और अर्जन एवं कब्जा करने पर नियंत्रण लगाने से कठिन समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी । उनकी जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हम इन सारी समस्याओं का सामना करने के लिये तैयार हैं, किन्तु मेरे विरोधी पक्ष के लोग कहेंगे कि ऐसी विवादास्पद और दूरदर्शी समस्याओं का सामना करने का हमें कतई अधिकार नहीं है। जहां तक इनका सामना करना सम्भव है, हम यथाशक्ति कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। राज्य विधानमंडल के टूटने से पहले जो २०–२२ अधिनियम उसके पास विचाराधीन थे, राष्ट्रपति ने उन सभी विधानों अथवा विधेयकों को पहले ही प्रख्यापित कर दिया था। इस प्रकार आप देखेंगे कि हम प्रशासन के ढंग को सुधारने की यथाशक्ति कोशिश उन सीमाओं के अनुरूप कर रहे हैं जो राष्ट्रपति के प्रशासन के द्वारा रखी गई हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ भूमि सुधार जारी किये गये थे। वे भूमि सुधार क्या हैं ?

†**श्री दातार** : मैंने यह कहा था कि हम कुछ प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं और उन पर वहां तक विचार करेंगे जहां तक राष्ट्रपति के शासन के द्वारा उन पर विचार किया जा सकता है। हमें इस चीज़ को समझना है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं हमारे लिये कुछ कर सकना सम्भव होगा। साथ ही मैं आशा करता हूं कि एक वर्ष पूरा होने से पहले ही लोकप्रिय मंत्रिमण्डल इस कार्य को करेगा। इस कारण हम यथासम्भव करने का प्रयत्न करेंगे। मैं माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि स्थिति हमने बिल्कुल खराब नहीं होने दी है ?

मैं इसके बारे में निश्चित रूप से जानता हूं किन्तु दलगत भावना के कारण मेरे माननीय मित्र श्री नायर मेरी सहायता करेंगे। मैं जानता हूं कि सामान्यतः वह कितने सत्यभाषी हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि विरोधी दल भूमि सम्बन्धी महान परिवर्त्तन करने पर भी यह नहीं कहेगा कि आप ऐसे परिवर्त्तन न करिये। भले ही इसके लिये विधान न हो किन्तु विरोधी दल इसका सदैव स्वागत करेगा।

†**श्री दातार** : यह नया तत्व भी हमारे पक्ष में है और हम इससे यथाशक्ति लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। हमें समस्या की जटिलता को भी ध्यान में रखना चाहिये।

†**श्री वेलायुधन** : विरोध इसमें न होकर उस सम्बन्ध में है।

†**श्री दातार** : जैसा कि श्री गोपालन ने आश्वासन दिया है, यदि सामान्यतः यही राय है तो हम यथासम्भव सुधार करेंगे। सभी माननीय सदस्य एक सप्ताह के भीतर मंत्रणा समिति के सदस्य हो जायेंगे। इस कारण इन सारी बातों पर विचार किया जायेगा। हम मंत्रणा समिति की ही राय मानते हैं।

मैंने अनेक बातों का उत्तर दिया है। यह बात मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हमने स्थिति को खराब नहीं होने दिया है।

†**श्री वें० प० नायर** : तो फिर इसकी पुनरुक्ति क्यों करते हैं ?

†**श्री दातार** : मैं इस चीज़ को बार-बार इसलिये कहना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर आरोप है हालांकि माननीय सदस्य का तात्पर्य यह नहीं था जिस प्रकार उन्होंने यह बात कही उससे यही जान पड़ता है कि वह यह चाहते हैं कि मैं यह न करूं।

†**श्री पुन्नूस** : क्या मैं त्रावणकोर-कोचीन में जिले के पुनर्गठन के बारे में प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**श्री दातार** : मेरे माननीय मित्र ने सुझाव दिया है कि हमें कुछ और जिले बनाने चाहिये जिनमें से एक एलेप्पी हो। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो इस प्रश्न पर पूर्णरूपेण विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है हमें एक यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि नये ज़िले बन जाने के बाद--जैसे कि हम वर्तमान मालाबार में ३ ज़िले बनाने जा रहे हैं--माननीय सदस्य एकमत होने चाहिये। इस प्रश्न पर यथाशीघ्र विचार किया जायेगा--उदाहरण के लिये तीन भिन्न-भिन्न राजधानियों वाले तीन ज़िले बनाये जायेंगे और जहां तक सम्भव होगा सार्वजनिक कार्यालय तेल्लिचेरी में रहने दिये जायेंगे। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, अन्य कोई उपाय नहीं है। किन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि एक के बजाय तीन ज़िले बनाने से २ लाख रुपये व्यय करने पड़ेंगे। इस बात को भी माननीय सदस्य ध्यान में रखें। किन्तु जहां तक एलेप्पी का सम्बन्ध है, हम उसके बारे में निर्णय करेंगे और उस पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : 'अंजल' के कर्मचारियों के बारे में क्या रहा ?

†**श्री दातार** : जहां तक अन्तिम प्रश्न का सम्बन्ध है, चूंकि अब माननीय सदस्य ने उसका उल्लेख कर दिया है, मैं इस बारे में पता लगाऊंगा।

†**श्री अच्युतन** : काजू उद्योग और विषम परिस्थिति के बारे में क्या रहा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस प्रश्न के बारे में क्या होगा जो मैं सभा के सम्मुख रखने जा रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा १ नवम्बर, १९५६ को केरल राज्य के बारे में निकाली गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ६४१–४२

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) द्वारा वक्तव्य देने पर अध्यक्ष महोदय ने श्री वि० घ० देशपांडे का वह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सम्मति नहीं दी जो कि ३० नवम्बर, १९५६ को राम लीला मैदान में हुई सार्वजनिक सभा में एक पटाखा फटने के बारे में था।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६४२–४३

जनगांव और रघुनाथपल्ली स्टेशनों (मध्य रेलवे) के बीच स्थित गार्डरों के पुल पर २७ सितम्बर, १९५४ को ३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६४३

सचिव ने लोक-सभा को यह सूचना दी कि गत सप्ताह में राष्ट्रपति ने सभा के दोनों सदनों द्वारा चालू सत्र में पारित इन विधेयकों पर अपनी अनुमति दे दी है :

(१) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५६।

(२) अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक, १९५६।

राज्य-सभा से संदेश ६४३

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त हुए इन दो संदेशों की सूचना दी :

(१) राज्य-सभा ने २९ नवम्बर, १९५६ को हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक, १९५६ को पारित कर दिया।

(२) राज्य-सभा ने ३० नवम्बर, १९५६ को डा० (श्रीमती) सीता परमानन्द के हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पारित कर दिया।

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा-पटल पर रख दिये गये ६४३

सचित्र ने यह दो विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखे:

(१) हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह-व्यय विधेयक।

(२) डा० (श्रीमती) सीता परमानन्द का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ६४३–४४

अठाहरवां प्रतिवेदन

पृष्ठ

पुरःस्थापित किये गये विधेयक ६४४

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक ।

संकल्प स्वीकृत किया गया ६४४–८०

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा के पश्चात् संकल्प स्वीकृत हुआ ।

मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६ के लिए कार्यावलि

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक पर विचार और केरल राज्य में खनिज संसाधनों के विकास के बारे में आध घंटे तक चर्चा ।

M43LSD—190—20-3-58—GIPF.